लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए
PRICE TWO RUPEES

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7—मंगलवार, 30 जुलाई, 1974/8 श्रावण, 1896 (शक)

No. 7 —Tuesday 30, July 1974/Sravana 8, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
121	27 मई, 1974 को आकाशवाणी से प्रसारित किया गया रेल मंत्री का वक्तव्य	Railway Minister's Statement Relayed on All India Radio on 27th May, 1974 . .	1-2
123	रेलमजदूरों के संघर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति (नेशनल को-आर्डिनेशन कमिटी आफ दि रेलवमेन्स स्ट्रगल) द्वारा 26 जून, 1974 को पारित प्रस्ताव	Resolutions passed by NCCRS on 26th June, 1974 . .	2-9
127	कृषि मंत्रालय की राज्यों को अधिक मात्रा में डीजल तेल दिये जाने की मांग	Demand from Ministry of Agriculture for allocation of more Diesel Oil to States . .	9-11
128	चुनाव व्यय की सीमा में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to Raise the Limit on Election Expenses . .	11-12

श्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
124	भारतीय तेल निगम द्वारा बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों के लिये निम्न श्यानता भट्टी तेल का उत्पादन	Production of Low Viscosity Furnace Oil by IOC for Power Generating Plants . .	13
125	मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के साथ बुक-स्टालों के लिये करार	Agreement with M/s. A. H. Wheeler & Co. for Book Stalls	13-14
126	बारामुरा, त्रिपुरा में तेल तथा गैस के लिये छिद्रण कार्य	Drilling for Oil and Gas in Baramuras Tripura . .	14
129	पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी	Fall in consumption of petroleum Products	14-15
130	वर्ष 1974-75 में अशोधित तेल की उपलब्धता तथा मांग	Availability and Demand of Crude Oil in 1974-75 . .	15-16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्यने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—22 L.S.S./74

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
131	गैस का वाणिज्यिक उपयोग	Commercial use of Gas . .	16
132	आग लगने से बम्बई स्थित एक तेल भंडार केन्द्र को हुई क्षति	Damage to Oil Storage Centre in Bombay due to Fire . .	16
133	उर्वरक संयंत्र और उनके उत्पादन	Fertilizer Plants and their production	17
135	अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा तथा ईराकी अशोधित तेल का आयात	Foreign Exchange for Import of Crude Oil and import of Iraqui Crude.	17
136	वर्ष 1974–75 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विकास	Development of Communication in Backward Areas of Eastern U.P. and North Bihar in 1974–75	17–18
137	बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक सहकारी समितियों द्वारा पेट्रोल पम्प चलाने की मांग किया जाना	Demand from Unemployed Engineering Graduate Cooperative Societies for Running Petrol Pumps . . .	18
138	फर्टीलाइजर एंड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिविजन में यूरिया का जमा होना	Accumulation of Urea at the Cochin Division of FACT .	19
139	फैजाबाद-इलाहाबाद रेलवे लाइन को मजबूत करना	Strengthening of Faizabad Allahabad Railway Line .	19
140	एस्सो ईस्टर्न इनकारपोरेटिड के कर्मचारियों को कुछ लाभों का भुगतान किये जाने की व्यवस्था	Provision or payment of Certain Benefits to Employees of ESSO Eastern Inc. . . .	19

अल्प सूचना-प्रश्न/SHORT NOTICE QUETIONS

अ० सू०प्र० संख्या S.N.Q. No.			
2.	"मोतीलाल नेहरू" टैंकर में विस्फोट	Explosion on Tanker "Moti Lal Nehru" . . .	20

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
995	दिल्ली किशनगंज रेलवे कालोनी की महिलाओं पर लाठी प्रहार	Lathi Charge on Women from Delhi Kishanganj Railway Colony	20–21
996	नहाने के साबुनों की कमी	Shortage of Toilet Soap . .	21
997	रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लिये जाना	Termination of Court Proceedings against Railway Employees	21
998	पश्चिम बंगाल में साबुन बनाने वाले कारखानों को कच्चा माल न मिलना	Non-availability of Raw Material for Soap Manufacturing Units in West Bengal . .	22
999	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के उत्पादों का रूस को निर्यात	Export of Products of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited to USSR . .	22–23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1000	हड़ताल के दौरान रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को तंग किया जाना	Harassment of Family Members of Railway Employees during Strike	23
1001	साईमन कारवस इंडिया लिमिटेड	Simon Carves India Ltd. . .	23–25
1002	रूस से कम मात्रा में तेल का आना	Low Arrivals of Kerosene from Soviet Union . . .	25
1003	हाल्दिया तेल शोधक कारखाने की परियोजना लागत में वृद्धि	Increase in Project Cost of Haldia Refinery . . .	26
1004	रेलवे द्वारा कम दर पर बांस की ढुलाई	Bamboos carried by Railways at Cheap Rate . . .	26–27
1005	दिल्ली के लिये तीसरा रेलवे स्टेशन (टर्मिनस)	Third Railway Terminus for Delhi	27
1006	बम्बई हाई में 6 अन्वेषक कुएं खोदने की योजना	Plan of Drilling Six Exploratory Wells in Bombay High .	28
1007	नार्थ इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता	Recognition of North Eastern Railway Mazdoor Union .	28
1008	भारतीय तेल निगम में पूर्वी क्षेत्र के कमचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime Allowance to Employees of Eastern Region in IOC	28
1009	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के साथ कथित भदभाव	Alleged Discrimination against Staff of North Eastern Railway	29
1010	उर्वरक उद्योग में प्रवेश करने के लिये आई० सी० आई० द्वारा अनुमति मांगा जाना	IGI Seeking Entry into Fertiliser Industry	29
1011	बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिय आसाम का अशोधित तेल	Assam Crude for Barauni Refinery	30
1012	तेल का पता लगाने के लिये अमरिका की तेल कम्पनियों द्वारा नये उपाय का उपयोग	Use of New Device by U.S. Oil Companies to locate Oil .	30
1013	पेट्रोल के मूल्य पर सांविधिक नियंत्रण लागू करना	Imposition of Statutory Control on Petrol Price . .	31
1014	तटदूर को खोज के कार्य के लिये भारत और बंगला देश के बीच सहयोग	Co-operation between India and Bangladesh for Offshore oil exploration	31
1015	बम्बइ हाइ मे अशोधित तेल के उत्पादन का लक्ष्य	Target for production of crude oil in Bombay High . .	31

तारां० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1016	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में सामान्य उपबंध के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को व्यापक बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Supplement Essential Commodities Act by General Provision of M R.T.P. Act	32
1017	औषध फर्मों द्वारा तकनीकी जानकारी के आयात पर बहुत बड़ी धन-राशि का व्यय किया जाना	Spending of larger amounts on Import of Technology by Drug Firms	32–33
1018	रेलवे बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन	Changes in Railway Board set up	33
1019	वफादार कर्मचारियों को सेवा अवधि बढ़ाने/सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लगाने के रूप में पुरस्कृत करना	Loyal Workers Rewarded by Extension of Service/Reinstatement of Retired Employees	34
1020	जखपुरा-बांसपाणि रेलवे लाइन पर प्रारंभिक कार्य	Preliminary works in Jakhpura Banspani Railway Line .	34
1021	दक्षिण पूर्व रेलवे यात्री हाल्ट कमीशन एजेंटों का सम्मेलन	Conference of S. E. Railway Passengers Halt Commission agents.	34–35
1022	खुर्द रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में स्टेशनों का विकास	Development of Stations in Khurda Road Division (South Eastern Railway). . .	35–36
1023	दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रैस और दिल्ली-हावड़ा मल में दूसरों के नाम पर सुरक्षित स्थानों पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	Action taken against the persons travelling on the seats reserved for others in Delhi-Howrah Express and Delhi-Howrah Mail	36–37
1024	मई, 1974 में दक्षिण रेलवे में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains on Southern Railway in May, 1974 .	37
1025	मध्य रेलवे में नौकरी पर वापस लिये गये कर्मचारी	Employees reinstated in Central Railway	37
1026	मध्य रेलवे में हड़ताल में भाग लेने वाले स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी	Permanent and Temporary Employees of Central Railway who took part in strike. . . .	37–38
1027	राज्यों के मिट्टी के तेल की सप्लाई में की गई कटौती को बहाल करना	Restoration of cut in supply of Kerosene Oil to States. .	38
1028	सेवा से हटाये गये अस्थायी कर्मकार और नैमत्तिक श्रमिक	Temporary Workmen and Casual Labourers removed from Service	38–39
1029	स्थायी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मकारों तथा नैमत्तिक श्रमिकों का बहाल किया जाना	Reinstatement of Permanent Employees, temporary workmen and casual labourers .	39–40

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1030	स्थायी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मकारों तथा नैमित्तिक श्रमिकों की सामान्य अनुपस्थिति	Normal Absenteeism of Permanent Employees, Temporary workmen and Casual Labourers	40
1031	एम० आई० एस० ए०, डी० आई० आर० तथा अन्य कानूनी उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये रेलवे कर्मचारी	Railway workers arrested under MISA, DIR and other legal provisions	40
1032	दक्षिण रेलवे पर इंजिन द्वारा मारा गया व्यक्ति	Person killed by Engine on Southern Railway . .	40–41
1033	पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण	Distribution of petroleum products	41
1034	विभिन्न केन्द्रों पर एल० पी० जी० सिलैंडरों की कमी तथा उनके मूल्य में असमानता	Shortage of LPC Cylinders and variation in their prices at different stations . . .	41–42
1035	भूमिगत रेलवे के लिये महाराष्ट्र सरकार की योजना	Maharashtra Government's Scheme for Tube Railway .	42
1036	रेलवे कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ के आरोप	Railway Employees charged with Sabotage . . .	42
1037	फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन	Production of Phosphate Fertilizers	42–43
1038	नागल-भाखड़ा साइडिंग को सरकारी अधिकार में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over Nangal Bhakra Siding . . .	43
1039	चंडीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन के लिए किये गये सर्वेक्षण का निष्कर्ष	Findings of Survey for Chandigarh Ludhiana Railway Line	43
1040	जगाधरी-पांओटा रेलवे लाइन	Jagadhari-Paonta Railway line .	44
1041	निर्वाचन प्रक्रियाओं में सुधार	Reforms in Election Procedures	44
1042	गुजरात पैट्रो-रसायन समूह का पूरा होना	Completion of Gujarat Petro-Chemical complex . .	44–45
1043	मौरीग्राम में आग लग जाने के कारण पैट्रोलियम उत्पादों की हानि	Loss of petroleum products due to fire at Maurigram . .	45
1044	हल्दिया तेल शोधक कारखाने में उत्पादन	Production at Haldia Refinery	45
1045	दुर्गापुर कैमिकल्स से पारे का गायब हो जाना	Disappearance of Mercury from Durgapur Chemicals . .	46
1046	स्वदेशी काटन मिल्स और लक्ष्मी रतन टैक्सटाइल मिल्स को भाड़े संबंधी सुविधाएं	Freight concessions to Swadeshi Cotton Millsand Laxmi Ratan Textile Mills . . .	46
1047	रेल-माल डिब्बों का रियायती दरों पर दिया जाना	Concessional freight charges for wagons . . .	46

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1048	पेट्रोल में मिलावट	Adulteration of petrol	47
1049	बॉम्बे हाई में पहले स्थान पर खुदाई कार्य का बंद किया जाना	Suspension of drilling oil at first location in Bombay high	47–48
1050	घटिया किस्म की औषधियों के उत्पादन को रोकने के लिये औषधी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of drug industry to Check production of sub-standard medicine	48–49
1051	किशनगंज रेलवे स्टेशन, दिल्ली (उत्तर रेलवे) के कर्मचारी का पीटा जाना	Beating of Railway worker of Kishanganj Railway Station, Delhi (Northern Railway)	50
1052	भारत में तेल संभावनाओं का पता लगाने के लिये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा रियायतों की पेशकश	Concessions offered by UAE for prospecting oil in India	50
1053	मिट्टी के तेल में आयात का निर्धारित कार्यक्रम	Schedule of import of Kerosene Oil	50–51
1054	सतपुड़ा नैरोगेज लाइन का ब्राड गेज लाइन में बदला जाने के लिये प्रतिवेदन पर विचार करना	Examination of report for conversion of Satpura Narrow Gauge line into Broad Gauge	51
1055	अलाभकर रेलवे लाइनों से प्रति वर्ष होने वाली हानि	Annual loss of Uneconomic Railway lines	51
1056	खेरीदा और वल्लभनगर स्टेशनों के बीच हुई बस-रेल टक्कर	Collision between bus and train between Kheroda and Vallabhanagar Stations	52
1057	हाल ही की रेलवे हड़ताल के दौरान समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से दिये गये विज्ञापनों पर व्यय की गई धनराशि	Amount spent on advertisements through Press and Radio during recent strike	52
1058	बहुराष्ट्रीय निगमों की तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिये रियायतें	Concessions given to Multinational Corporations for prospecting oil	53
1059	दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बनाये जाने वाले पैवेलियन के निर्माण का ठेका	Contract for construction of pavilion at International Exhibition in Delhi	53
1059	नाडियाड-कापाडाविंग छोटी लाईन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of Nadiad-Kapadvanj Narrow Gauge Line into Broad Gauge	53–54
1061	भूतपूर्व रेल कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि की मांग	Demand for increase in pension of former Railway Employees	54

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1062	बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाने में हुआ घाटा	Loss suffered by Bongaigon Refinery	54–55
1063	दक्षिण-पूर्व रेलवे में विमलगढ़ और तलचेर के बीच रेल लाइन का निर्माण	Construction of Railway line between Bimlagarh and Talcher on South Eastern Railway .	55
1064	अशोधित तेल का बड़ी मात्रा में आयात	Import of large quantities of Crude Oil	55
1065	वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 के अंत तक तमिलनाडु में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां	Joint Stock Companies in Tamil Nadu at the end of 1972–73 and 1973–74 . . .	56
1066	केरल और तमिलनाडु में 10 करोड़ रुपये तथा अधिक पूंजी निवेश वाले उपक्रम	Undertakings with capital investment of Rs. 10 crores and above in Kerala and Tamil Nadu	56–57
1067	रेल लाइन के विस्तार के लिये केरल सरकार का ज्ञापन	Kerala Government memorandum regarding extension of Railway line . . .	58–59
1068	केरल में रेलवे स्टेशनों के विस्तार और मरम्मत के लिये दी गई धनराशि	Funds granted to expand and repair Railway Stations in Kerala	59
1069	औषध-निर्माण एककों को देशी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिये निदेश	Directive to Pharmaceutical Units to develop indigenous technology	59–60
1070	इटली के साथ तेल और कच्चे माल के लिये करार	Agreement with Italy for oil and raw materials	60
1071	प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे सब-हैडस के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Sub heads working in D.A.O., New Delhi (Northern Railway)	60–61
1072	मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते और कांच की चोरी	Imported Zinc and glass found missing from wagons at Meerut at city Station	61
1073	गाजियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी की जांच	Investigation into the theft of Iron material from singal workshop and coal at Ghaziabad	61
1074	प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सब-हैडस का निलंबित किया जाना	Suspension of sub heads of DAO, New Delhi (Northern Railway)	61
1075	रेलवे सेक्शनल आफिसर का पद समाप्त करना	Abolition of Post of Railway Sessional Officers . .	62
076	कोयला खान कम्पनियों और कम्पनी अधिनियम	Coal Mine Companies and the Companies Act	62–63

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1077	अजमेर और खांडवा के बीच रेल गाड़ियों का विलंब से चलना	Late running of trains between Ajmer and Khandwa . .	63
1078	रतलाम और चित्तोड़गढ़ के बीच चलने वाली शटल ट्रेन का बंद किया जाना	Cancellation of Shuttle train running between Ratlam and Chittaurgarh . . .	63
1079	बड़े स्टेशनों पर आरक्षण के लिये टोकन जारी करने की व्यवस्था	Issue of tokens for reservation at big stations . . .	63–64
1080	तट दूर तेल की खोज के लिये जापान और इटली के साथ ठेके	Contracts with Japan and Italy for Offshore Oil Exploration	64
1081	तेल कम्पनियों के लिये एक नियंत्रक कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a holding company for Oil Companies	64
1082	हल्दिया तेलशोधक कारखाने और अन्य परियोजनाओं के लिये अशोधित तेल हेतु यूनाइटिड अरब एमिरेटेंस के साथ करार	Agreement with UAE for Crude Oil for Haldia Refinery and other Projects . . .	64–65
1083	छिद्रण कार्यक्रम और रिगों का देश के अंदर ही उत्पादन किया जाना	Drilling Programme and Indiginous manufacture of Rigs .	65–66
1084	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी में वृद्धि	Increase in Daily Wages of Casual Labourers in Samastipur Division of North Eastern Railway	66
1085	प्रयाग-जोगबनी एक्सप्रेस को कटहरिया (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रोकने का प्रस्ताव	Proposal to stop Prayag Jogban Express at Katareah (N.Ei Railway)	66
1086	नारायणपुर स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस को ठहराने का प्रस्ताव	Proposal to halt Vaisali Express at Narainpur Station . .	66–67
1087	पश्चिम बंगाल में कंचरापाड़ा रेलवे कालोनी में महिलाओं पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार	Atrocities committed by police on Women in Kanchrapara Railway Colonies in West Bengal	67
1088	रेल कर्मचारियों की यूनियन के साथ बातचीत	Talks with Railway Employees' Union	67
1089	रेलवे की हड़ताल के दौरान प्रादेशिक सेना तथा अन्य यूनिटों द्वारा किये गये कार्य का मुआवजा दिया जाना	Recognition of Work done by Territorial Army and other Units during Railway Strike	68
1090	भूमि पर और तट दूर तेल छिद्रण के संबंध में हुई प्रगति	Progress on Inland and Offshore Oil Drilling . . .	68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1091	हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास	Development of Petro-Chemical Industries at Haldia . .	69
1092	गोआ उर्वरक संयंत्र में उत्पादन में कमी	Loss of Production at Goa Fertiliser Plant	69
1093	बिना टिकट यात्रियों द्वारा कानपुर के निकट जेहिंद पर रेलवे स्टेशन बनाया जाना	Railway Station established by Ticketless Travellers at Jaihind near Kanpur . . .	69–70
1094	महानगरों में काम कर रहे ट्रेवल एजेंट	Travel Agents operating in Metropolitan Cities . .	70
1095	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी तथा मनीपुर की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों पर खर्च	Expenditure on Elections to Legislative Assemblies of Uttar Pradesh, Orissa, Pondicherry and Manipur .	70–71
1097	भट्टी तेल उपलब्ध न होने के कारण केरल में औद्योगिक कारखाने बंद हो जाने का खतरा	Threatened closure of Industrial Units in Kerala for Non-availability of Furnace Oil .	71–72
1098	एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम मीटर लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना	Conversion of Ernakulam-Trivandrum Line into Broad Gauge Line . . .	72
1099	रेलवे पुलिस के सिपाहियों की साठ-गांठ से बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling with the connivance of Railway Police Constable	72
1100	बरौनी तेलशोधक कारखाने की गंदगी से गंगा नदी का पानी दूषित होना	Pollution of Ganga by Barauni Refinery	72–73
1101	तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेलवे में उत्पादकता में वृद्धि	Increase in Productivity in Railway during Third and Fourth Plan Periods . .	73–74
	विशेषाधिकार का प्रश्न —	Question of privilege —	
	(एक) सीमेंट तथा इस्पात के बारे में विदेश मंत्री द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की बैठक में कथित वक्तव्य	Reported Statement by the Minister of External Affairs at the meeting of NBO, re. cement and steel . . .	74
	(दो) 20 अप्रैल, 1974 को 'आर्गेनाइजर' में प्रकाशित लेख	Article published in 'Organiser' dated 20th April, 1974 .	74–75
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	75–77

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में भारत में कथित चिंता—	Reported concern in India about WHO research projects—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Bajpayee	78–79
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	78-79, 80-82,83
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
10वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Tenth Report—Presented	83
हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक—पुरःस्थापित हुआ	University of Hyderabad Bill—Introduced	83
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) मध्य प्रदेश के एक गांव में हरिजनों पर कथित अत्याचार	Reported Atrocities on Harijans in a Village in Madhya Pradesh	83–84
(दो) बिहार सरकार द्वारा अध्यादेशों का जारी किया जाना	Issue of Ordinances by the Government of Bihar	84
चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Cinematography (Second Amendment) Bill—	
खंड 5 से 21 तथा 1	Clauses 5 to 21 and 1	84–89
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में—	Motion to Pass as amended—	
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	89,91,92
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	89-90,91
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	90
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	90
श्री बालकृष्ण वेंकण्णा नायक	Shri B. V. Naik	90
श्री के० एम० "मधुकर"	Shri K. M. Madhukar	90
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	91
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazara	91
अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1974-75—	Demands for Grants (Pondicherry) 1974-75—	
श्री नुरूल हुडा	Shri Noorul Huda	93–94
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	94
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	95–96
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram	96–99

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	99
श्री अरविंद बाला पजनोर	Shri Aravinda Bala Pajanor .	99–100
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	100–101
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan . .	101
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	101
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh .	101–103
पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1974—	Pondicherry Appropriation Bill, 1974—	
पुरस्थापित करने, विचार करने तथा पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Introduce, Consider and pass—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	105–106
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
45 वां प्रतिवदन—प्रस्तुत हुआ	Forty-Fifth Report—Presented	106

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 30 जुलाई, [1974/8 श्रावण, 1896 (शक)

Tuesday, July 30, 1974/Sravana 8, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रो० मधु दंडवते : अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 121 तथा 123 काफी हद तक एक जैसे हैं। अतः उन्हें एक साथ लिया जाना चाहिये। प्रश्न संख्या 123 में जिस प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, प्रश्न संख्या 121 में बिलकुल वही चीज है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री रामावतार शास्त्री भी उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम भी यह देखते हैं कि यदि प्रश्न समान या एक जैसे होते हैं तो उन्हें जोड़ दिया जाता है। परन्तु यह दोनों प्रश्न समान नहीं हैं। प्रश्न संख्या 123 एक अलग प्रश्न है।

Shri Madhu Dandavate : My question is also the outcome of N. C. C. R. S. resolution.

Mr. Speaker : All right, you may ask.

27 मई, 1974 को आकाशवाणी से प्रसारित किया गया रेल मंत्री का वक्तव्य

*121. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मई, 1974 को आकाशवाणी से रेल मंत्री का वक्तव्य प्रसारित किया गया था जिसमें हड़ताल वापस ले लिये जान क परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत पुनः आरम्भ करने की सरकार की इच्छा व्यक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार बातचीत कब से पुनः आरम्भ करने का है?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 27 मई, 1974 को समाचार पत्रों को बिना-शर्त हड़ताल वापस लेने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए, मैंने उन्हें बताया था कि प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच बातचीत सदैव हो सकती है क्योंकि यह ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एक अनिवार्यता है। इस बात को उसी दिन आकाशवाणी ने भी अपने 9 बजे रात के बुलेटिन में प्रसारित किया था ।

(ख) यह रेलों के दोनों मान्यताप्राप्त फ़ेडरेशनों पर निर्भर करता है कि वे किसी बातचीत के लिए प्रस्ताव स्थायी वार्तातन्त्र के अन्तर्गत करें अथवा संयुक्त वार्तातन्त्र के अधीन ।

Resolutions passed by N.C.C.R.S. on 26th June, 1974

+

*123. **Shri Ramavatar Shastri :**

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received the resolutions adopted at the meeting of the National Coordination Committee of the Railway's Struggle held on the 26th June, 1974 ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the reaction of Government thereto?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : (क) और (ख) रेल कर्मचारी संघर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति की 26 जून, 1974 की बैठक में पारित संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है। चूंकि सरकार रेल कर्मचारी संघर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति को मान्यता नहीं देती अत: उसकी सुनवाई नहीं की गयी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय का उत्तर एक परवर्ती विचार मालुम होता है। क्या यह सच नहीं है कि स्थाई समझौता वार्ता व्यवस्था तथा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के उपबन्धों के बावजूद श्री जार्ज फरनांडीस की गिरफ्तारी, यथा 30 अप्रैल तक रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से बातचीत की गई थी ? क्या कारण है कि बातचीत वहीं से पुन: आरम्भ करने की अपेक्षा अब फिर स्थाई समझौता वार्ता व्यवस्था तथा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का उल्लेख किया जा रहा है ? अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बातचीत वही से आगे आरम्भ की जायेगी, जहां तक वह हो चुकी थी और यदि नहीं तो ऐसे क्या विशेष कारण हैं जो कि हड़ताल टूटने के बाद उत्पन्न हो गये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमने ए० आई० आर० एफ० के साथ बातचीत की थी, जिससे माननीय सदस्य सम्बन्धित हैं। इसके साथ ही, एन० एफ० आर० से भी बातचीत की गई थी। मेरे सहयोगी श्री कुरेशी उसमें शामिल थे तथा मैंने भी उसमें भाग लिया था। उस समय छ: शर्तों पर समझौता हो गया था। दो शर्तों पर कोई समझौता नहीं हो पाया था और यह बातचीत समाप्त हो गई। उसके बाद हड़ताल हो गई; श्री जार्ज फरनांडीस को गिरफ्तार कर लिया गया और आज स्थिति यह है कि छ: मांगें तो हम मान चुके हैं तथा बोनस व समानता से सम्बद्ध दोनों शर्तों हम मानने को तयार नहीं हैं। अत: हम समझते हैं कि इन परिस्थितियों में बातचीत करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हमने एन० सी० आर० एस० के साथ या इसका जो भी अन्य नाम हैं, हमने इसके साथ बातचीत नहीं की थी। हमने ए० आई० आर० एफ० तथा एन० एफ० आर० के साथ बातचीत की थी और यह बात इन सज्जनों को भेजे गये मेरे निमंत्रण पत्र से स्पष्ट है।

प्रो० मधु दण्डवते : में स्पष्टीकरण चाहता हूं। इनके अनुसार, 6 मांगों पर समझौता हो गया था तथा केवल दो मांगों पर ही समझौता नहीं हो पाया था। अब वह कहते है कि आगे बातचीत करन का कोई आधार ही नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। क्या यह सच नहीं है कि आल इण्डिया

रेलवेमेन्स फेडरेशन तथा फेडरेशन के जो अन्य प्रतिनिधि उनके साथ थे; व उन छः मांगों से ही सहमत नहीं हुये ? सरकार ने चाहे उनके बारे में निर्णय कर लिया हो परन्तु फेडरेशन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। वह यह कैसे कह सकते हैं कि बातचीत करने का कोई आधार ही नहीं है ? अतः पहले आप मेरे प्रथम प्रश्न का स्पष्टीकरण दीजिये उसके बाद ही मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री एल० एन० मिश्र : चर्चा स्पष्ट थी और उसके बारे में स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा छः मांगे स्वीकार कर ली गई थीं तथा उनके कार्यवाही सारांश को अन्तिम रूप दिया जाना था। दोनों ही संगठनों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। जब इस कार्यवाही सारांश को अन्तिम रूप दिया जा रहा था तथा दूसरे दिन सुबह को होने वाली बैठक में उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना था, तभी बीच में यह घटना घट गई। बैठक हुई तथा आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। यद्यपि एन० एफ० आर० के लोग उसमें उपस्थित थे। निस्संदेह उसमें सरकारी निर्णय की घोषणा कर दी गई। मैं यह कहने को तैयार हूं कि जहां तहां कुछ शर्तें लगाने के बाद ये मांगें स्वीकार कर ली गई। अधिकांशतया उन्हें मान लिया गया था। आज यद्यपि वे उन्हें नहीं मानते हैं, जब छः मांगे स्वीकार कर ली गईं, तो और अधिक क्या किया जा सकता है . . . (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये, आप जैसे जिम्मेदार प्रोफेसर से कम से कम मैं नियमों के उल्लंघन की अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि आप सीधे अपना पूरक प्रश्न पूछें। अन्य पूरक प्रश्न के रूप में आप स्पष्टीकरण न मांगते रहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मेरा प्रथम प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए आप स्वीकार नही करते तो मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में स्थाई समझौता वार्ता व्यवस्था या संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के उपबन्धों के अन्तर्गत उन्हें चर्चा करनी थी। क्या यह सच नहीं है कि उपबन्धों के अन्तर्गत भी पहले ही कार्यावलियां तैयार कर ली गयी थी और हड़ताल के बाद भी जब आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने पहले ही उन्हें कार्यावली भेज दी थी, तो भी उस पर कोई चर्चा नहीं की गई ? जहां तक संयुक्त समझौता वार्ता व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसकी कार्यावली आप को फरवरी में ही भेज दी गयी थी; यद्यपि बैठक उनकी अप्रैल में होनी थी। परन्तु कुछ अन्य कारणों से बैठक न हो सकी। आप संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के उपबन्धों का उल्लेख ही क्यों करते हैं ? क्या आप ऐसा इसलिये करते हैं कि बातचीत में और विलम्ब किया जा सके तथा उसे स्थगित किया जा सके ?

श्री एल० न० मिश्र : जहां तक छः मांगों का सम्बन्ध है, उनके बारे में और बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी कई और मांगें हो सकती हैं। मैं यह तो नहीं कह रहा कि उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। मैंने यह कहा है परन्तु इसका दावा कभी नहीं किया है। मुझे बताया गया है कि बैठक हुई थी और ऐसी बैठकें निरन्तर होती रहती हैं। बैठकें तीन स्तरों पर होती हैं। मैं बैठकों का विरोध नहीं कर रहा। मन तो यही कहा था कि इन मांगों के बारे में बातचीत नहीं की जा सकती। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया आप बैठ जाइये।

Shri Ramavatar Shastri : May I know if it is not a fact that during the days when strike was going on and even after the strike, it was repeatedly announced by the President, the Prime Minister, the Railway Minister and the Home Minister that there would not be any victimisation of railway employees participating in the strike and an amicable solution

of the problem would be found out after an agreeable dialogue with different organisations of Railwaymen? When once they had said all this then what is the justification for not starting a dialogue with N.C.C.R.S. and Railwaymen's Federation and is the Government of India not sabotaging the Labour class of India and its Labour Movement ?

Snri L. N. Mishra : The question of sabotaging does not arise. The Prime Minister as well as our Government have the same wormth and sympathy for the labour class as he poses to possess and it is in no way less. So far as strike is concerned, we declared well in advance that it would be an illegal strike and they will have to face the consequences. But evenafter that I feel, we are taking a liberal view and showing soft corner to strikers.

Shri Ramavatar Shastri : In view of the prevailing discontentment among the labours and to restore normalcy, will it not be advisable to suspend all such actions without any further loss of time?

Shri L. N. Mishra : Now normalcy is there and nothing abnormal is there. Some trains might be running late, but situation in Railways is not abnormal. As far as the withdrawal is concerned, when the House was discussing three days back the 'No-Confidence Motion', I gave the figures of the persons arrested and released. About 19,000 persons were arrested whereas now only 6,000 are left under arrest that way, 15,000 persons have been released. Gradually each case is being looked into and when we are satisfied with their replies, we take them back. Individual cases are being looked into and we have the least intention to victimise anybody.

Dr. Laxminarain Pandeya : The Hon. Minister has stated that out of the eight demands, six were discussed, and acceded to. But still a dispute was going on that these were not accepted whereas, according to Minister these were accepted. Then you discussed it with the leaders of National Action Committee which was a Co-ordination Committee also. The same was also discussed with the representatives of I.A.R.F. and N.F.I.R. May I know as to why, despite your assurances, the employees of different Railways are being maltreateb? expelled from service, transferred, asked to vacate quarters and subjected to court cases? To sort out all these problems and to ventilate the feelings of victimisation from the minds of employees, I know if you are prepared to negotiate on a Common platform?

Shri L. N. Mishra : The same thing is being repeated. It has already been stated that Co-ordination Actior Committee is not recognised by us. I am not going to give any cognizance to it. If it was formed for struggle, then struggle is over and it is no longer required. If you want to thrust the same even now, I am prepared for that also and I will not recognise the same. Regarding victimisation, I have already given the figures. As far as the vacating of quarters is concerned, only 34 quarters were got vacated whereas in India there are 17 lakhs workers. Out of these 34, 32 are dismissed employees. Only two quarters of such employees have been got vacated against whom proceedings are going on. This I am stating on the basis of my memory. We do not intended to victimize anybody. It has been discussed at length. You are going on harping upon the same tune. We will not depart from our line of action. (*Interruptions.*)

Mr. Speaker : No problem can be solved with this hue and cry. It has become at everyday affair.

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय बार बार गलत बयानी कर सकते हैं? हमारे पास हजारों तार तथा रिपोर्ट आ रही हैं कि उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा है तथा उनकी सेवा में व्यवधान डाला जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय बार बार ऐसा वक्तव्य क्यों दे रहे हैं, जो तथ्यों की दृष्टि से गलत है।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I seek this clarification that it was assured by the Government in this House as well as outside the House that negotiations would be held only with the recognised federations, then how the Government was inclined to negotiate with N.C.C.R.S., which was constituted and Government held negotiations with it prior to strike?

I would also like to know whether any minutes were prepared for these six demands which were accepted and if so, whether they were signed by recognised federations and others also?

Shri L. N. Mishra : I never said that we had any negotiations with N.C.C.R.S. I have said that we wrote to the Presidents of A.I.R.F. and N.F.I.R., which are recognised federations, to send their delegations. We have got no control upon them. We have recognised only these two. We have not given any recognition to Action Committee and this was not at all referred during the course of negotitations . Even now we do not recognise the same. It is misleading that we recognised the same.

As regard the minutes, these were prepared on Saturday, which was perhaps a holiday. Our representatives as well as the delegates of I.A.R.F. and N.F.I.R. were there and only signatures were to be put. Next morning Shri George Fernandez was arrested. Our meeting was held at 9 A.M. the same day and the delegates of N.F.I.R. were there. The representatives of A.I.R.F. did not turn up. Those who were present accepted that. How can I say anything about those who were not present.

Shri Narsingh Narain Pandey : Out of those who attended, who were the persons to sign ?

Shri L. N. Mishra : It was accepted by all the men of N.F.I.R. who were present there.

श्री मधु लिमय : कार्यवाही–सारांश पर किस ने हस्ताक्षर किये हैं ? किस संगठन ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने कई बार बताया है कि एन० एफ० आर० के लोगों ने उसपर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया था । कार्यवाही सारांश उनके समक्ष पढ़ा गया था और उन सभी ने उसे स्वीकार कर लिया था ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने बताया कि एन० एफ० आर० के लोगों ने उस बर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया था । यह कैसे संभव हो सकता है ? आप मंत्री महोदय से यह बताने को कहिये कि किसने हस्ताक्षर किये थे । प्रश्न बिलकुल स्पष्ट था की क्या उनमे से किसी पर हस्ताक्षर किये गये थे । परन्तु वह केवल यही कह रहे हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया गया था । उन्होंने यह नही बताया के उस पर हस्ताक्षर किये गये थे या नही । यह बहुत ही संगत प्रश्न है । उन्होंने इसका उत्तर नही दिया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मेरी समझ में नही आता कि वह क्यों इधर उधर की बातें करते जा रही हैं । मैं बता चुका हूं कि जो लोग वहां उपस्थित थे, उनके समक्ष सभापति द्वारा कार्यवाही सारांश पढ़ा गया तथा उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया । मुझे यह याद नहीं है कि उस पर किसने हस्ताक्षर किये, चार या पांच प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य वहां उपस्थित थे । अच्छा हो यदि वह एन० एफ० आर० के लोगों से ही यह पूछ ले कि क्या उन्होंने स्वीकार किया था या नही । मैं तो अपने उन मित्रों के नाम बताने वाला नही हूं क्योंकि ऐसा करने से मैं उन्हें विकट स्थिति में डाल दुंगा । परन्तु मैं इतना आवश्यक कहना चाहता हूं कि ए० आई० आर० एफ० क प्रतिनिधि मंडल में अनेक संसद सदस्य भी थे जिन्होंने बैठक के कार्यवाही–सारांश को स्वीकार किया था ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : वे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : कर्मचारियों के मस्तिष्क से यह धारणा दूर करने के लिये कि उन्हें हानि पहुंचाई जा रही है, मैं समझता हुं कि सेवा से हटाये गये लोगों क मामलों का निपटारा शीघ्र से शीघ्र कर दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धकों के समक्ष आने वाली एक कठिनाई यह भी है की उनके पास अपने आदेशों का पुनर्विलोकन करन की शक्ति नहीं है। यह कार्य रेलवे बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। यदि यह मामले रेलवे बोर्ड को भजे जाते हैं तो इसका तात्पर्य होगा उनक निपटारे में विलम्ब। अत: इन परिस्थितियों म क्या सरकार का विचार महाप्रबन्धकों की शक्तियों पर पुनर्विचार करने का है या सरकार का विचार कुछ ऐसे अन्य कदम उठाने का है जिनसे इन मामलों का निपटारा शीघ्र हो सके ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक सेवा में व्यवधान पड़ने का सम्बन्ध है, इससे लगभग 5.5 लाख कर्मचारी प्रभावित हुये है। इनमें से 60,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है तथा उनका सेवा व्यवधान माफ कर दिया गया है। सभी क्षेत्रीय संबन्धों द्वारा उनकी जांच की जा रही है और मुझे आशा है कि इनका निपटारा करने में अधिक समय नहीं लगेगा। प्रत्येक मामले पर अलग-अलग रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में महाप्रबन्धक द्वारा यह कहा जा रहा है कि नियमों के अन्तर्गत उसे अपने ही द्वारा निपटाये गये मामलों का पुनर्विलोकन करने की कोई शक्ति नहीं है। क्या आप उन्हें ऐसे मामलों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं या आप कोई ऐसा प्रक्रिया अपना रहे हैं जिससे इन मामलों का निपटारा शीघ्रतापूवक किया जा सके ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमने विकेन्द्रीकरण कर दिया है, हम मामलों को तुरन्त ही निपटाना चाहते हैं। जोनल मैनजरों क पास शक्तियां हैं और बनी रहेंगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : During the railway strike a few friends from the Opposition side had met the Prime Minister. In that meening the Government had suggested that in case the strike was withdrawn, talks could be resumed with the railway employees Now, I want to know why talks are not being resumed with them? The hon. Minister had admitted that Shri Fernandes was allowed to bring with him the persons whom the wanted to bring during the last discussions. May I know whether that position still holds good... (*Interruptions*) you are going back from your word. I want to know the difficulty in holding talks with the former *Sangharsha Samiti*?

Shri L. N. Mishra : In the very beginning, I had stated that we do not recognise any *Sangharsha Samiti*. We recognise two federatio s—All India Railwaymen's Federation and National Federation of Indian Railwaymen. Talks can be had with these two now as well as in future also. As regards the eight demands, those have already been discussed and out of them, six have been accpeted and rest of the two we are not prepared to accept not at all. The two points cannot form the basis of talks. We are prepared to sit and talk with these two Federations any day. In case, there are any new propositions. The General Managers would sit with them. I am also prepared to talk with them, if needed. But let them first have someting to put forth.... (*Interruptions*) I wont say that you are uttering something wrong, but the Government had not offered a formula that everybody would be set free after the strike was called off. The Government had contradicted such a Statement the very next day.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We were present. He is saying so before us.

Shri L. N. Mishra : We too were there. But what is the need in going into that ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have got a point of order. I was not all alone in the meeting called by the Prime Minister. All the opposition leaders were there. Shri Fakhruddin Ali Ahmed had offered a 3-point formula. Today the Railway Minister is denying even that one. He is not prepared to honour that..... (*interruptions*). My question has not been replied to. May I know whether talks would be held with Shri Fernandes if he brings some other persons also with him. This was the position before the strike ended. What is the need of changing this position now?

Shri L. N. Mishra : There is no need of getting angry. The situation is quite cool now. You say that there was a 3-point formula from Government's side. It might be, if you say so. You and myself both were there. You can say what you think proper and I too can have my say. We have put forth what we could make out therefrom. The hon. Member says that the government is not prepared to talk to N.C.C.R.S. we have said that the A.I.R.F. is at liberty to bring anybody in their delegation, we have no objection. We have said that the new organisation N.C.C.R.S. has not been given recognition whereas A.I.R.F. enjoys full recognition that organisations members can come. Shri Indrajit Gupta can come.

श्री पीलू मोदी : प्रत्येक समाचार पत्र में इसे प्रधान मंत्री का तीन सूत्रीय फार्मूला कहा है।

श्री एल० एन० मिश्र : यह प्रधान मंत्री का फार्मूला नहीं था।

श्री पीलू मोदी : तो फिर समाचार पत्रों ने ऐसा क्यों कहा ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री फकरुद्दीन अली अहमद का नाम लिया गया है जो कि अब मंत्री नहीं हैं। वह इस सभा के एक सदस्य हैं। वह मंत्री मंडल के सदस्य थे और क्योंकि उनका नाम यहां आया है और यह कहा गया कि मंत्री मंडल के एक सदस्य ने फार्मूला पेश किया था, उन्हें यहां बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाये। वह दिल्ली में हैं। यदि यह पाया गया कि वह गलती पर हैं तो ऐसे व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ऐसे व्यवस्था के प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाये जाने चाहियें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय दिन रात यही अलापते हैं कि हड़ताल के नोटिस में पेश की गई मांगों में से छः को स्वीकार कर लिया गया है। एक मांग रेलवे से नैमित्तिक श्रमिक व्यवस्था समाप्त करने की थी और उनके अनुसार इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या हड़ताल के दौरान हजारों कर्मचारी नैमित्तिक श्रमिक के रुप में छः मास और इसके अधिक सेवा पूरी कर चुके थे और जो कि नियमित वेतनमान वाले अस्थाई कर्मचारी बन चुके थे, और उन्हे बरखास्त कर दिया गया है और अब उनसे कहा जा रहा है कि उन्हे केवल इसी शर्त पर काम पर वापस लिया जायेगा कि वे फिर से दैनिक मजूरी के आधार पर नैमितिक श्रमिक के रुप में भरती हों ?

श्री एल० एन० मिश्र : श्री इंद्रजीत गुप्त ने यह बात चर्चा के दौरान तथा कलकत्ता में भी उठाई थी, जहां वह मुझसे मिले थे। मैंने कहा था कि मियाभाय पंचाट के शिफारिशों की परिधि में उनके सुझावों के अनुसार ही नैमित्तिक कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जा सकता है। मैं यह पता लगाने का प्रयास करूंगा कि क्या अस्थायी कर्मचारियों को नैमित्तिक कर्मचारीयोंके रूप में माना जा रहा है। ऐसे मामले मेरी नजर से नहीं गुजरे हैं। एक बात श्री गुप्त अनुभव करेंगे। काम नहीं तो वेतन नहीं की आधार पर हड़ताल करने वाले प्रायः प्रत्येक कर्मचारी की सेवा में व्यवधान आया है और हम उस व्यवधान को माफ नहीं कर रहे हैं। इसलिये ऐसी कठिनाइयां तो है परन्तु मैं इसकी जांच करूंगा ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर बहुत समय लग गया है ।

Shri Madhu Limaye : A railway circular reads as under:—

"It has been observed that despite the issue of Shri Goel's D.O. no appreciable progress has been made either in regard to porcessing of cases of condonation of break in service or disposal of appeals preferred by the May, 1974 strikers against their dismissal, removal, termination. The Board have also expressed their concern on this account."

This shows that the Railway Board authorities are themselves concerned over the non-disposal of removal or termination cases expeditiously. The hon. Minister had some talks with some MPs. I had sent a report in that behalf to him and he had not contradicted that since I had recorded only what he had actually said.

About the victimisations etc. the hon. Minister in a Radio broadcast, was quoted as under :—

"The Railway Minister has stated that there will be no victimisation of the employees who participated in the strike but the cases of those who are charged with violence, sabotage, etc. will be dealt with according to law."

So, why those employees are not being reinstated immediately who have not been charged with violence, setting fire etc.? The Railway Board is expressing concern over non implementations of its directives by the administration. Would the hon. Minister assure this House that all such cases would be finalised within two days and the House would not be given a chance for complaint in this matter?

Shri L. N. Mishra : We have clearly said that we are going into every individual case. About 5·5 lakh employees have been affected by break in Service and we have condoned 60,000 of them. The examination of rest of the cases would take some time. We would examine each case on merit.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं ? वह कहे जा रहे है कि सेवा में व्यवधान के 60,000 मामलों पर निर्णय कर लिया गया है । क्या यही बात उन पर भी लागू होती है जो बरखास्त कर दिये गये हैं । जिस व्यक्ति को बरखास्त नहीं किया गया है, व्यवधान तो उनकी सेवा में भी है । माननीय सदस्य तो कुछ और ही पूछ रहे हैं परतु मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : मंत्री महोदय के लिये यही कहना सर्वोत्तम होगा कि कितने व्यक्ति हिंसा तथा तोड़ फोड़ के लिये उत्तरदायी हैं । यदि हमें यह बात मालूम होती तो इस संख्या को घटा लिया जाता । इस में कठिनाई क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने इस प्रश्न पर 40 मिनट ले लिये हैं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, in case the Government did not expedite action, much more valuable time of this House would be taken away.

Mr. Speaker : Then you don't call it a Question Hour but call it a Debate Hour.

Shri Madhu Limaye : This Concerns lakh's of people. The hon. Minister is taking these things in a casual manner. What had transpired between him and us and which I have recorded and has not been contradicted by him, why that is not being implemented; what is the dispute therein (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री क० एस० चावड़ा : आज प्रश्नों की कुल संख्या 18 है क्योंकि दो प्रश्न संख्या 122 तथा 134 स्थानान्तरित हो गये हैं और दो सदस्यों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले भी ऐसा होता रहा है, प्रश्न–सूची छपने के कुछ समय बाद सदस्य स्वयं लिख देता है कि उसका प्रश्न स्थानान्तरित कर दिया जाये। कभी कभी विभाग लिखता है क्योंकि कि यह विवाद रहता है कि कौन उसका उत्तर देगा। इस प्रकार अध्यक्ष को स्थानान्तरण का अनुरोध स्वीकार करना पड़ता है।

कृषि मंत्रालय की राज्यों को अधिक मात्रा में डीजल तेल दिये जाने की मांग

+

*127. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राज्यों को अधिक डीजल तेल दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुवा) : (क) कृषि मंत्री ने किसानों को डीजिल तेल की पर्याप्त व्यवस्था के लिए अनुरोध किया है।

(ख) कृषि क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार डीजल तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : 30 जून को मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि राज्यों की डीज़ल तेल की पूरी आवश्यकताओं को पुरा किया जायेगा। क्या पंजाब ने डीजल तेल के लिये अनुरोध किया था और यदि हां, तो पंजाब को उसकी कितनी मात्रा सप्लाई की गई है ?

श्री देवकांत बरूआ : यह सही है कि एक वक्तव्य दिया गया था कि हम कृषि के लिए डीजल संबंधी मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पंजाब कृषि की दृष्टि से एक अत्यन्त विकसित राज्य है। उसकी मांग बहुत बड़ी है और इस लिये पंजाब की ओर से दबाव भी बहुत पड़ रहा है। समय-समय पर वहां के अधिकारी हमसे मिलने आते रहे हैं। हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने हमें बताया है कि उनकी जरुरत न्यूनाफिक पूरी हो गई है और उनको इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। यह बात मुझे मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने बताई। इस वर्ष उनकी आवश्यकता 1,17,996 टन हाई स्पीड डीज़ल तथा 81,225 एल० डी० ओ० की है। मैं नहीं जानता कि उनको कितना दिया गया है। परंतु उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि बिहार को डीजल की बहुत कम मात्रा में सप्लाई की जाती है और इसलिये डीजल की कमी के कारण कृषकों को हानि व परेशानी हो रही है, और इसलिए खेत सूखते जा रहे है।

श्री देवकांत बरूआ : बिहार में कृषि अत्याधिक यंत्रीकृत नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं इसका विरोध करता हूं। बिहार समूचे भारत में दूसरे नम्बर पर है।

श्री देवकांत बरूआ : मैंने यंत्रीकृत होने के सन्दर्भ में कहा था।

श्री वसन्त साठे : उन्हें बिहार के बारे में मालूम है क्योंकि वह एक बार वहां के राज्यपाल रह चुके हैं।

श्री देवकान्त बरुआ : बिहार की डीज़ल तेल की अनुमानित मांग 10,907 टन है और एल० डी० ओ० की मांग 45,390 टन की है।

श्री डी० एन० तिवारी : उस में से कितनी मात्रा दे दी गई है ?

श्री देवकान्त बरुआ : ऐसे प्रबंध कर रखे हैं कि समय-समय पर माल जाता रहता है। मुझे बिहार के मंत्री से कोई शिकायत नहीं मिली है। उनसे मैं परसो भी मिला था।

Shri Hukum Chand Kachwai : Through you, Sir, I want to khow this. In reply to a question, the hon. Minister has said that there have been strong pressure from Punjab and that he was glad to meet the demands. Should the other States also put pressures to get their demands met ? I want to know which State has asked for how much diesel ; how much they have been given and how much is yet to be given ?

Shri D. K. Barooah : There is no question of pressures. It is given for agriculture and allied purposes and is given as per the requirements. There is comparatively less demand for agriculture in his State Madhya Pradesh. We were taking here of estimated demands and Madhya Pradesh's demand is 4,627 tonnes and we would fulfil that....

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister had clearly Stated that there have been strong pressures from Punjab time and again and that he was happy to meet their demands. I had asked the data of the demands of and supply to the various States and not for Madhya Pradesh only.

Shri D. K. Barooah : I have got a complete list before me but it would take time, if I read it out. Therefore, I would lay it on the table.

श्री राम सहाय पाण्डे : पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो अभाव के समय हमारी रक्षा को आते हैं। मैं इससे संबंधित नहीं कि वहां के मुख्य मंत्री संतुष्ट हैं अथवा नहीं, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने वस्तुत: कितनी मांग की थी और उसमें से कितनी मांग पूरी की गई ?

श्री देवकांत बरुआ : मैं एक मामूली सा संशोधन करना चाहूंगा। डीजल तेल पम्पों तथा ट्रैक्टरों दोनों के लिये होता है, हलां कि अधिकतर पम्पों के लिये ही प्रयोग में आता है। मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे पम्पों के संबंध में हैं। ट्रैक्टरों के लिये भी डीजल की मांग है। यदि आप इस विवरण को देखें जिसमें प्रत्येक राज्य में खपत के आंकड़े हैं तो आप पायेंगे कि हम आमतौर पर मांग पूरी करते रहे हैं और इस संबंध में अधिक शिकायतें नहीं रही हैं।

श्री राम सहाय पाण्डे : मंत्री महोदय ने किसी अन्य सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया है, मेरे प्रश्न का नहीं। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि पंजाब या हरियाणा के राज्य मंत्री संतुष्ट हैं या नहीं। आपने उनके साथ मीठी मीठी बातें की होंगी तभी तो वे खुश हैं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि पंजाब तथा हरियाणा के किसानों ने अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य से जो आवश्यकता बताई थी, उसे पूरा किया गया अथवा नहीं।

श्री देवकान्त बरुआ : मैंने केवल पंजाब तथा हरियाणा की ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवश्यकतायें भी पूरी कर दी हैं। उन्होंने भारत का वह भाग अर्थात् पश्चिमी उत्तर प्रदेश भुला दिया जो कृषि की दृष्टि से बहुत आगे है। तमिल नाडु के सदस्य भी संतुष्ट होंगे क्योंकि मैं ने तामिल नाडु की मांग भी पूरी कर दी है।

Shri M. C. Daga : Backward States where power is not in planty, wells are very deep and diesel pumps are used. How much diesel has been given to there. They have not been given even 50 percent of their requirements.

Shri D. K. Barooah : Not the diesel oil but L.D.O. is used where power is not available. As regards Rajasthan, they have been given 39,674 tonnes of L.D.O. Diesel is given in less quantity because less diesel is used in pumps.

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय संतुष्ट प्रतीत होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसाकि उन्हों ने सभी राज्यों की आवश्यकताएं पूरी कर दी हैं और राज्य सरकारों को इस संबंध में किसी किस्म की शिकायत नहीं। इसके बावजूद, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अधिकांश मात्रा में कमी किसानों द्वारा ही महसूस की जा रही है और सप्लाई का बडा भाग चोर बाजार को जा रहा है, यदि हां तो यह सुनिश्चित करने के लिए, कि सारी सप्लाई किसानों को ही मिले और चोर बाजार में उसका कुछ भी भाग न जाए, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक कृषि उद्देश्यों के लिए डीज़ल और एल० डी० ओ० का सम्बन्ध है, हमने न केवल बराबर सप्लाई ही की है। कुछ अन्य उत्पादों की कमी है—अपितु उसमें वृद्धि भी की है। अतएव जहां तक कृषि उद्देश्यों हेतु डीजल और एल० डी० ओ० का संबंध है कोई कमी नहीं होनी चाहिए ? कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं जहां डीजल तेल का प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है . . .

एक माननीय सदस्य : इसको आप कैसे रोकते हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ : राज्य सरकारों ने इसके लिए पहले से उपाय किए हैं। वे खेतिहरों को उनके ट्रैक्टरों तथा पम्पों के आधार पर कार्ड दे रहे हैं। वे पड़ौसी स्त्रोतों से इसे इकट्ठा करते हैं। इसके कुछ न कुछ भाग का गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया, ट्रकों इत्यादि के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना तो रहती है। ऐसा अधिकांशत : उन क्षेत्रों में होता है जहां कि कृषि अत्यधिक विकसित नहीं। उन क्षेत्रों में जहां कृषि काफी विकसित है, वहां पर डीजल, किसानों को उनके अपने स्त्रोतों से ही नहीं बल्कि अन्य स्त्रोतों से भी प्राप्त होता है। यह तो कृषि के विकास पर निर्भर करता है। यदि कृषि का स्तर उंचा है तो मांग अधिक होती है और उन्हें डीज़ल अन्य स्त्रोतों से भी प्राप्त हो जाता है।

यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारें खेतिहरों को डीजल कार्ड देकर इसका नियंत्रण करें और खेतिहर डीजल और एल० डी० ओ० पड़ौसी परचून विक्रेताओं से प्राप्त करें। यह व्यवस्था हमने की है और अब सब कुछ राज्य सरकारों पर निर्भर है। यह व्यवस्था उन राज्यों में जहांकि डीज़ल कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ढंग से कार्य कर रही है।

निर्वाचन व्यय की सीमा में वृधि करने का प्रस्ताव

+

*128. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचार सामग्री तथा संचार के साधनों सहित सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्वाचन व्यय की सीमा में, इसे अधिक व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) निर्वाचन आयोग इस विषय पर सभी पहलुओं से विचार करता रहा है। यह विषय अभी भी निर्वाचन आयोग के विचाराधीन है, जो किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व उचित समय पर राजनीतिक दलों से परामर्श कर सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एन० ई० होरो : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्वाचन आयोग के विचाराधीन विषयों में सरकार द्वारा निर्वाचन व्यय में राजसहायता का प्रश्न भी सम्मिलित है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : निर्वाचन आयोग इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के भाग I में कुछ सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों पर विचार करना सरकार का काम है।

श्री एन० ई० होरो : सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को इस संबंध में क्या मुख्य सूझाव दिए गए हैं?

श्री एच० आर० गोखले : जसाकि मैंने पहल बताया निर्वाचन आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या मुद्रास्फीति मूल्य वद्धि और पेट्रोल की कीमतों आदि को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन व्यय की सीमा में वृद्धि की जाय। यह प्रश्न पहले भी सदन में उठाया जा चुका है और तब भी मैंने कहा था कि हम इस मामले में अधिक कठोर नहीं हैं और हम निर्वाचन आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। क्योंकि निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने हमें सूचना दी है कि वह इस विषय पर सभी पहलुओं से विचार कर रहा है और निर्णय लेने से पूर्व वह हर हाल में राजनीतिक दलों से परामर्श करेंगे।

श्री बी० वी० नायक : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें निर्वाचन व्यय सीमा में वृद्धि करने के लिए कहा गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि संसद अथवा सभा की सीटें तथा निर्वाचन व्यय देश की आम जनता की पहुंच के भीतर हों?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : काफी समय से मूल्यों में वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले कीमतें काफी ऊंची हो गई थीं। तब ऊंची कीमतों को दृष्टि में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय की सीमा में वृद्धि करना क्यों नहीं उचित समझा? क्या कोई ऐसी व्यवस्था करने का भी विचार है जिससे कि राजनीतिक दलोंकों अपने उम्मीदवारों के निर्वाचन पर किए गए व्यय का ब्यौरा देने के लिए कहा जाएगा?

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, मैं इसका उत्तर पहले दूंगा इस प्रश्न पर संयुक्त समिति में चर्चा की गई थी, पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वह इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं। जब इस संबंध में विधेयक, जोकि पुरा: स्थापित किया जा चुका है, संसद के समक्ष आएगा तो संसद निर्णय कर लेगी कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, कि निर्वाचन आयोग ने बढ़ती हुई कीमतों को दृष्टि में रखते हुए पहले निर्वाचन व्यय की सीमा में वृद्धि क्यों नहीं की थी, इस बारे में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 20 वर्ष बाद, सिर्फ 3 साल पहले ही पिछली सीमा निर्धारित की गई थी और वह सम्पूर्ण स्थिति के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी हालत में निर्वाचन आयोग बिना राजनीतिक दलों से परामर्श किए एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय तेल निगम द्वारा बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों के लिये निम्न श्यानता भट्ठी तेल का उत्पादन

*124. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों के उपयोग के लिये भारतीय तेल निगम निम्न श्यानता भट्ठी तेल का परिष्करण पुनः शुरु कर दिया है ;

(ख) देश में बिजली उत्पादन के लिये निम्न श्यानता भट्ठी तेल की कुल कितनी आवश्यकता है और भारतीय तेल निगम के तेल शोधक कारखानों सहित भारत के तेल शोधक कारखानों में इस मद का कुल कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) क्या निम्न श्यानता भट्ठी तेल का उत्पादन आरम्भ करने का निर्णय सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) पूर्वी क्षेत्र के बिजली घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बरौनी शोधनशाला ने हाल ही में कम लसीलेपन के भट्ठी के तेल का उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान थरमल पावर केन्द्र में बिजली उत्पन्न करने के लिये भट्ठी के तेल की आवश्यकताओं का अनुमान 435,000 मीटरी टन है। पूर्वी क्षेत्र में बिजली घरों को छोड़ कर अन्य सभी इस समय भारी लसीलेपन के भट्टी के तेल का प्रयोग कर रहे हैं। 1974-75 के लिये कम लसीलेपन के भट्ठी के तेल (600 सैकड) के कुल उत्पादन का अनुमान 180,000 मीटरी टन होने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ बुक-स्टालों के लिये करार

*125. **श्री लालजी भाई :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अभी हाल में मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के साथ बुक स्टालों के बारे में एक करार किया है जो 1976 से लागू होगा और क्या उनके पहले के करार की अवधि दिसम्बर 1975 में समाप्त होगी ;

(ख) क्या नये करार से वर्तमान नियमों तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता है ;

(ग) क्या पहले कभी रेलवे ने वर्तमान करार की अवधि समाप्त होने से इतना समय पहले किसी अन्य फर्म के साथ कोई करार किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस फर्म के साथ विशेष पक्षपात करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) आमतौर पर बुक स्टालों के ठेकों के नवीकरण पर विचार प्रत्येक मामले की परिस्थिति और सम्बन्धित ठेकेदार के काम को ध्यान में रखते हुए चालू ठेके की अवधि से काफी पहले किया जाता है। अतएव, मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ कोई विशेष पक्षपात नहीं किया गया है। मसर्स हिगिन बाथम्स और गुलाब सिंह एण्ड सन्स जैसे अन्य ठेकेदारों के मामले में भी ठेको के नवीकरण के लिए समान रूप से कार्रवाई की गयी है।

बारामुरा, त्रिपुरा में तेल तथा गैस के लिये छिद्रण कार्य

*126. **श्री रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बारामुरा पहाड़ियों में तेल और गैस के लिये छिद्रण कार्य अभी हो रहा है ;

(ख) इस छिद्रण के बारे में क्या सम्भावनाएं हैं ;

(ग) क्या यह छिद्रण कार्य काफी समय तक स्थगित रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी, हां।

(ख) इस कुंए की वास्तविक गहराई 4500 मीटर है तथा 20-7-74 को 2559 मीटर की गहराई प्राप्त की गई। आशा है कि 3500 मीटर की गहराई पर लाभदायक स्तर प्राप्त होगा।

(ग) और (घ) व्यधन कार्य बार बार रुका तथा व्यधन रस्सी के टूट जाने के कारण लगभग 5 सप्ताह के लिए अन्तिम बार व्यधन कार्य रुका।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी

*129. **श्री एस० आर० दामाणी** :

श्री कृष्ण अग्रवाल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादो के मूल्यों में अप्रैल, 1974 से वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप उसकी खपत में कोई उल्लेखनीय कमी हुई है ;

(ख) जून, 1974 तक खपत के, महीनेवार, आंकड़े क्या हैं और वर्ष 1973 की उसी अवधि के आंकड़े क्या थे ; और

(ग) इन उत्पादों की खपत में और कमी करने के लिए क्या अन्य उपाय किये गये

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) अप्रैल-जून 1974 के दौरान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादो की खपत में जो कुल कमी हुई है वह 1973 की अवधि के बराबर है। मोटर स्पिरिट, नेफ्था, मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल आयल, एल० डी० ओ० भट्टी के तेल, विटुमन और अन्य उत्पादों की खपत में लगभग 2.2% कुल कमी हुई है।

(ख) (आंकड़े '000 मीटरी टनो में)

मास	1973	1974
अप्रैल . . .	1810.5	1776.4
मई . .	1880.7	1772.7
जून	1793.6	1814.5

(ग) विभिन्न उत्पादों की खपत को कम करने के लिए निम्नलिखित अन्य प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) राज्यो द्वारा मिट्टी के तेल के वितरन को सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि उसकी खपत कम हो सके। जिन प्रमुख स्थानों पर मिट्टी के तेल की खपत अधिक होती है वहां उसके स्थान पर साफ्ट कोक को अधिक उपलब्ध कराने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) विवाहोत्सवों आदि में जनित्रों द्वारा विद्युत तैयार करने के लिए डीजल आयल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं।

(iii) भट्ठी के तेल की सप्लाई को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है और उसकी खपत कम करने के लिए तेलोपभोग की कुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) उन उद्योगों के लिए विकास छूट की घोषणा की गई है जिन्होंने तेल अग्नि बायलरों के स्थान पर कोयला अग्नि बायलरों की स्थापना की है।

(v) वैकल्पिक सड़क बिल्डिंग सामग्रीयों के प्रयोग द्वारा विटूमन की खपत के बचत उपायों की खोज की जा रही है।

(vi) तेल के स्थान पर अन्य ऊर्जा स्रोतों के विकास करने में विज्ञान और प्रोद्योगिकी और योजना आयोग की राष्ट्रीय परिषद व्यस्त है।

वर्ष 1974-75 में अशोधित तेल की उपलब्धता तथा मांग

*130. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान अशोधित तेल की कुल उपलब्धता तथा पेट्रोलियम उत्पादों की सम्भावित खपत के बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) मांग तथा उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय अशोधित तेल अथवा उसके उत्पादों की उपलब्धता की समस्या नहीं है परन्तु मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की ऊंची विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने की है। अतः पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं ताकि जहां तक संभव हो सके मांग को अधिकतम सीमा तक कम किया जा सके ।

विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता के अन्तर्गत देशी उपलब्धता की अनुपूर्ति के लिए उत्पाद के अधिकतम आयात की व्यवस्था भी की गई है ।

गैस का वाणिज्यिक आयोग

*131. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष ने जून, 1974 के पहले सप्ताह में त्रिपुरा के तेल सम्पन्न क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्हें थोड़े समय के अन्दर गैस के वाणिज्यिक उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां गैस का उत्पादन कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष ने जून, 1974 के द्वितीय सप्ताह में त्रिपुरा में बारामुरा क्षेत्र का दौरा किया।

(ख) और (ग) भूगर्भीय आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर त्रिपुरा में तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्साह वर्द्धक आसार है। तथापि, राज्य के विभिन्न भागों में अनेक कुओं के व्यधन एवं परीक्षण के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से जानकारी प्राप्त होगी।

आग लगाने से बम्बई स्थित एक तेल भंडार केन्द्र को हुई क्षति

*132. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य बम्बई स्थित एक तेल भण्डार केन्द्र में हाल ही में भयंकर आग थी ;

(ख) क्या इस मामले में जांच का कोई आदेश दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) बम्बई में वाडला नामक स्थान पर स्थित वैस्टर्न इंडिया आयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी लि० के भंडार प्रतिष्ठापन में 5-7-1974 को आग लग गई थी ।

(ख) विस्फोटक नियन्त्रक, पश्चिमी मण्डल, बम्बई ने जांच की थी ।

(ग) जांच संबंधी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

संयंत्र और उनके उत्पादन

*133. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में, अलग-अलग चल रहे उर्वरक संयंत्रों की, राज्यवार, संख्या कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 में प्रत्येक संयंत्र में उर्वरक के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ; और

(ग) उपरोक्त वर्ष में उन संयंत्रों में वास्तव में उर्वरक का संयंत्र-वार कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8087/74**]

अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा तथा ईराकी अशोधित तेल का आयात

*135. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री पी० के० देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आबंटन में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां इसकी अशोधित तेल का आयात करने का विरोध कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) से (घ) अक्तुबर, 1973 से अशोधित तेल के मूल्यों में तीव्रता से वृद्धि तथा जनवरी, 1974 से मूल्यों में और अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में मांग को पूरा करने के लिए अशोधित तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं जिससे यथासम्भव मांग को कम किया जा सके। आयात के साथ अशोधित तेल तथा उत्पादो, दोनों की देशीय उपलब्धता में वृद्धि करके आवश्यक मांग की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इस समय समस्या अशोधित तेल की उपलब्धता की नहीं है अपितु इसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण अशोधित तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने से सम्बन्धित है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में 850 करोड़ रुपये का अशोधित तेल का आयात होगा।

वर्ष 1974-75 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विकास

*136. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1974-75 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के लिये 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं जिन पर उक्त धनराशि व्यय की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में संचार-व्यवस्था के विकास के लिए 1974–75 में क्रमशः 4.66 और 3.11 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गयी है।

(ख) जिन परियोजनाओं पर यह रकम खर्च की जायेगी वे इस प्रकार हैं :—

	रकम (करोड़ रुपये में)
पुर्वी उत्तर प्रदेश	
(1) बाराबंकी से छपरा तक (उत्तर प्रदेश का भाग) के मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में बदलाव . . .	4.30
(2) छितौनी से बगहा तक लाइन को फिर से बिछाना . .	0.16
(3) डलमऊ से दरयापुर तक लाइन को फिर से बिछाना . .	0.20
	4.66
उत्तरी बिहार	
(1) समस्तीपुर से छपरा तक (बिहार का भाग) के मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में बदलाव	2.54
(2) समस्तीपुर से दरभंगा तक के मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में बदलाव	0.10
(3) सरायगढ़ से फारबिसगंज तक लाइन को फिर से बिछाना . .	0.27
(4) सकरी से हसनपुर तक नयी मीटर लाइन . . .	0.10
(5) झंझारपुर से लौकहाबाजार तक नयी मीटर लाइन . .	0.10
	3.11

बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक सहकारी समितियों द्वारा पेट्रोल पम्प चलाने की मांग किया जाना

*137. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुरक्षा क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिये कुछ बरोजगार इंजीनियरी स्नातक सहकारी समितियों के अनुरोध ठुकरा दिये हैं ; और

(ख) कितनी बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक सहकारी समितियों को देश में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के अवसर दिये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक।

फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिविजन में यूरिया का जमा होना

*138. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलायज़र एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिविजन में जून, 1974 में युरिया भारी मात्रा में जमा हो गया था जबकि देश में दक्षिणी क्षेत्र में किसानों को यूरिया बिल्कुल नहीं मिला ; और

(ख) यदि हां, तो वहां यूरिया के जमा हो जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) फैक्ट के कोचीन प्रभाग में लगभग 25,000 मीटरी टन यूरिया कर्मचारियों द्वारा अवैध हड़ताल तथा हड़तालियों द्वारा अपनाए गए अवलोकन तरीकों के कारण नहीं भेजा जा सका।

फैजाबाद-इलाहाबाद रेलवे लाइन को मजबूत करना

*139. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैज़ाबाद–इलाहाबाद रेलवे लाइन को मज़बूत बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे इस सैक्शन पर तेज गति से चलने वाली गाड़िया चलाई जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एस्सो ईस्टर्न इनकारपोरेटिड के कर्मचारियों को कुछ लाभों का भुगतान किये जाने की व्यवस्था

*140. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकारी नियंत्रण में ली गई "एस्सो ईस्टर्न इनकारपोरेटिड़" नामक एक कम्पनी ने अपने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को उपदान, पेंशन तथा भविष्य निधि का भुगतान करने सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने हेतु, अपने हिसाबखातों में व्यवस्था कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र का निगम, जिसे इस कम्पनी का स्वामित्व सौंपा गया है, इसके द्वारा कर्मचारियों के प्रति दायित्वों का पालन करेगा और कम्पनी के प्रबन्ध ग्रहण की तारीख से ही उन्हें भुगतान करेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) से (ग) जी, हां । नई कम्पनी अर्थात मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 में की गई व्यवस्था के अनुसार उपदान, पेंशन तथा भविष्य निधि का भुगतान करने के संबंध में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रति दायित्वों का पालन करेगी ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

अ० सू० प्र० सं० 2. श्री पी० गंगादेव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जुलाई, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार मोतीलाल नेहरू नामक टेंकर में विस्फोट होने के कारण नौवहन निगम के तीन अधिकारी डैक से उछल कर दूर जा पड़े ;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट के कारण क्या थे ;

(ग) क्या लापता अधिकारियों के शवों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (घ) जी हां। तेल लदान के लिये पश्चिम एशिया खाड़ी को जाते समय 4-7-74 को लास पल्मस, स्पेन के लगभग 150 मील दक्षिण में, जहाज में आग लग गई। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, तीन व्यक्तियों अर्थात् मुख्य अधिकारी और 2 कैडेटों सहित जहाज के सं० 1 पलका के सभी पौन्टून उड गये। चार दिन की लगातार खोज के बावजूद लापता व्यक्तियों का कोई सुराग न मिल सका और उन्हें अब गुमशुदा ही समझा गया है। जहाज को मरम्मत के लिये माल्टा ले जाया गया है।

व्यापारी बेड़ा अधिनियम के अंतर्गत इस दुर्घटना की प्रारंभिक जांच पड़ताल करने के लिये जल परिवहन विभाग, बंबई के एक वरिष्ठ इंजीनियर और जहाज सर्वेक्षक हवाई जहाज द्वारा माल्टा गये हैं। उनके जांच परिणामों की प्राप्ति पर ही दुर्घटना के कारणों का पता चलेगा।

दिल्ली-किशनगंज रेलवे कालोनी की महिलाओं पर लाठी प्रहार

995. श्री मधु दण्डवते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में रेल हड़ताल के दौरान जब दिल्ली सशस्त्र पुलिस ने किशनगंज रेलवे कालोनी की महिलाओं पर लाठी प्रहार किया था तो उसमें रेलवे यूनियन के एक नेता की पत्नि, श्रीमती सरला रानी को सिर पर गम्भीर चोट लगी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कांड की कोई जांच की गई है ;

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) क्या लाठी प्रहार के बाद रेलवे कालोनी के निवासियों को क्वार्टर खाली करने के नोटिस दिय गये थे और साथ ही उनकी पानी और बिजली की सप्लाई बन्द कर देने की धमकी दी गई थी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी कोई धमकी नहीं दी गयी। भारतीय रेल अधिनियम के अधीन उन 28 रेल कर्मचारियों को विभिन्न तारीखों में क्वार्टर खाली करने के नोटिस दिये गये थे जो ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे किन्तु केवल एक ही क्वार्टर मिन्टो ब्रिज क्षेत्र में खाली कराया गया उस क्वार्टर का कब्जा ड्यूटी पर आने के बाद फिर उसी कर्मचारी को दे दिया गया। दिल्ली-किशनगंज बस्ती में कोई क्वार्टर नहीं खाली कराया गया।

नहाने के साबुनों की कमी

996. श्री पीलू मोदी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में पिछले छः महीनों से नहाने के साबुनों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार की सूचना में कुछ साबुन की कमी के सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है।

(ख) महंगे साबुनों को छोड़कर संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित साबुनों पर अनौपचारिक नियंत्रण है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय साबुन तथा सौंदर्य प्रसाधन संस्था (इस्टमा) मूल्यों में वृद्धि करने के पहले सरकार से परामर्श करती है पिछले कुछ महीनों में संगठन क्षेत्र द्वारा साबुनों का कम उत्पादन किया गया है। इस्टमा ने यह बताया है कि साबुनों के वर्तमान अलाभकारी, मूल्यों के परिणामस्वरूप, वे प्रचलित ऊंची दरों पर तेलों की पर्याप्त मात्रा में खरीद कर सकने में असमर्थ है। इस्टमा द्वारा अपना उत्पादन इस्टतम स्तर पर बनाए रखने के लिए जो साबुनों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये अभ्यावेदन दिया गया है उसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है। देश में आधे से अधिक साबुनों की मात्रा का उत्पादन लघु उद्योग द्वारा किया जाता है जिस पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें वापस लिये जाना

997. श्री डी० के० पंडा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान रेल कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध न्यायालय में जो मुकद्दमें दायर किये गये थे, क्या वे अभी तक चल रहे हैं और सरकार द्वारा उन्हें वापस लिये जाने के लिए अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ताकि औद्योगिक सम्बन्ध सामान्य हो सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मुकद्दमें वापस किये जाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) हड़ताल की अवधि में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों और अन्य कानूनों की अवहेलना करने तथा उनके द्वारा किये गये विभिन्न अपराधों से सम्बन्धित मुकद्दमें कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप चलेंगे जो अपना समय लेगा।

पश्चिम बंगाल में साबुन बनाने वाले कारखानों को कच्चा माल न मिलना

998. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के साबुन बनाने वाले सभी 600 लघु कारखानों में उचित मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन बंद हो गया है ;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में बकरी की चर्बी के भाव 2500 रुपये प्रति टन बढ़ गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के उद्योग निदेशक ने पश्चिम बंगाल के लिए नियत मात्रा में कटौती कर दी है ; और

(घ) क्या इस स्थिति में तथा देशी तेल के मूल्य बढ़ जाने के कारण सरकार पश्चिम बंगाल की उसे बकरी की चर्बी दिये जाने की मांग पर पुनर्विचार करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। तथापि यह बताना उचित होगा कि साबुनों के निर्माण में तेल तथा चर्बी मुख्य कच्चा माल होता है जिन पर मूल्य नियंत्रण नहीं होता।

(ख) अगस्त 1973 में चर्बी के विक्रय मूल्य 2750/- रुपये से 4520/- रुपये प्रति टन बढ़ा दिए गए थे। वर्तमान तिमाही में राज्य व्यापार निगम द्वारा जो माल प्राप्त होगा, उसके विक्रय मूल्य 5414/- रुपये प्रति टन होंगे।

(ग) वर्ष 1972-73 में चर्बी की उपलब्धता में 40,000 मीटरी टन से 28,400 मीटरी टन तक कमी हो जाने के परिणामस्वरूप, विभिन्न राज्यों के आबंटन में आनुपातिक कमी की गई।

(घ) विश्व-बाजार में चर्बी की अनुपलब्धता तथा इसके बहुत बढ़े चढ़े मूल्यों के परिणामस्वरूप चर्बी का गत वर्षों के स्तर पर आबंटन करना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार साबुनों के उत्पादन के लिए धान की भूषि का तेल तथा छोटे छोटे बीजों के तेल, जैसे माल, करंज, नीम और महुआ के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है तथा इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साबुन के उत्पादन में छोटे तेलों के प्रयोग पर एक वर्ष पहले जो छूट दी गई थी उसमें और पर्याप्त मात्रा में वृद्धि कर दी गई है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के उत्पादों का रूस को निर्यात

999. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के उत्पादों का निर्यात मुख्यत: रूस को किया जा रहा है, जबकि भारत को इन औषधियों की अत्यधिक आवश्यकता है ;

(ख) क्या अपने उत्पादों का अधिकांश निर्यात करने के बाद भी उपक्रम ने भारी घाटा दिखाया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे निदेश जारी करने का विचार है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा उत्पादित औषधियों का निर्यात देश की मांग पूरी करने के बाद किया जाये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आई० डी० पी० एल० कोई भी औषध रूस को निर्यात नहीं कर रही है। इसके द्वारा इसके दो औषध संयंत्रों में निर्मित लगभग समस्त उत्पादों की देश में ही बिक्री हो जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को तंग किया जाना

1000. श्री हीरेन मुखर्जी :
श्री भोला मांझी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल हड़ताल के दौरान जो हड़तालियों के परिवार के सदस्यों को बड़े पैमाने पर तंग किया गया और उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या श्रम समस्या से निपटने के लिए सरकार की यह स्वीकृति नीति है ; और

(ख) क्या यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अनुमोदित है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं। रेलवे हड़ताल के दौरान ऐसा एक भी मामला नहीं हुआ जिसमें परिवार के सदस्यों को तंग किया गया हो अथवा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

साईमन कार्बस इंडिया लिमिटेड

1001. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साईमन कार्बस इंडिया लिमिटेड के हिस्सेदार कौन-कौन हैं ;

(ख) इस फर्म में कितने विदेशी पुंजी का निवेश किया गया है ;

(ग) इस फर्म के कारण प्रति वर्ष कितनी धनराशि देश से बाहर भेजी जा रही है ; और

(घ) क्या इस फर्म पर समाजविरोधी और बिनाशकारी गतिविधियों में लगे रहने का आरोप लगाया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वदब्रत बरुआ) : (क) 3-5-1974 तक बनाई गई वार्षिक बिवरणी के अनुसार मैसर्स साईमन कारबस इन्डिया लि० के 1500 हिस्सेधारी थे। इनमें से 34 हिस्सेधारियों के पास 10 रु० प्रति हिस्से की दर के 1000 से अधिक हिस्से थे, एवं उनके नाम, संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(ख) कम्पनी की 60 लाख रुपयों की कुल प्रदत्त पुंजी में से 15·6 लाख रु० जो इसके 26 प्रतिशत बैठते है, के हिस्से ब्रिटेन की मे० साईमन कारबस लिमिटेड नामक एक विदेशी कम्पनी के पास हैं ।

(ग) इस कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के मध्य, बाहर भेजी गई लाभांश की राशि इस प्रकार थी :—

	वर्ष	बाहर भेजी गई राशि रु०
1.	1970–71 . .	2,82,330
2.	1971–72 . .	3,90,600
3.	1972–73	4,01,085

(घ) जहांतक, कम्पनी अधिनियम, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, एवं विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के पालन करने का सम्बन्ध है, इस कम्पनी की प्रतिकूल विचार धारा सरकार को ज्ञात नहीं हुई है।

विवरण

क्रम संख्या	हिस्सेधारी का नाम
1.	मे० अमृत लाल एण्ड कम्पनी प्रा० लि०
2.	श्री अशोक कुमार गुप्ता
3.	श्री आर्थर लिन्सडले पैरीरा
4.	श्री बृज गोपाल गुप्ता
5.	श्री बृज गोपाल पैरीवाल
6.	मैसर्स के० मोक्स प्राइवेट लि०
7.	श्री गौरव स्वरूप
8.	श्री हरवंश लाल बेदी
9.	श्रीमती गौरप्रिया देवी
10.	श्री हिल्ला केथाश्रु पटेल
11.	दि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आफ इंडिया लि०
12.	श्रीमती इरा मजूमदार
13.	दि इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमैन्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०
14.	श्रीमती ज्योति सिनहा राय
15.	श्रीकृष्ण भूषण दत्त
16.	ले० कर्नल कृष्णास्वामी हालाश्याम
17.	श्रीमती कामाकोही रमण

क्रम संख्या	हिस्सेधारी का नाम
18.	श्री कान्ति लाल चमन लाल बखारिया
19.	श्री एल० एस० विद्यानाथन
20.	भारत का जीवन बीमा निगम
21.	श्रीमती एम० सीता लक्ष्मी
22.	श्रीमती माधुरी दत्त
23.	कुमारी मंजुला गुप्ता
24.	श्री प्रकाश चन्द बाहरी
25.	श्री रामस्वरूप देवतादीन तिवारी
26.	श्री रवि भूतलिंगम्
27.	श्री रामकिशन खंडेलवाल
28.	श्री राजकुमार धूरका
29.	श्री राबर्ट रस्टम विकाजी
30.	श्री शंकर श्रीनिवास
31.	यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया
32.	श्री विक्रम स्वरूप
33.	श्रीमती ज़रीन केकी अल्पईवाला
34.	साईमन-कारवस लिमिटेड, ब्रिटेन ।

रूस से कम मात्रा में मिट्टी के तेल का आना

1002. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कारणों से भारतीय पत्तनों पर आने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा उस मात्रा से बहुत कम है जिसके लिये सोवियत संघ के साथ ठेका किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा पूरी मात्रा में तेल को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) 1974 के पूर्वार्ध के दौरान सोवियत संघ से मिट्टी के तेल के नौ-परिवहन में निर्धारित आधार पर कुछ कमी हुई है। यह मुख्यतः समुद्री परिवहन की समस्याओं के कारण हुआ था। इन पर काबू पाने तथा ठेके की अवधि में पूर्ण आयात सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

हाल्दिया तेलशोधक कारखाने की परियोजना लागत में वृद्धि

1003. **श्री सरजू पांडे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल्दिया तेलशोधक कारखाने की परियोजना लागत बढ़ गई है ;

(ख) क्या यह लागत इस कारण बढ़ी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड विभिन्न उपकरणों तथा मशीनों की सप्लाई की व्यवस्था सुदूर उत्तरी क्षेत्रों से करती है जबकि ये निकटवर्ती क्षेत्रों में भी उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी सप्लाई की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) सरकार ने वर्ष 1972 में 67.50 करोड़ रुपये की हल्दिया शोधनशाला की संशोधित लागत के अनुमान की स्वीकृति दे दी थी। सम्भव है कि उसके पूरे हो जाने पर परियोजना की कुल लागत में कुछ वृद्धि हो जाए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे द्वारा कम दर पर बांस की ढुलाई

1004. **श्री सरजू पांडे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य वस्तुओं की तुलना में बांस की ढुलाई रेलों द्वारा कम दर पर की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किस दर से भाड़ा लिया जाता है ; और

(ग) बांस को कम दर पर ढोने की सुविधा वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वस्तुओं के भाड़े का वर्गीकरण उनके मूल्य, उपयोग, लदान क्षमता और परिवहन के जोखिम आदि परिवहन पहलुओं को देखते हुए निश्चित किया जाता है। आजकल मालडिब्बा भार के लिए 27 वर्ग निश्चित है जिनमें से न्यूनतम वर्ग 32.5 और अधिकतम वर्ग 130 है। बांसों का वर्तमान वर्गीकरण वर्ग 47.5 (माल डिब्बा भार) के अन्तर्गत आता है। कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, चूना और नमक जैसा कुछ कच्चा माल ऐसा है जिस पर बांसों की अपेक्षा कम दर पर भाड़ा लिया जाता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें कुछ प्रतिनिधि दूरियों के लिए बांसों की वर्तमान भाड़ा दरों की तुलना कोयला, लोह अयस्क, जिप्सम, चूना और रासायनिक उद्योगों के लिए नमक की दरों से की गई है ।

(ग) बांसों की दरों को उन पर आने वाली लागत के निकट रखने के उद्देश्य से 1 सितम्बर, 1974 से बांसों के वर्गीकरण को वर्ग 47.5 (माल डिब्बा भार) से बढ़ाकर वर्ग 60 (माल डिब्बा भार) करने का विनिश्चिय किया गया है। 1-9-1974 से लागू होने वाली बांसों की संशोधित दरें भी प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर से सम्बन्धित विवरण में दिखायी गयी है ।

विवरण

विवरण जिसमें कुछ प्रतिनिधि दूरियों के लिए कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, चूना, रासायनिक उद्योगों के लिए नमक और बांसों की तुलनात्मक दरें बतायी गयी हैं।

दूरी (कि० मी०)	प्रति मीटरिक टन दर				
	कोयला	लौह अयस्क, जिप्सम, चूना	रासायनिक उद्योगों के लिए नमक	बांस	
				वर्तमान	संशोधित
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
100	11.10	12.30	12.90	13.50	16.50
300	21.00	23.50	24.70	25.90	32.10
500	29.70	33.30	35.10	36.90	46.00
750	39.90	44.80	47.30	49.80	62.10
1000	49.60	55.80	58.90	62.00	77.50
1500	67.30	75.80	80.10	84.40	105.90
2000	82.50	93.10	98.40	103.70	130.80

दिल्ली के लिये तीसरा रेलवे स्टेशन (टर्मिनस)

1005. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार मलिक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तीसरे टर्मिनस रेलवे स्टेशन के स्थान के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसमें कब से कार्य होना शुरू हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दिल्ली क्षेत्र में सफदरजंग और निजामुद्दीन में तीसरे टर्मिनल स्टेशन के स्थान निर्धारण पर विचार किया गया था किन्तु इसे अन्य सार्वजनिक आवश्यकताओं और वातावरण के अनुकूल न होने के कारण छोड़ देना पड़ा। इसे बरार स्क्वेअर में बनाने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए टर्मिनल स्टेशन के स्थान निर्धारण किये जाने के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है।

बम्बई हाई में 6 अन्वेषक कुएं खोदने की योजना

1006. श्री रेणुपद दास : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई हाई में छः अन्वेषक कुएं खोदने की मूल योजना छोड़ दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदुर यूनियन को मान्यता

1007. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेल** मंत्री नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देने के सम्बन्ध में 17 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० आई० टी० यु० सी० से सम्बन्ध विधिवत् रूप से पंजीकृत नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर युनियन को पुनः मान्यता देने तथा इसी नाम से अपंजीकृत यूनियन की मान्यता समाप्त करने के मामले पर इस बीच विचार पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जैसा कि 31-7-1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 1364 के उत्तर में बताया जा चुका है, मामले पर विचार किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार, "सम्बन्धित यूनियन के दुहरे पदाधिकारियों के बीच विवाद स्पष्टतः इस तरह का है जिस पर उपयुक्त अधि- निर्णय केवल दीवानी मुकदमें के माध्यम से ही दिया जा सकता है"। इसलिए यह सोचा गया है कि यथास्थिति बनायी रखी जाये।

भारतीय तेल निगम में पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

1008. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री भारतीय तेल निगम में पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के भुगतान के बारे में 16 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6810 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा में डी० जी० एस० एण्ड डी० के बिल बनाने तथा मशिन लेखा विभाग में 93 कर्मचारियों द्वारा लिये जा रहे समयोपरि भत्ते को कम कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ग) समयोपरिभत्ते के भुगतान को कम से कम करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उत्तर पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के साथ कथित भेदभाव

1009. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा–दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, बम्बई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, मंगलौर-मद्रास दिल्ली जयन्ती जनता एक्सप्रेस और समस्तीपुर-दिल्ली जयन्ती जनता एक्सपेस जैसी लम्बी दूरी वाली और तेज चलने वाली गाड़ियों को आरम्भ से ही शुरू के स्टेशनों अर्थात् हावड़ा (पूर्वी-रेलवे) बम्बई (मध्य रेलवे), मंगलोर (दक्षिण मध्य रेलवे) और समस्तीपुर (उत्तर पूर्वी रेलवे) के कर्मचारी चलाते आ रहे हैं ;

(ख) क्या अभी हाल में समस्तीपुर-दिल्ली जयन्ती जनता एक्सप्रेस के मामले में ऐसा नहीं किया गया जहां उत्तर पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों के स्थान पर पूर्वी रेलवे तथा उत्तर रेलवे के कर्मचारी नियुक्त किये गये ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मालूम होता है कि माननीय सदस्य का आशय शयनयानों आदि पर चल टिकट परीक्षक तैनात करने से है। जैसी कि आम परिपाटी है, एरनाकुलम्/मेंगलूर नयी दिल्ली जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के शयनयानों दक्षिण, दक्षिण मध्य और मध्य रेलवे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में चल टिकट परीक्षक तैनात करती है। इसी तरह आम परिपाटी के अनुसार समस्तीपुर-नयी दिल्ली जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों पर अब तक पूर्वोत्तर रेलवे के चल टिकट परीक्षक तैनात किये जाते थे, अब उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी क्रमश: उनके अधिकार क्षेत्र में तैनात किये जायेंगे। किन्तु, हावड़ा-नयी दिल्ली और बम्बई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाडियों आदि पर उनके ठहरने के कम स्थानों और कम समय को ध्यान में रखते हुए क्रमश: पूर्वी और पश्चिम रेलों के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(ख) इस गाड़ी के शयनयानों में क्रमश: उत्तर पूर्व, और पूर्वोत्तर रेलों के अधिकार क्षेत्र में उनके चल टिकट परीक्षक तैनात करने का विनिश्चय आम परिपाटी के अनुसार किया गया है और इस मामले में कोई अपवाद नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक उद्योग में प्रवेश करने के लिए आई० सी० आई० द्वारा अनुमति मांगा जाना

1010. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज ने उर्वरक उद्योग में प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है, और

(ग) वर्ष 1973-74 के लिये उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज को मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्ज़ लिमिटेड, जिनका कानपुर में अपना एक उर्वरक कारखाना है, में 51% साम्य पूंजी है। मैसर्स आई० ई० एल० ने भारत में किसी उपर्युक्त स्थान पर कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने संबंध में रुचि व्यक्त की थी। तथापि सरकार को इस आशय का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 1973-74 के लिये, उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता 25-76 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 9.25 लाख मीटरी टन फास्फेट तथा 4.80 लाख मीटरी टन पोटाश थी।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये आसाम का अशोधित तेल

1011. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तल शोधक कारखाने में फिर आसाम के अशोधित तेल का शोधन किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कोई अतिरिक्त व्यय होगा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) असम में तेल क्षेत्र में निम्न श्रेणी के सल्फर अशोधित तेल का शोधन करने के लिए आरम्भ में 3 मिलियन मोटरी टन की क्षमता से बरौनी शोधनशाला स्थापित की गई। असम में अतिरिक्त अशोधित तल को साफ करने के संबंध में दिसम्बर, 1969 सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में जून, 1971 में सरकार द्वारा लगभग 2.2 मिलियन मोटरी टन के देशीय असम अशोधित तेल में अतिरिक्त लगभग 1.2 मिलियन मोटरी टन आयातित उच्च श्रेणी सल्फर अशोधित तेल को साफ करने के संबंध में बरौनी शोधनशाला में सुधार कार्य करने के लिए एक प्रायोजना हेतु स्वीकृति दी गई थी। तथापि, संशोधन कार्य किये जाने तक 1972 में आयातित इराकी अशोधित तेल की कुछ मात्रा को साफ करने का कार्य शोधनशाला ने प्रारम्भ कर दिया। तदनन्तर 1974 के प्रारम्भ में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रों से उत्पादन सम्भावनाओं के पुनर्मूल्यांकन से पता चला कि बढ़ी हुई अशोधित तेल की उपलब्धता से, बरौनी शोधनशाला की 3 मिलियन की क्षमता को बनाया रखा जा सकता है तथा इससे असम शोधनशाला की पूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इस विकास के साथ तथा आयातित अशोधित तेल के अधिक उच्च मूल्यों के कारण भी ऐसा निर्णय किया गया कि बरौनी पर आयातित अशोधित तेल को साफ करने के लिए सुधार करने वाले प्रायोजन को छोड़ दिया जाय।

देशीय असम अशोधित तेल पर इसकी पूर्ण क्षमता पर शोधनशाला के कार्यकरण में अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

तेल का पता लगाने के लिये अमरीका की तेल कम्पनियों द्वारा नये उपाय का उपयोग

1012. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका की तेल कम्पनियों द्वारा तेल का पता लगाने के लिये उपयोग में लायी गयी एक नये उपाय के समाचार को जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस तकनीकी का उपयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि विभिन्न देशों में तेल भण्डारों की खोज के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहे है। तेल प्राप्त करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एव आयल इण्डिया लि० आवश्यक सीमा तक समय समय पर विकसित जटिल तकनीक एवं अविष्कार का प्रयोग कर रहे हैं। सम्भाव्य तल एवं गैस संरचनाओं का पता लगाने के लिए अपनाये गये अन्य आधुनिक तकनीकी में आंगुलिक भू-कम्पीय रिकार्डिंग तथा आंकड़े निकालने वाले गणक भी सम्मिलित है।

पेट्रोल के मूल्य पर सांविधिक नियंत्रण लागू करना

1013. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पैट्रोल विक्रेताओं द्वारा लिये जाने वाले अप्राधिकृत 'सेवा शुल्क' को समाप्त करने के लिये पैट्रोल तथा हाई-स्पीड डीजल के फुटकर विक्रय मूल्य पर सांविधिक नियंत्रण लागू करने के संबंध में कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तटदूर तेल की खोज के कार्य के लिये भारत और बंगला देश के बीच सहयोग

1014. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर तेल की खोज के कार्य में भारत और बंगला देश के बीच सहयोग बढ़ाने के लिये कोई प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई हाई अशोधित तेल के उत्पादन का लक्ष्य

1015. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बम्बई, हाई क्षेत्र में अशोधित तेल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) अन्य क्षेत्रों में खुदाई की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अगले दो वर्षों के दौरान बहुत अनुकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत एक मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल के उत्पादन के लक्ष्य की संभावना है ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्य प्रयास, शीघ्र उत्पादन करने के लिये बम्बई हाई के मूल्यांकन और विकास की दिशा में होंगे । उपरोक्त आधार पर सागर सम्राट के साथ कार्य संचालन सम्बधी विचारों तथा प्लेटफार्मों की उपलब्धता पर, बम्बई हाई की अन्य निकटस्थ संरचनाओं पर, अन्वेषणी व्यधन किया जाएगा ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में सामान्य उपबंध के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को व्यापक बनाने का प्रस्ताव

1016. **श्री एम० कतामुतु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में सामान्य उपबंध के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के व्यापक बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

फर्मों द्वारा तकनीकी जानकारी के आयात पर बहुत बड़ी धन राशि का व्यय किया जाना

1017. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी औषध निर्माता फर्में तकनीकी ज्ञान के आयात पर बहुत बड़ी धनराशियां व्यय कर रही हैं।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 और 1973 तकनीकी जानकारी के आयात के लिये औषध मे उद्योग को कितनी विदेशी मुद्रा आबंटित की गई ; और

(ग) तकनीकी जानकारी के आयात पर इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने से निर्माताओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। मैसर्स साराभाई केमिकल्स के साथ हुए विद्यमान विदेशी सहयोग करार के विस्तार के अतिरिक्त वर्ष 1972-73 और 1973-74 में प्रोद्योगिकी/जानकारी के आयात के लिए पूंजी निवेष के निम्न-लिखित नए प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था :—

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	विदेशी सहयोग की अनुमोदन की तिथि	निर्माण किए जाने वाली मद
1.	डा० विरेन्द्र पटेल	13–11–1972	प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी परीक्षण पद्धतियां ।
2.	अलकली एण्ड केमीकल्ज कारपोरेशन	23–8–1973	प्रीमीटोन और प्रोप्रानोलोल आदि सहित विभिन्न प्रपुंज औषधे।
3	यूनिपेक्सो लि०	18–10–1973	लैकबोन ।

(ख) औषध–उद्योग को प्रोद्योगिकी के आयात के लिए विदेशी मुद्रा अलग से आबंटित नहीं की जाती है।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृति देने से पहले विदेशी प्रोद्योगिकी, जिसमें विदेशी सहयोग सम्मिलित होता है, को आयात करने की आवश्यकता की परख अनेक तकनीकी विशेषज्ञों, जिसमें डी० ी० टी० डी०, सी० एस० आई० आर०, डी० सी०, एस० एस० आई०, वित्त मंत्रालय तथा परियोजना से संबंधित अन्य अधिकारी होते हैं, द्वारा की जाती है। औषध तथा भीषन एक अनुसंधान प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी उद्योग है और इसे विशिष्ट तथा लाभदायक क्षेत्रों में सुधरी प्रोद्योगिकी को अपनाने के लिए अपने दरवाजों को बंद करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। औषध निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रोद्योगिकी आयात को प्रोत्साहन न देने के लिए जो कदम उठाए गए है वह निम्नलिखित हैं :—

(i) जहां पर उद्योग या किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा आवश्यक जानकारी को देश ही में समुचित रूप से विकसित किया जा चुका है, वहां पर औषधों के निर्माण हेतु प्रोद्योगिकी के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(ii) उन औषध एवं भेषज एककों को जो अपनी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/एककों को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के साथ आयात तथा विकास उपकरण, यंत्र तथा मध्यवर्ती के रूप में पंजीकृत करा लेते है, को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(iii) औषध निर्माता एककों को निम्नलिखित सलाह दी गई है :—

(क) वे औद्योगिक एकक जिनकी वार्षिक बिक्री 1 से 6 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक है को सूत्रयोगों तथा पैकिंग विकास के लिए परिपूर्ण प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी चाहिए जिसमें विष-विज्ञान, जैव विद्यमानता अध्ययन तथा प्रक्रिया सुधार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो,

(ख) उपरोक्त कार्य के लिए 6 करोड़ रुपये तथा उससे ऊपर की राशि की बिक्री करने वाली यूनिटों को उपरोक्त कार्य हेतु तथा डिजाइन, इंजीनियरिंग एवं विकास के कार्यक्रमों के लिए भी अपनी सुविधाएं जुटानी चाहिए।

(ग) बड़े एकक जो 10 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री करते हैं को स्वयं के परिपूर्ण अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए जिनमें विकासशील तथा नवीनीकरण जैसे कार्यक्रमों हो।

(घ) उन क्षेत्रों जहां पर अग्रिम अनुसंधान कार्य तत्काल आवश्यक है की जानकारी के लिए-एक संयुक्त कार्य/जांच समिति जिसमें अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी विभाग एवं उद्योग के प्रतिनिधि हैं, की नियुक्ति की गई है।

रेलवे बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन

1018. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रलवे बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन करने की बात सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वफादार कर्मचारियों को सेवा अवधि बढ़ाने/सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लगाने के रूप में पुरस्कृत करना

1019. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के दौरान सेवा अवधि बढ़ाने और सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पुनः नौकरी पर लगाने के रूप में कितने वफादार कर्मचारियों को जोनवार पुरस्कृत किया गया ;

(ख) हड़ताल के अवधि के दौरान कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी ड्युटी पर आये ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जखपुरा-बांसपाणि रेलवे लाइन पर प्रारंभिक कार्य

1020, **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जखपुर–बांसपाणि रेलवे लाइन पर क्या प्रारम्भिक कार्य किये गये हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ख) इसका भविष्य का कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बांसपाणि–जखपुर रेल सम्पर्क का अंतिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और यह काम हो रहा है।

(ख) सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा उसका परिणाम ज्ञात हो जाने के पश्चात् आगे कार्रवाई की जायेगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे यात्री हाल्ट कमीशन एजेंटों का सम्मेलन

1021. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर में 11 नवम्बर, 1973 को हुए दक्षिण–पूर्व रेलवे के यात्री हाल्ट कमीशन एजेंट के प्रथम सम्मेलन का कार्यवाही वृतान्त सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या है और क्या वे पूरी कर दी गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे के हाल्ट एजेन्टों की मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं :—

(i) कमीशन की दर में समान रूप से 20 प्रतिशत वृद्धि ;

(ii) न्यूनतम कमीशन 250 रुपये प्रति मास ;

(iii) ड्यूटी पास, मुक्त पास तथा सुविधा टिकट आदेश की व्यवस्था ;

(iv) प्लेटफार्मों पर सुविधाओं की व्यवस्था जैसे फोन, बिजली की रोशनी, नलकूप, शेड आदि।

(v) एजेन्सी समाप्त होने पर हाल्ट एजेन्टों को रेल सेवा में लेना आदि।

कमीशन की दर में वृद्धि करने का विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है। संशोधित नियमों के अनुसार, रेले कुल बिक्री का 15 प्रतिशत तक कमीशन निश्चित कर सकती हैं ताकि हाल्ट ऐजेन्टों को प्रति माह 150 रुपये का समुचित पारिश्रामिक सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार हाल्ट स्टेशनों पर रोशनी, नलकूपों और शेड़ों की व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। ड्यूटी पास/मुक्त पासों तथा फोन की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि हाल्ट के संचालन के लिए ये अनिवार्य नहीं है। एजेन्सी समाप्त होने पर एजेन्टों को रेल सेवा में समाहित करने की बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि ठेकेदार और रेल प्रशासन का संबंध हाल्ट पर मात्र टिकटों की बिक्री तक ही सीमित है।

खुर्द रोड़ डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में स्टेशनों का विकास

1022. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री खुर्द रोड़ डिविजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में स्टेशनों का विकास करने के बारे में 23 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7841 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्द रोड़ डिवीजन के भद्रक, भुवनेश्वर, कटक तथा पुरी स्टेशनों पर वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान क्या विशिष्ट सुधार किये गये हैं तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ; और

(ख) बौदपुर और केन्द्रपाड़ा स्टेशनों के बीच यात्री हाल्ट बनाने के संबंध में शीघ्र निर्णय करने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) खुर्दा रोड मंडल में भाद्रक, भुवनेश्वर, कटक और पूरी रेलवे स्टेशनों पर सुधार कार्य करनेके लिए 1974-75 में 4.12 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी है, इन सुधार कार्यों का ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया है।

(ख) इस स्थल पर एक हाल्ट चालू करने के वित्तीय निहतार्थों और परिचालन तथा इंजीनियरी दृष्टिकोण से इसकी व्यावहारिकता की जांच की जानी है जिसे किया जा रहा है।

विवरण

1974-75 के बजट में निम्नलिखित सुधार कार्य शामिल किये गये हैं :—

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	कार्य का ब्यौरा	1974–75 के लिए खर्च
1.	भद्रक	प्लेटफार्म नं० 1 पर 200 फीट लम्बी भा० रे० मा० टाइप प्लेटफार्म छत की व्यवस्था और प्लेटफार्म नं० 3 व 4 पर स्टालों की व्यवस्था (नया निर्माण कार्य)	0.20 लाख रुपये
2.	भुवनेश्वर	प्लेटफार्म नं० 1, 2, 3 और 4 पर भा० रे० मा० टाईप प्लेटफार्म छतों की व्यवस्था (काम हो रहा है)	0.93 लाख रुपये
3.	कटक	प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर यात्रियों के लिए 200 फीट लम्बे भा० रे० मा० टाइप सायवान और प्लेटफार्म नं० 1 पर यात्रियों के लिए 200 फीट लम्बी भा० रे० मा० टाइप के सायवान की व्यवस्था (काम हो रहा है)	0.70 लाख रुपये
4.	कटक	पानी सप्लाई प्रतिष्ठान के लिए वक्त जरुरत काम आने वाली पावर सप्लाई व्यवस्था के संबंध में वर्तमान डीजल पम्प के बदले 5 कि० वा० के डीजल जनित्र सेट की व्यवस्था (नया निर्माण कार्य)	0.93 लाख रुपये
5.	पुरी	प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर 300 फुटी भा० रे० मा० टाइप प्लेटफार्म छत और प्लेटफार्म नं० 4 और 5 पर 100 फीट लम्बी भा० रे० मा० टाइप की प्लेटफार्म छत की व्यवस्था (काम हो रहा है)	0.70 लाख रुपये
6.	पुरी	बैटरी चार्ज करने की सुविधाओं में वृद्धि (काम हो रहा है)	0.40 लाख रुपये
7.	पुरी	आनुषंगिक सुविधाओं सहित धुलाई लाइन का विस्तार (नया निर्माण कार्य) . . .	0.20 लाख रुप

Action taken Against the Persons Travelling on the seats Reserved for others in Delhi-Howrah Express and Delhi-Howrah Mail

1023. **Shri Hukam Chand Kachvai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any action was taken against some persons who were found travelling by Delhi-Howrah Express and Delhi-Howrah Mail on the 11th June, 1974 on the seats reserved for others ; and

(b) if so, the broad outlines of the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) No special check was conducted either on Delhi-Howrah Express or Delhi-Howrah Mail on 11-6-1974 to detect persons travelling on the berths/seats reserved for others. However, on the morning of 12-6-74, 3-tier sleeper coach No. 4490 running by 11 Up Howrah-Delhi Express was checked between Khurja and Ghaziabad and 8 passengers were detected travelling on transferred tickets. An amount of Rs. 308·80 (inclusive of Rs. 128 as Higher excess charge) was recovered from them and the original tickets held by them were confiscated.

Cancellation of Trains on Southern Railway in May, 1974.

1024. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had cancelled running of some trains in Sourthern Railway in May, 1974 ;

(b) if so, the number thereof and the reasons therefor; and

(c) the estimated loss sustained by Government thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) During May, 1974, on an average about 159 pairs of passenger carrying train were cancelled daily due to coal shortage and about 82 pairs due to Railway Strike.

(c) The estimated loss on this account is about Rs. 1·91 crores.

Employees Reinstated in Central Railway

1025. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of employees, out of those who had been dismissed or suspended in the Central Railway during the last Railway strike who have been reinstated since then ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a)	(i) No. of employees whose services were terminated	1,701
	(ii) Total no. of employees suspended	984
(b)	No. reinstated out of those at :	
	a (i)	1,253
	a(ii)	887

Permanent and Temporary Employees of Central Railway who took part in Strike

1026. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) the number of permanent and temporary employees at present in the Central Railway ;

(b) the number of employees out of them who took part in the strike resorted to in May, 1974 ; and

(c) the number of those who attended to their duties ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The number of permanent and temporary employees in the Central Railway is as under—

Permanent	155,107
Temporary	27,264
TOTAL .	182,371
(b) Maximum number of absentees . . .	65,602
(c) Number of employees who attended to their duties	1,16,769

राज्यों के मिट्टी के तेल की सप्लाई में की गई कटौती को बहाल करना

1027. **श्री भोला मांझी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वितरण के लिए राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में की गई कटौती को समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) वर्तमान हालात में राज्यों के मिट्टी के तेल के आबंटनों में जून, 1974 से 30% की लगाई गई कटौती के सारे वर्ष के दौरान जारी रखे जाने की संभावना है।

सेवा से हटाये गये अस्थायी कर्मकार और नैमित्तिक श्रमिक

1028. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 मई, 1974 से विभिन्न रेलवे प्राधिकारियों द्वारा, जानेवार, कितने कर्मकारों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किये गये ;

(ख) उक्त तिथि से कुल कितने अस्थायी कर्मकारों की सेवायें समाप्त की गयी ;

(ग) 2 मई, 1974 से, जोनवार, कितने नमित्तिक श्रमिकों को सेवा से हटाया गया ; और

(घ) 2 मई, 1974 से कितने रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 5,502, इनमें से 2,674 को बहाल किया जा चुका है।

(ग) 18,883 इनमें से लगभग 7,000 को पुनः नियुक्त किया गया है।

(घ) हड़ताल की अवधि के दौरान किसी एक दिन अनुपस्थित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 5,91,159 थी।

विवरण

रेलवे	नोकरी से बर्खास्त किये गये/हटाये गये स्थायी रेल कर्मचारियों की संख्या
मध्य	457
पूर्व	2512
उत्तर	1018
पूर्वोत्तर	663
पूर्वोत्तर सीमा	2603
दक्षिण	476
दक्षिण मध्य	570
दक्षिण पूर्व	1413
पश्चिम	1436
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	44
डीजल रेल इंजन कारखाना	11
सवारी डिब्बा कारखाना	24
जोड़	11247

स्थायी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मकारों तथा नैमत्तिक श्रमिकों का बहाल किया जाना

1029. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच कितने स्थायी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मकारों तथा नैमित्तिक श्रमिकों को बहाल किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि जिनके विरुद्ध तोड़फोड़ तथा हिंसा के आरोप नहीं है उन सभी को बहाल कर दिया जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और क्या इसके परिणामों का कर्मचारियों की कटुता तथा उनकी कार्यकुशलता के संदर्भ में समुचित मूल्यांकन कर लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (i) 15 जुलाई, 1974 तक बहाल किये गये कर्मचारियों की संख्या.

(क) स्थायी	2819
(ख) अस्थायी	2674
(ii) पुनर्विनियुक्त किये गये नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या	4676

(ख) और (ग) प्रत्येक मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार करके उसका निपटारा उसके गुणदोषों के अनुसार सहानुभूतिपूर्ण किया जा रहा है।

स्थायी कर्मचारियों, अस्थायी कर्मकारों तथा नैमत्तिक श्रमिकों की सामान्य अनुपस्थिति

1030. श्री मधु लिमये : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1974 को रेलवे विभाग में कुल कितने स्थायी कर्मचारी थे ;

(ख) 1 मई, 1974 को रेलवे विभाग में अस्थायी कर्मकारों की संख्या कितनी थी ;

(ग) 1 मई, 1974 को रेलवे विभाग में कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक नियोजित थे ; और

(घ) किसी एक दिन तीनों श्रेणियों के कितने कर्मचारी सामान्यतया अनुपस्थित रहते हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

एम० आई० एस० ए०, डी० आई० आर० तथा अन्य कानूनी उपबन्धों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये रेलवे कर्मचारी

1031. श्री मधु लिमये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 मई से 27 मई, 1974 तक एम० आई० एस० ए, डी० आई० आर० तथा अन्य काननी उपबन्धों के अन्तर्गत कितने रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार किए गए;

(ख) कितनी एफ० आई० आर० दायर की गयी तथा कितने मुकदमें चलाये गए ;

(ग) इस अवधि के दौरान पुलिस हिरासत तथा जेल में कितने रेल कर्मचारियों की मौतें हुई ;

(घ) कितने रेल कर्मचारी इस बीच रिहा कर दिए गए है ; और

(ङ) विभिन्न कानूनी उपबन्धों के अन्तर्गत अभी तक कितने कर्मचारी जेल में हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण रेलवे पर इंजिन द्वारा मारा गया व्यक्ति

1032. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे का श्री रामास्वामी इंजिन द्वारा कुचला गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच की गयी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उसके परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 24-5-74 को मदुरै ब्रिज स्टेशन के समीप एक पाइलेट इंजन से टकराने के बाद श्री रामस्वामी नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गयी ; वह रेल कर्मचारी नहीं था।

(ख) जी हां ।

(ग) कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि जांच से मालूम हुआ था कि इसमें पाइलेट इंजन के ड्राइवर की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह अनधिकृत रूप से प्रवेश कर अकस्मात पटरी पर आ गया और कुचल गया।

पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण

1033. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पट्रोलियम उत्पादों का वितरण असमान है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) यह असमान वितरण कब से हो रहा है ;

(ग) क्या इससे कुछ क्षेत्रों में कमियां तथा काला बाजारी हुई है ; और

(घ) सभी जोनों में समान तथा आवश्यकता पर आधारित वितरण सुनिश्चित कराने के लिए सरकार तथा विपणन एजेन्सियों द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न केन्द्रों पर एल० पी० जी० सिलंडरों की कमी तथा उनके मूल्य में असमानता

1034. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी वितरण केन्द्रों पर एल० पी० जी० कुकिंग गैस की अत्यधिक कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या स्टैण्डर्ड सिलैण्डरों के मूल्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी को पूरा करने तथा देश-पर्यन्त समान मूल्य रखने के संबंध में क्या कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) बर्माशैल तथा कालटैक्स शोधनशालाओं को अशोधित तेल की कम सप्लाई किए जाने के कारण उनकी एल० पी० जी (ईंधन गैस) की उपलब्धता पर कुप्रभाव पड़ा है। आई० ओ० सी० तथा एच० पी० सी० के पास अपने वर्तमान ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल० पी० जी० पर्याप्त मात्रा में है। परिवहन/परिचालन कठिनाइयों के परिणामस्वरुप कुछ क्षेत्रों में यदा-कदा कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है। इन कंपनियों के पास उपलब्धता एवं विपणन सुविधाओं की तुलना में, नए गैस कनैक्शनों की मांग काफ़ी अधिक है।

(ख) जी, हां। किसी एक क्षेत्र में घरेलू प्रयोग के लिए ईंधन गैस के विक्रय मूल्य, निकटस्थ एल० पी० जी० निर्माता शोधनशाला के लिए शोधनशाला से बाहर के निर्धारित मूल्य, परिवहन व्यय, निर्धारित दर पर डीलर का कमीशन तथा स्थानीय विक्रय कर, पंजी आदि को मिला करके निर्धारित किए जाते हैं। क्योंकि शोधनशाला से बाहर लागू मूल्य, परिवहन लागत तथा विक्रय कर आदि स्थान-स्थान पर विभिन्न होते है इसलिए एल० पी० जी० के स्टैण्डर्ड सिलैण्डरों के लिए विक्रय मूल्य भी स्थान-स्थान पर अलग अलग होते हैं।

(ग) अनेक कठिनाइयों को दूर करके एल० पी० जी० के उत्पादन तथा विपणन को अधिकतम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में एकसमान मूल्य रखने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का पूरा प्रश्न इस समय तेल मूल्य निर्धारण समिति के विचाराधीन है।

भूमिगत रेलवे के लिये महाराष्ट्र सरकार की योजना

1035. श्री एस० आर० दामाणी :
श्री धामनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत रेलवे बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ;

(ख) क्या इस योजना के लिये धन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह काम कब शुरु होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बम्बई के लिए महाराष्ट्र सरकारकी ऐसी कोई योजना नहीं है यद्यपि द्रुत परिवहन प्रणाली (भूमिगत) के लिए व्यावहारिकतायन इस मंत्रालय में शुरु कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Railway Employees Charged with Sabotage

1036. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of Railway employees indicating the posts held by them in each Railway zone who have been charged with sabotage and who have been dismissed straight away instead of being suspended first ; and

(b) the reasons for their dismissal before the charges were proved and punishment awarded by the Court ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Production of Phosphate Fertilizers

1037. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the decrease or increase in the production of phosphate fertilizers during the last three years ; and

(b) in case of decrease the reasons responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The production of phosphatic fertilizers during the last three years was as under—

(In '000 tonnes in terms of Nutrient P_2O_5)

Year	Production
1971-72	278
1972-73	326
1973-74	317

(b) The slight decrease in production during 1973-74 as compared to 1972-73 was due to shortage of phosphoric acid, power cut and labour problems in some of the plants.

नांगल-भाखड़ा साइडिंग को सरकारी अधिकारे में लेने का प्रस्ताव

1038. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलभाकड़ा रेलवे साइडिंग जो इस समय परियोजना प्राधिकारियों के अधीन है, को सरकारी अधिकार में लेने अथवा उसे चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) नंगल बांध से भाकड़ा तक बनी हुई प्राइवेट साईडिंग को रेलवे द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के प्रस्ताव पर और अपने अधिकारों में लिये बिना इस साईडिंग को रेलवे द्वारा चलाये जाने की सम्भावना पर भी रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेल प्रशासन की भलाई से सावधानीपूर्वक विचार किया है। लेकिन ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

चंडीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन के लिए किये गये सर्वेक्षण का निष्कर्ष

1039. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित चण्डीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या निकला है ; और

(ग) इस लाइन पर निर्माण कार्य कब तक शुरु हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट जिस की जांच की जा रही है, से मालूम हुआ है कि इस परियोजना (बड़ी लाइन, 102.216 किलोमीटर) पर लगभग 19.56 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और, यह वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं होगी (इस से परम्परागत तरीके से पहले वर्ष 0.21 प्रतिशत छठे वर्ष 0.25 प्रतिशत और ग्यारहवें वर्ष 0.28 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होगा)।

(ग) यह सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के परिणाम तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जगाधरी-पांओटा रेलवे लाइन

1040. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगाधरी-पांओटा रेलवे लिंक के प्रस्तावित सर्वेक्षण और मार्ग रेखा निर्धारण के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के होरपुर तथा अन्य आस-पास के गांवों की जनता की ओर से रेलवे अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण दल को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि मार्ग निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दों को ध्यान में रखा जाये।

निर्वाचन प्रक्रियाओं में सुधार

1041. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सूची व्यवस्था' शुरु करके विद्यमान निर्वाचन पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन सुधारों का स्वरुप क्या है ; और

(ग) क्या 1976 तक ये सुधार लागू कर दिये जायेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार का विचार है कि विद्यमान निर्वाचन प्रणाली में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात पेट्रो-रसायन समूह का पूरा होना

1042. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नेफ्था क्रेकर सहित गुजरात पेट्रो-रसायन समूह को शीघ्र पूरा करने हेतु तुरन्त और प्रभावी कदम उठाने के लिये कहा है ;

(ख) क्या आई०पी०सी०एल० के उत्पादन कार्यक्रम की जांच करने के लिय राज्य सरकार ने समन्वय समिति नियुक्त की थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने आई० पी० सी० एल० परा-क्सीलिन्स उत्पादन की एक निश्चित प्रतिशत मात्रा को गुजरात में महंगे रन्जकों का निर्माण करने वाले लघु एककों को बेचने या उनके लिये अलग रखने हेतु आई० पी० सी० एल० को अनुमति के लिये उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उपरोक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) हाल में इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्र सरकार को इस बात की सूचना नहीं है कि राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

(घ) जी नहीं । गुजरात में रंजक मध्यवर्ती उद्योग में लगी तीन लघु एककों को पैरा जाइलीन की थोड़ी मात्रा बेचने की अनुमति के लिये आई० पी० सी० एल० ने स्वयं कहा है।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

मौरीग्राम में आग लग जाने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की हानि

1043. श्री रामावतार शास्त्री :

डा० रानेन सेन : :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली गिरने से मौरीग्राम में भीषण आग लगी जिसके फलस्वरूप 2700 किलो लिटर पैट्रोलियम उत्पादों की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में कोई जांच की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी हां । मौरीग्राम में भारतीय तेल निगम के टैंक नं० 3 में 10-5-74 को आग लग गई थी । आग बुझाने के रात-दिन के प्रयत्नों से आग केवल 13-5-74 को बुझाई जा सकी थी। तथापि, उत्पाद की हानि नेफ्था तथा मिट्टी के तेल के अन्तरापृष्ठ के 111 किलो लिटरों तक सीमित थी । टैंक को भी कुछ क्षति पहुंची थी ।

(ग) भारतीय तेल निगम ने इस मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी जिसने सिद्ध किया है कि आग बिजली गिरने के कारण लगी थी ।

हल्दियां तेल शोधक कारखाने में उत्पादन

1044. श्री रामावतार शास्त्री :

डा० रानेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि हल्दिया तल शोधक कारखाने के जून, 1974 में उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) परिष्करणशाला के ईंधन क्षेत्र मे अनेक परिशोधन एक कार्य प्रारम्भ करने के लिए तयार है । उपकरणों का परीक्षण किया जा रहा है तथा उन्हें कार्यों पर लगा दिया गया है और जहां प्रारंभिक समस्याएं हों उनमें सुधार कर लिया है । इनके पूर्ण होने की आशा है तथा परिष्करणशाला शीघ्र ही उत्पादन करेगी ।

दुर्गापुर कैमिकल्ज से पारे का गायब हो जाना

1045. **श्री रामावतार शास्त्री :**
डा० रानेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किया गया पारा दुर्गापुर कैमिकल्ज से रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच शुरू की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कलकत्ता स्थित शाखा को ऐसा कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई उनके विचाराधीन हैं ।

स्वदेशी काटन मिल्स और लक्ष्मी रतन टेक्सटाइल मिल्स को भाडे सम्बन्धी सुविधाएं

1046. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी काटन मिल्स और लक्ष्मी रतन टैक्सटाइल मिल्स को रेल विभाग से भाड़े संबंधी सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या भाड़े सम्बन्धी यह सुविधा दिये जाने से रेलवे को लागत की अपेक्षा कम आय होती है ; और

(घ) ये सुविधाएं दिये जाने के लिये रेल अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल-माल डिब्बों का रियायती दरों पर दिया जाना

1047. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यापारियों को रेल मालडिब्बे रियायती दरों पर दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोल में मिलावट

1048. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैट्रोल में मिलावट में बहुत वृद्धि हो गयी है और भारतीय उपभोक्ता परिषद् के सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि हुई है ;

(ख) क्या दिल्ली में प्राय: 'प्रयुक्त मोटर तेल' को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है और पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल के साथ दिये जाने वाले स्नेहक तेल की किस्म पर कोई नियंत्रण नहीं है ;

(ग) क्या मिलावट करने वाले लोग मिलावट रोकने हेतु मिट्टी के तेल को रंगने संबंधी सरकार की योजना को समाप्त करने में सफल हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त योजना को कार्यान्वित न किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिये तथा इसके लिये जिम्मेवारी निश्चित करने के लिये विस्तृत जांच की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) पैट्रोल में मिलावट किये जाने के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । लेकिन तकनीकी तौर पर, पैट्रोल की मोटर तेलों के साथ मिलावट किये जाने की संभावना कम है । मिट्टी के तेल अथवा विलायकों के साथ मिलावट किये जाने की संभावना अधिक है । तेल कम्पनियों को उन विशिष्ट मामलों, जो उनके ध्यान में लाये जाते हैं, इसमें डीलरों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने के अनुदेश दिये गये हैं । मिलावट की शिकायतों के विरुद्ध राज्य सरकारें भी कार्यवाही करती हैं ।

तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों को स्नेहकों की सप्लाई बन्द डिब्बों तथा बैरलों में की जाती है और डिब्बे भरे तथा बन्द करने से पहले उत्पादों की किस्म की जांच की जाती है । अत: डिब्बों में बेचे गये स्नेहक तेल सामान्यत: परीक्षित होते हैं । लेकिन तेल कम्पनियां खुले स्नेहक तेलों की किस्मों पर कोई कठोर नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है । अत: ऐसे मामलों में कार्यवाही तभी की जा सकती है यदि कदाचार के विशिष्ट मामले ध्यान में लाय जायें ।

(ग) और (घ) जी नहीं, मिट्टी के तेल में नीले रंग के मिलाये जाने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस प्रयोजन के लिये किसी रंग के आयात किये जाने पर विदेशी मुद्रा का व्यय होगा और यही कारण है कि अभी तक मिट्टी के तेल के रंग जाने का काम नहीं किया गया है । देश में रंग बनाये जाने की संभावनाओं की खोज की जा रही है । कुछ विनिर्माताओं ने इस बारे में पेशकश प्रस्तुत की है और उनकी जांच की जा रही है ।

बोम्बे हाई में पहले स्थान पर खुदाई कार्य का बन्द किया जाना

1049. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोम्बे हाई में खुदाई कार्य पहले स्थान पर बन्द करके दूसरे स्थान पर शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से वहां खुदाई बन्द की गई है और पहले स्थान पर मिले तेल की किस्म और मात्रा संबंधी उत्पादन प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या पहले स्थान पर अब तक की गई खुदाई से सरकार को यह अनुमान लगाने में मदद मिली है कि यहां पर वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन कब तक शुरू किया जा सकता है और यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। बम्बई हाई पर 1786 मीटरों की गहराई तक पहुंचने के बाद प्रथम कुएं में व्यधन पूरा किया गया था। व्यधन जलयान "सागर सम्राट" अनुचित वायु वातावरण के कारण दसरे स्थान तक नहीं जा सका।

(ख) कुआं स्थगित नहीं किया गया था। कुएं की जांच की गई थी किन्तु तकनीकी मूल्यांकन से पता लगता है कि जांच आंकड़े अनिर्णायक हैं;

(ग) एक कुएं की खोज के आधार पह तेर भंडार का अनुमान लगाना संभव नहीं है। अगले दो वर्षों के दौरान बहुत अनुकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत अशोधित तेल के एक मिलियन मीटरी टन के उत्पादन के लक्ष्य की संभावना है।

घटिया किस्म की औषधियों के उत्पादन को रोकने के लिये औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1050. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भेषज तथा औषधियों की मिलावट की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा उनकी घटिया किस्म के बारे में जानकारी है; और

(ख) क्या सहकार का विचार शुद्धता तथा स्तर को सुनिश्चित करने के लिये भेषज तथा औषधियों के निर्माण का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार को सूचना है कि हाल में कृत्रिम एवं मिलावट युक्त औषधें अत्यधिक प्रचलित हैं। इस समस्या को दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है तथा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में संलग्न विवरण पत्र में बताया गया है। इन साधनों के अतिरिक्त इस मंत्रालय तथा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय को 25-5-74 को औषधों के गुण नियंत्रण तथा संबंधित मामलों पर उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा गठित औषध एवं भेजष उद्योग समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार रिपोर्ट की जांच क रही है।

(ख) इस उद्योग के अत्यधिक तकनी उन्मुखता यूनिटों की अधिक संख्या तथा उनके कार्य संचालन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं रखती। चूंकि यह औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अन्तर्गत अनुसूची 'ख' में सम्मिलित है अतः यह सरकारी तथा बगैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में विकसित की जा सकती है।

विवरण

1. गैर लाइसेंसीकृत औषधों के उत्पादकों को हटाने के लिए जो सामान्य तथा कृत्रिम औषधों के निर्माण तथा विक्रय में लगे रहते हैं लाइसेंसीकृत औषध उत्पादकों की अखिल भारतीय सूची को संकलित एवं अद्यतन कर दिया गया है। इस सूची को औषध उत्पादकों तथा डीलरों एवं राज्य औषध नियंत्रण संगठनों में परिचालित किया गया है।

2. ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम) को संशोधित किया गया है तथा मिलवट युक्त औषधों के उत्पादनों एवं बिक्री तथा बिना लाइसेंस के बिक्री करने पर दिये जाने वाले दंड की सीमा को 3 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे औषधों के उत्पादन में लगे कर्मचारियों तथा उपकरणों को जब्त करने तथा ऐसे वस्तुओं को ले जाने वाली परिवहन साधनों के लिये भी व्यवस्था की गई है। पद्धति को और सख्त बनाने तथा दंड को और कठोर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

3. कृत्रिम औषधों के विरुद्ध गहन कार्य करने के लिये राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पुलिस अधिकारियों के साथ निकटतम सम्पर्क बनाये रखें।

4. जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा कृत्रिम औषध के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होती है तथा जब कभी एक गिरोह अन्तर्राज्य से संबंधित होता है। संबंधित राज्य को सचेतन करने के लिये विशेष सावधानी बरती जाती है तथा राज्य पुलिस की सहायता के साथ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सलाह दी जाती है।

5. राज्यों से कहा गया है कि वे अपने औषध निरीक्षणालय तथा परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाये जिससे नमूने करने के कार्य में वृद्धि हो तथा शीघ्र परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो सके।

6. केन्द्रीय एवं राज्यीय संगठनों के बीच निकट संपर्क स्थापित करने के लिये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का एक कार्य यह भी है कि वे कृत्रिम औषधों, विशेषकर अन्तर्राज्यीय व्यापार से संबंधित, के प्रेषण की जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि अन्तर्राज्यीय व्यापार में औषधों के प्रेषणों का कड़े रूप में अनुपालन हो। क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके कार्य में केन्द्रीय औषध निरीक्षकों जो राज्य औषध निरीक्षकों के साथ निकट संपर्क में कार्य करते हैं, द्वारा सहायता दी जाती है।

7. अच्छा उत्पादन तथा विक्रय मूल्य पद्धति के अधिकतम अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये तथा कृत्रिम औषधों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए उन संस्थाओं जो औषध निर्माण तथा डीलरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, की सहायता एवं सहयोग लिया जा रहा है।

8. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों तथा विश्लेषकों के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से औषध मानक नियंत्रण को अधिक कड़ाई के साथ लागू करने में मदद मिलेगी।

9. औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रभावी रूप में लागू करने के लिये राज्य सरकारों से राज्य औषध सलाहकार बोर्डों को बनाने के लिये कहा गया है जिसमें औषध निर्माताओं, डीलरों, चिकित्सकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे।

10. स्वास्थ्य मंत्री से राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का लिखित रूप में कृत्रिम औषधों तथा राज्यों द्वारा इस बुराई को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं, की ओर ध्यान दिलाया है। केन्द्रीय औषध नियंत्रण संस्था द्वारा औषध निरीक्षकों तथा विश्लेषकों को जो सहायता दी सकती है उस पर भी बल दिया है।

किशनगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली (उत्तर रेलवे) के कर्मचारी का पीटा जाना

1051. **श्री झारखंडे राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगंज रेलवे स्टेशन, दिल्ली (उत्तर रेलवे) के रेलवे कर्मचारी को कार्यालय में पीटा गया और उसने खून की उलटियां की और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो अपराधी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31-5-1974 को यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली किशनगंज के एक क्लर्क श्री गंगूराम चांदना ने एक शिकायत पेश की थी कि 30-5-74 को स्टेशन लेखा के चल निरीक्षक श्री भोलानाथ चोपड़ा ने उन्हें पीटा था। श्री गंगुराम चांदना ने 31-5-74 को कार्यालय में अपने सीने में दर्द की शिकायत की । रेलवे चिकित्सालय, किशनगंज के चिकित्साधिकारी को बुलाया गया और उनकी राय से श्री चांदना को उत्तर रेलवे केन्द्रीय अस्पताल में आगे और जांच के लिये भेज दिया गया। अस्पताल में जांच से मालूम हुआ कि उनकी फसली में बायें से सांतवीं और आठवी हड्डी टूट गयी है औह सीने में कुछ अन्य चोटें भी हैं । अस्पताल में जांच के समय उनके थूक में खून भी देखा गया ।

(ख) दिल्ली किशनगंज के वरिष्ठ लेखा अधिकारी (यातायात) इन आरोपों की जांच कर रहे हैं और आशा है कि आगामी दो हफ्तों में जांच पूरी हो जाएगी । जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

भारत में तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेटस द्वारा रियायतों की पेशकश

1052. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाईटेड अरब एमिरेटस सरकार ने भारत में तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिये रियायतें देने की पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने पेशकश का लाभ उठा लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) इस प्रकार की छूट की संभावना के बारे में मार्च 1974 में यूनाइटेड अरब एमीरेट के एक सदस्य मंडल के साथ हुई बातचीत में चर्चा की गई थी । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक 2 सदस्यों के दल ने अजमान एमीरेट का दौरा किया था तथा संभावनाओं का मूल्यांकन किया था । तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि मामले पर आगे कार्यवाही न की जाए ।

मिट्टी के तेल के आयात का निर्धारित कार्यक्रम

1053. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल का आयात निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय आयात कार्यक्रम से कितना पीछे है और क्या इससे देश में भारी कमी पैदा होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) उन मात्राओं, जिन से जून, 74 तक जहाज से भेजे जाने की आशा थी, की तुलना में प्राप्त हुई मात्राओं में 1,68,000 मीट्रिक टनों की कमी थी ।

(ख) और (ग) मिट्टी के तेल की आयात में कमी होने से मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की सीमित उपलब्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । भारतीय तेल निगम संबंधित सोवियत एजेंसी के परामर्श से शेष महीनों ने दौरान सप्लाई के स्तर को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है ।

सतपुड़ा नैरोगेज लाइन का ब्राड गेज लाइन में बदलों जाने के लिये प्रतिवेदन पर विचार करना

1054. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री मध्य प्रदेश में रेलों के विस्तार कार्यक्रम के बारे में 7 गई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9296 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतपुड़ा नैरोगेज रेल लाइन के उत्तरी भाग के ब्राड गेज लाइन में बदले जाने संबंधी प्रतिवेदन की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस रिपोर्ट की जांच हो रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अलाभकर रेलवे लाइनों से प्रति वर्ष होने वाली हानि

1055. **श्री नरन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल विभाग की अलाभकर रेलवे लाइनों पर सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितना खर्च करना पड़ता है ;

(ख) क्या एन० सी० सी० आर० एस० ने मई, 1974 की रेल हड़ताल से पूर्व रेल प्रशासन के साथ अपनी बातचीत में यह सुझाव दिया था कि धनाभाव के कारण इन रैलवे लाइनों को बन्द कर दिया जाय; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1972-73 में अलाभप्रद शाखा लाइनों से होने वाली कुल हानि जिसमें सामान्य राजस्व की देय लाभांश शामिल नहीं है, 11.01 करोड़ रुपये थी ।

1-4-1969 से अलाभप्रद शाखा लाइनों की पूंजी लागत पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खरोदा और बल्लभनगर स्टेशनों के बीच हुई बस-रेल टक्कर

1056. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जून, 1974 को खरोदा और बल्लभनगर स्टेशनों के बीच चौकीदार रहित फाटक पर एक बस एक रेल गाड़ी से टकरा गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति मारे गये, 3 को गंभीर चोटें आयीं और तीन व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद जाने की अनुमति दे दी गयी ।

हाल ही की रेलवे हड़ताल के दौरान समाचार पत्रों तथा रेडियों के माध्यम से दिये गये विज्ञापनों परव्यय की गई धनराशि

1057. **श्री सी० के० चंद्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की रेलवे हड़ताल के दौरान रेलवे ने समाचारपत्रों, रेडियो तथा अन्य साधनों के माध्यम से दिये गये विज्ञापनों पर कितनी धनराशि व्यय की थी;

(ख) इस संबंध में कितनी लघु फिल्मों का निर्माण किया गया; और

(ग) इन विज्ञापनों का मुख्य विषय क्या था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जहां तक हाल की रेल हड़ताल के दौरान रेलों द्वारा सीधे जारी किये गये विज्ञापनों का सम्बन्ध है, इन पर केवल लगभग 5,53,189 रुपए खर्च हुए । इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने 6,95,372 रुपए खर्च किए । लेकिन, रेल हड़ताल के सम्बन्ध में रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों पर हुए खर्च को अल ग से बताना संभव नहीं है क्योंकि वे सामान्य कार्यक्रमों का ही एक भाग थे ।

(ख) चार ।

(ग) विज्ञापनों के मुख्य विषय निम्नलिखित थे :

(i) रेल कर्मचारियों के किन्हीं वर्गों द्वारा हड़ताल के आह्वान से बहकावे में न आने के लिये रेल कर्मचारियों से अपील ।

(ii) गैरकानूनी हड़ताल में भाग लेने के दुष्परिणाम तथा निष्ठावान कर्मचारियों को प्रोत्साहन ।

(iii) अनिवार्य सेवाओं को चालू रखने में सहायता देने के लिये निकटतम प्रशासनिक कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिये सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से अपील ।

(iv) सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों तथा अन्य योग्य कार्मिकों के पुनर्नियोजन के लिये नियोजन सूचनाएं ।

(v) हड़ताल की धमकी से निपटने के लिये अपना समर्थन और सहयोग देने तथा हड़ताल से हुई असुविधा को वहन करने के लिये जनत ा से अपीलें ।

(vi) हड़ताल से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को होने वाली असीम क्षति तथा रेल उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा ।

बहुराष्ट्रीय निगमों की तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये रियायतें

1058. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों के तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिये तथा हमारे देश में तटदूर खुदाई करने के लिये रियायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अमेरीका के कार्ल्स बर्ग इंडिया ग्रुप के साथ बंगाल बेसिन की और अमरीका के रीडिंग एंड बेट्स ग्रुप के साथ कच्छ बेसिन की संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ख) संविदा की प्रमुख शर्तें दिनांक 23-7-74 को लोक सभा में दिए गए तारांकित प्रश्न सं० 30 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण पत्र में दी हैं ।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बनाये जाने वाले पवेलियन के निर्माण का ठेका

1059. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मंत्रालय का पैवेलियन लगाये जाने की व्यवस्था करने हेतु नियुक्त अध्ययन दल उसके निर्माण का ठेका देने के मामले के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो सका ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आगामी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के उपक्रमों के प्रस्तावित सांझे पैवेलियन का डिजाईन तैयार करने तथा उसके निर्माण कार्य की निगरानी करने के लिये शिल्पकार का चयन किये जाने पर दल एकमत नहीं हो सका है ।

(ख) संबंधित सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों ने अब विचार छोड़ दिया है ।

नाडियाड-कापाडाविंग छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

1060. **श्री अरविंद एम० पटेल** :

श्री वेकारिया :

क्या **रेल** मंत्री गुजरात में शमालाजी-मोदासा-कापाडाविंग नई रेलवे लाईन के लिये सर्वेक्षण के बारे में 28 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4672 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जून, 1973 को मंजूर किया गया नाडियाड-कापाडाविंग छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और इसको मोदासा तक बढ़ाये जाने संबंधी सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं और लाइन के परिवर्तन पर कुल कितना चेंखआने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व रेल कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि की मांग

1061. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के पुराने पेंशन-धारियों को बहुत कम पेंशन मिलती है जिसमें उनके लिये दो वक्त गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उनकी पेंशन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उन्हें प्रतिदिन दोनों समय भोजन तो मिल सके ?

रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पेंशनधारी रेल कर्मचारियों को उन्हीं दरों पर पेंशन दी जाती है जिन दरों पर सिविल कर्मचारियों को दी जाती है ।

(ख) (i) जो पेंशनधारी रेल कर्मचारी 1-1-1973 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें वित्त मंत्रालय के इस विषय पर दिए गये सामान्य अनुदेशों के आधार पर पेंशन में निम्नलिखित राहत दी गयी है :—

पेंशन क्रम	1-1-73 से पेंशन में तदर्थ राहत
	रुपए
85 रुपए से कम	15.00
85 से 209 रुपए तक . .	21.00
210 रुपए से 499 रुपए तक . .	25.00
500 रुपए से आगे	35.00

(ii) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा यथा स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर क्रमशः 1-8-73 और 1-1-74 से पेंशन में कर्मचारियों की पेंशन की 5 प्रतिशत की दर से और वृद्धियां भी मंजूर की गयी हैं । यह वृद्धियां कम से कम 5 रुपए और अधिक से अधिक 25 रुपए मासिक हैं ।

(iii) ऊपर पद (ii) में बताये गये नियम के अनुसार दी गयी राहत उन पेंशनधारी रेल कर्मचारियों को भी दी गयी है जो 1-1-73 के बाद सेवा निवृत्त हुए थे ।

बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाने में हुआ घाटा

1062. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाना दस वर्ष से अधिक समय तक एक घाटे वाला कारखाना रहेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या तेलशोधक कारखाने के एक लाभदायक कारखाना बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) वर्तमान पेट्रोलियम उत्पाद मूल्यों पर क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट युक्त परिष्करणशाला अनुभाग, कैरोसिन ट्रीटिंग यूनिट (मिट्टी के तेल को परिशोधित करने वाला यूनिट), कोकार एवं कोयला निस्तापन संयंत्रों द्वारा एक शुद्ध लाभ अर्जित करने की आशा है। परिशोधनशाला भाग के साथ एकीकृत पेट्रो-रसायन के संमिश्रण से लाभ प्रदत्त में वृद्धि होगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में विमलगढ़ और तालचेर के बीच रेल लाइन का निर्माण

1063. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से दक्षिण-पूर्व रेलवे में विमलगढ़ और तालचेर के बीच रेल लाइन का निर्माण नहीं किया जा रहा है;

(ख) इस लाइन के निर्माण पर कितना खर्च होगा और उस क्षेत्र में खनिज और अन्य संसाधनों के उपयोग से अनुमानतः कितनी आय होगी; और

(ग) क्या इस समस्या के समाधान के लिये रेल मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा कोई समन्वित निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग) रेलवे द्वारा की गई इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्ट विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय भलंगटोली लोह अयस्क भंडारों के जहां से प्रस्तावित रेल लाइन से लोह अयस्क ढोये जाने की सम्भावना है, विस्तार के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने और उसकी जांच के बाद लिया जायेगा।

(ख) अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार विमलगढ़ से तालचेर तक की लाइन पर 16.75 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। इस रेलवे लाइन से 3.22 प्रतिशत प्रतिफल की आशा है, जबकि इसे वित्तीय दृष्टि से लाभ-प्रद होने के लिये 10 प्रतिशत प्रतिफल अपेक्षित है।

अशोधित तेल का बड़ी मात्रा में आयात

1064. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि !

(क) क्या सरकार मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना की दृष्टि से अशोधित तेल का भारी मात्रा में आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे नेफ्था की उपलब्धता में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है;

(ग) क्या ओ० पी० ई० सी० ने अगस्त, 1974 से मूल्य में और वृद्धि के बारे में कोई संकेत दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 के अन्त तक तमिलनाडु में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां

1065. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 के अन्त तक तमिलनाडु में कार्य कर रही ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के अन्त तक इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है; और

(ग) इस अवधि में स्थापित की गई ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां और उनकी प्रदत्त पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) 31-3-73 एवं 31-3-74 तक तमिलनाडु राज्य में हिस्सों द्वारा सीमित एवं कार्य कर रही संयुक्त स्कंध कम्पनियों की संख्या तथा प्रदत्त पूंजी नीचे दी जाती है :—

(पूंजी करोड़ रुपए में)

तक	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी
31-3-73	3232	378.1
31-3-74	3460	398.8

(ग) तमिलनाडु राज्य में 1972-73 में 130.0 करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी युक्त 186 कम्पनियां तथा 1973-74 में 52.7 करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी युक्त 247 कम्पनियां विनिगमित हुई थीं ।

केरल और तमिलनाडु में 10 करोड़ रुपये तथा अधिक पूंजी निवेश वाले उपक्रम

1066. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और तमिलनाडु में 10 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक पूंजी निवेश वाले उपक्रमों के क्या नाम हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक में सरकार के कितने शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) 31-3-1972 तक तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में निजी निगम क्षेत्र में पंजीकृत बैंकिंग तथा वित्त कम्पनियों एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत यथा परिभाषित विदेशी कम्पनियों को छोड़कर, 10 करोड़ रु० तथा इससे ऊपर के पूंजी नियोजन अर्थात् कुल परिसम्पत्तियों युक्त कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 31-3-1972 तक उपरोक्त कम्पनियों में केन्द्रीय सरकार के कोई हिस्से नहीं हैं ।

विवरण

1971-72 में 10 करोड़ रु० या इससे ऊपर की पूंजी नियोजन युक्त, तामिलनाडु एवं केरल में पंजीकृत कम्पनियों के नाम

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
	तामिल नाडु
1	अशोक ले लैंड लि०
2	बिन्नी लि०
3	डालमिया सीमेंट (भारत) लि०
4	इंडिया सीमेंट्स लि०
5	के० सी० पी० लि०
6	कोठारी मद्रास लि०
7	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि०
8	मद्रास अल्यूमिनियम कम्पनी लि०
9	मद्रास रबड़ फैक्टरी लि०
10	मदुरा मिल्स कम्पनी लि०
11	पैरी एण्ड कम्पनी लि०
12	प्लास्टिक रेसिन्स एण्ड कैमिकल्स लि०
13	शक्ति शुगर्स लि०
14	शेषाशायी पेपर एण्ड बोर्डस लि०
15	सिम्प्सन एण्ड कम्पनी लि०
16	साउथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन लि०
17	साउथ इन्डिया विस्कोस लि०
18	ट्यूब इन्वैस्टमेंट आफ इंडिया लि०
	केरल
1	अल्यूमिनियम इण्डस्ट्रीज लि०

रेल लाइन के विस्तार के लिये केरल सरकार का ज्ञापन

1067. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को रेल लाइन के विस्तार के बारे में कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अंशत: अथवा पूर्णत: केरल राज्य में पड़ने वाली रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से समय-समय पर प्रस्ताव मिलते रहे हैं ।

(ख) और (ग) :

पोरामन और कुमिली के रास्ते कोट्टायम-बोडिनायकनूर-मीटर लाईन 80 कि० मी०

यह लाइन अधिकांशत: पश्चिमी घाटों से होकर गुजरेगी और यह भूभाग ऐसा है कि इस पर निषेधात्मक लागत आयेगी । सीधी ढलानों तथा तेज घुमाओं के कारण इस लाइन के क्षमता की दृष्टि से प्रतिबन्धात्मक होने की संभावना है । इस पर पर्याप्त यातायात भी नहीं होता और इसके अर्थक्षम होने की भी आशा नहीं है ।

तेल्लिचेरी-मैसूर-मीटर लाइन 237 कि० मी०

1957-58 में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे जिनसे मालूम हुआ था कि प्रभार्य दूरी की स्फीति के बावजूद यह परियोजना अलाभप्रद होगी ।

एलप्पी के रास्ते कायन कुलम-एरणाकुलम (बड़ी लाइन 97 कि० मी०)

एक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के लिए हाल ही में यातायात सर्वेक्षण किया गया है । इस रिपोर्ट के अनुसार, यह बड़ी लाइन अत्यधिक अलाभप्रद रहेगी । इस लाइन को उन नयी लाइनों की सूची में शामिल कर लिया गया है जिन्हें पिछड़े इलाकों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने का प्रस्ताव है । लेकिन, इस का निर्माण योजना आयोग द्वारा इस काम के लिए अतिरिक्त राशि के आबंटन पर निर्भर करता है ।

गुरुवयूर और कण्यानूर के रास्ते कुट्टीपुरम-एरणाकुलम (मी० ल० 128 कि० मी०)

इस लाइन के लिए यातायात का पर्याप्त औचित्य नहीं है और वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होने की संभावना है । इसके निर्माण पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता ।

गुरुवयूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर

गुरुवयूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक एक रेलवे लाइन के लिए, हाल ही में, प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है । सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणाम ज्ञात होने तथा उनकी जांच करने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

एरणाकुलम से तिरुवनन्तपुरम तक मीटर लाईन का बड़ी लाईन में आमान परिवर्तन 221 कि० मीटर

एरणाकुलम और तिरुवनन्तपुरम के बीच मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का काम हो रहा है ।

तिरुवनन्तपुरम-कुमारी अन्तरोप

नागरकोइल के रास्ते तिरुवनन्तपुरम से निरुनेलिवेली तक 14.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 164.92 कि० मीटर लम्बी एक बड़ी लाइन को मंजूरी दी गयी है। इसमें कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन भी शामिल है। इस लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

केरल में रेलवे स्टेशनों के विस्तार और मरम्मत के लिये दी गई धनराशि

1068. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में कुछ रेलवे स्टेशनों के विस्तार और मरम्मत के लिए कोई धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में 46 स्टेशनों पर सुधार/विस्तार कार्य के लिए 1974-75 में लगभग 11.21 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस सुधार/विस्तार कार्य के अन्तर्गत स्टेशनों में सुधार, प्लेटफार्म का विस्तार, प्लेटफार्म पर अतिरिक्त छत की व्यवस्था, आरक्षण कार्यालय का निर्माण, दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार, विश्रामगृहों की व्यवस्था, प्लेटफार्मों में सुधार, माल गोदाम की सुविधाएं, पानी का प्रबन्ध, शाकाहारी भोजनालय, शौचालय आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 5.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कोल्लम में स्टेशन के नये भवन का निर्माण, लगभग 1.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वरकाला में वर्तमान स्टेशन की इमारत में सुधार और 0.23 लाख रुपये की लागत से मुरुक्कमपुषा में वर्तमान स्टेशन की इमारत में सुधार का काम एरणाकुलम-कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम खंड की मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की योजना में शामिल है। यह कार्य प्रगति पर है।

औषध-निर्माण एककों को देशी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए निदेश

1069. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में औषध निर्माण एककों को देश में देशी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अनुसंधान और विकास करने के बारे में कोई निदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) निर्माताओं की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सम्बन्धित औषध विनिर्माण यूनिटों को निम्नलिखित रूप से सलाह दी गई है :—

(i) विषय विज्ञान, जीव विद्यमानता अध्ययन तथा प्रक्रिया सुधार सम्बन्धी उपायों की सुविधाओं के साथ प्रतिवर्ष 1 करोड़ से 6 करोड़ रुपये के बीच कुल बिक्री करने वाले औद्योगिक एककों को एक सम्पूर्ण विनिर्माण तथा पैकेजिंग विकास प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए।

(ii) उपरोक्त कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये तथा इसके ऊपर राशि की बिक्री आने-वाले यूनिटों को अपनी सुविधाएं तथा डिजाइन, इंजीनियरिंग एवं निश्चित कार्यक्रम के लिये भी अपनी सुविधाएं जुटानी चाहिए ।

(iii) नवीनीकरण वाले कार्यक्रम के लिए पूर्ण सुविधाओं के साथ 10 करोड़ रुपये तथा उससे ऊपर की राशि की बिक्री वाले बड़े एककों को अपने सम्पूर्ण अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने चाहिए ।

(ग) कम्पनियों से कुछ कम्पनियों ने अपने अनुसंधान सम्बधी कार्यक्रम तथा भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना दी है ।

इटली के साथ तेल और कच्चे माल के लिये करार

1070. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के साथ तेल और कच्चे माल के क्षेत्रों मे सहयोग के बारे में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) एक पथ में हाइड्रोकार्बन इण्डिया प्राइवेट लि०, इटली की ए० जी० आई० पी०, यू० एण्ड ए० की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी तथा दूसरे पथ में नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के बीच 17 जनवरी, 1965 को हुए करार के अन्तर्गत हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि०, जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सहायक कम्पनी है, फारस की खाड़ी में चार ब्लाक से, बने एक अपतटीय क्षेत्र में तेल की खोज तथा उत्पादन कर रही है । इस करार के अनुसार हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि० संयुक्त उद्यम के 1/6 शेयर धारी है, इस समय फारस की खाड़ी में उत्पादन से हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि० के साम्य शेयर प्रतिवर्ष 0.6 मिलियन टन तेल के लगभग है ।

तेल एवं कच्चे मांल के क्षेत्र, जिससे मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, में सहयोग के लिए, इटली के साथ हाल में कोई करार नहीं किया गया ।

प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे सब हैड्स के विरुद्ध शिकायत

1071. श्री महावीपक सिंह शाक्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद् सदस्य ने फरवरी, 1973 में प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, उत्तर रेलवे नई दिल्ली के कुछ सब हैड्स के विरुद्ध शिकायत की थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी रिकार्ड में गडबड़ की है तथा उत्तर रेलवे के किसी इलैक्ट्रिक चार्जमैन/फोरमैन की बीवी से सम्बन्धित भुगतान वाऊचरों को नष्ट किया है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच की जा रही है और इस आशय की हिदायतें जारी की जा रही हैं कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाये ।

मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते और कांच की चोरी

1072. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **रेल** मंत्री मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते और पिंडों की चोरी के बारे में 26 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4599 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1959 के नियम 44 के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के विरुद्ध आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विभागीय कार्रवाई को अंतिम रूप देने के बाद ही कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी ।

गाजियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी की जांच

1073. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **रेल** मंत्री गाजियाबाद में सिगनल वर्कशाप से लोहे की सामग्री और कोयले की चोरी की जांच के बारे में 12 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्य इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अदालत में न्यायाधीन है ।

प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सब-हैड्स का निलम्बित किया जाना

1074. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **रेल** मंत्री प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सब-हैड्स को निलम्बित किये जाने के बारे म 23 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) शुरू में विलम्ब कर्मचारी के कारण हुआ था । अब अनुशासन की कार्रवाई की जा रही है । फिर भी, इस मामले में शीघ्रता करने के लिए अनुदेश जारी किये जा रहे हैं ।

रेलवे सेक्शनल आफिसर का पद समाप्त करना

1075. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने कुछ कर्मचारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के साथ रेलवे सेक्शनल अधिकारियों के रूप में कार्य करने का निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने काम की मात्रा और स्वरूप के संदर्भ में गत तीन वर्षों में इन अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य विशेषाधिकारों पर कितनी धनराशि व्यय की ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन पदों को समाप्त करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में नौ में से सात क्षेत्रीय रेलों में वेतन और भत्तों के रूप में इन पदों पर कुल 11.30 लाख रुपये व्यय हुए । इसके अलावा, वे पास और सुविधा टिकट आदेश पाने के हकदार हैं । शेष दो रेलों अर्थात् पूर्वोत्तर और दक्षिण-पूर्व रेलों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इन पदों को बनाये रखने के प्रश्न पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से विचार किया जा रहा है । इस बीच इन पदों की कार्य-अवधि 31-12-74 तक बढ़ा दी गयी है ।

कोयला खान कम्पनियों और कम्पनी अधिनियम

1076. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि की अनुसूची छः में निर्धारित लेखा फार्म उस से भिन्न है जिसमें सरकारी प्रबन्धक कोयला खान मालिकों को लेखा विवरण भेजते हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोनों फार्मों में से कौन सा वैध माना जायेगा ताकि कम्पनी निदेशक कम्पनी अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें ;

(ग) क्या बम्बई या कलकत्ता स्थित कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने कोयला खान कम्पनियों अथवा उनके निदेशकों को कोई नोटिस जारी किये हैं और यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1974 में नोटिस जारी किये गये हैं ; और

(घ) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने वर्ष 1973-74 में कोयला खान कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो उन निदेशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क), (ख) और (घ) कोयला खान (लेखाओं का विवरण) नियम, 1974 के नियम 2 के अनुसार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 19 में निदेशित, लेखाओं का विवरण तथा लेखाओं का अनुपूरक विवरण, कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड तथा दि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनियों द्वारा इस कथित नियम में वर्णित कोयला खानों की बाबत, इन नियमों के दिनांक 30 जून, 1974 के परिशिष्ट में उल्लिखित प्रपत्र पर, तैयार किया जाना अपेक्षित है । कथित अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में, तैयार किये गये लेखाओं की एक प्रति, साथ साथ सम्बन्धित खान के मालिक को भी भेजा जाना अपेक्षित

है । जब तक भूतपूर्व कोल कम्पनियों की निगम सत्ता, विद्यमान रहेगी, तब तक उन्हें लेखाओं के तैयार करने, वार्षिक साधारण बैठक करने आदि की बाबत कम्पनी अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन करना पड़ेगा । कानून में इन परिवर्तनों को दृष्टि से, बहुत सी कम्पनियां, समय पर अपनी वार्षिक साधारण बैठक करने तथा सम्बन्धित अवधि के अपने लेखे प्रस्तुत करने में असमर्थ रही थीं । अतः कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता को अप्रैल, 1973 में इन कम्पनियों के ऊपर उनके इन कथित दो सरकारी कम्पनियों से लेखे प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् के कुछ समय बीत जाने तक मुकदमा न चलाने का परामर्श दिया था ।

(ग) उन 62 कोल कम्पनियों, जिन्हें 1974 में वार्षिक साधारण बैठक करने व लेखाओं की प्रतियां कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता व बम्बई को प्रस्तुत करने से असफल रहने के लिये नोटिस दिये गये थे, की सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8088/74]**

Late Running of Trains between Ajmer and Khandwa

1077. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether most of the passenger trains running between Ajmer and Khandwa are usually late for hours together because of there being only one platform at Mhow as a result of which crossing of many trains is not possible there ; and

(b) if so, the action being taken to remove this difficulty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

Cancellation of Shuttle Train Running between Ratlam and Chittaurgarh

1078. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister for **Railways** be pleased to state :

(a) whether the shuttle train running between Ratlam and Chittaurgarh stands cancelled for a long time ;

(b) whether passengers are facing great inconvenience as a result thereof ; and

(c) if so, when this train is likely to be restored ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) Of the four pairs of trains scheduled to run on Ratlam-Chittaurgarh section, three pairs are at present running. Restoration of the fourth pair, *viz.* 89/90 Chittaurgarh-Mhow Passenger alongwith some other trains cancelled during and prior to the strike is being done progressively by the Western Railway.

बड़े स्टेशनों पर आरक्षण के लिये टोकन जारी करने की व्यवस्था

1079. श्री बनमाली पटनायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और दिल्ली मैन रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण के लिये टोकन जारी करने की व्यवस्था आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था सफल सिद्ध हुई है ; और

(ग) क्या देश के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी यह व्यवस्था आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गर्मी के मौसम अर्थात् 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक भीड़भाड़ की अवधि में नयी दिल्ली, दिल्ली मैन और कन्नाट प्लेस में आरक्षण के लिए टोकन जारी करने की प्रणाली शुरू की गयी थी ।

(ख) टोकन प्रणाली जारी करने का उद्देश्य यात्रियों को बहुत देर तक लगातार लाइन में खड़े रहने की परेशानी से राहत देना है । टोकन लेने के बाद कोई यात्री लाइन छोड़ कर जा सकता है और अपनी बारी आने पर वापस आकर टिकट ले सकता है ।

(ग) यह प्रणाली अन्य स्टेशनों पर लागू करने के संबंध में आरक्षण और बुकिंग के लिए गठित समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा ।

तट दूर तेल की खोज के लिये जापान और इटली के साथ ठेके

1080. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महाद्वीपीय-मग्न तट भूमि (कोन्टिनेन्टल शैल्फ) में दो और बेसिनों पर तट दूर तेल की खोज के लिये जापान और इटली को ठेके देने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इटली के संगठन के साथ केवल कुछ प्रारम्भिक विचार-विमर्श किये गये है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल कम्पनियों के लिये एक नियंत्रक कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव

1081. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत से सरकारी क्षेत्र की सभी तेल कम्पनियों के लिये एक नियंत्रक स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हल्दिया तेलशोधक कारखाने और अन्य परियोजनाओं के लिये अशोधित तेल हेतु यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ करार

1082. **श्री गजाधर मांझी :**

श्री एन० डी० होरो :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हल्दिया, तेलशोधक कारखाने की अशोधित तेल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक घटक के रूप में डुबाई में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये अपना सहयोग देने और संयुक्त उपक्रम के रूप में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) यू०ए०ई० के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान समझौते से सम्बन्धित एक ज्ञापन पर 18-6-74 को हस्ताक्षर हुए । इस समझौते के ज्ञापन के अनुसरण में :—

(i) मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटैंट्स (इण्डिया) लि० (एम ई सी ओ एन) के एक विशेषज्ञ दल ने 8 तथा 14 जुलाई, 1974 के बीच में यू०ए०ई० का दौरा किया। यू०ए०ई० प्राधिकारियों ने अब, डुबई में इस्पात समूह/स्पान्ज आयरन/स्टील काम्पलैक्स पर सभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एम ई सी ओ एन को अधिकृत किया है ।

(ii) यू०ए०ई० द्वारा भारत को सुगम शर्तों पर अशोधित तेल की सप्लाई की संभावनाओं पर जांच की जा रही है; और

(iii) संयुक्त उद्यम से उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से जांच की जा रही है ।

छिद्रण कार्यक्रम और रिगों का देश के अन्दर ही उत्पादन किया जाना

1083. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान छिद्रण कार्यक्रमों की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है, छिद्रण कार्य के लिये प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं और आयल रिगों का देश में ही उत्पादन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : चालू वर्ष के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का व्यधन कार्यक्रम निम्न प्रकार रहा :—

(i) रुद्रसागर, लकवा, गलेली तथा ऊपरी असम में अमगुरी तथा त्रिपुरा में बारामुरा संरचना पर व्यधन कार्य तथा पश्चिमी बंगाल में बबुलतला पर एक स्थान में व्यधन कार्य करने की संभावना है ।

(ii) काबेरी बेसिन में व्यधन कार्य जारी रहेगा । सुमरवाली तलाई पर व्यधन कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद राजस्थान में गोटार स्थान पर व्यधन कार्य किया जायेगा ।

(iii) आयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंकलेश्वर, नवागांव, अहमदाबाद, सुभासन, उत्तरी काडी आदि में व्यधन कार्य ।

(iv) अपतटीय क्षेत्र : सितम्बर 1974 के मध्यम में सागर सम्राट बाम्बे हाई में व्यधन कार्य पुनः प्रारम्भ करेगा ।

चालू वर्ष के दौरान आयल इण्डिया लि० का व्यधन कार्य 5 विकास स्थलों पर पूर्ण तथा ऊपरी असम में अपने नाहरकटिया तेल क्षेत्र के अन्तर्गत एवं आस पास 2 स्थानों पर खण्डों पर ही रहा है । इसके अतिरिक्त इस वर्ष के लिए आयल इण्डिया लि० की योजना

में असम तथा अरुणाचल प्रदेश में 5 अन्वेषणात्मक कुएं सम्मिलित हैं। मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० (बी०एच०ई०एल०) को देश में आयल रिगों के उत्पादन सम्बन्धी कार्य को करना है। हाल ही में भारत में अमरिका की कम्पनी के साथ सहयोग से तेल व्यधन रिगों का निर्माण सम्बन्धी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

Increase in Daily Wages of Casual Labourers in Samastipur Division of North Eastern Railway

1084. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in the Samastipur Division of North Eastern Railway a casual labourer is getting only Rs. 3·25 as daily wages ;

(b) whether Government propose to increase the daily wages of casual labour in view of the increasing prices ; and

(c) if so, the rate of the daily wages likely to be fixed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Proposal to stop Prayag-Jogbani Express at Katareah (N. E. Railway)

1085. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of milk vendors who previously purchased monthly tickets for travelling from Katareah on the North Eastern Railway ;

(b) whether Government propose to make arrangements to stop Prayag-Jogbani Express train at Katareah station to enable the milk vendors to take the milk to Katihar in time ;

(c) whether Government are suffering loss of thousands of rupees per day due to non-stoppage of Prayag Express at Katareah Station ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No Milk Vendors Monthly Tickets were issued at this station.

(b) However, for the convenience of passengers including milk vendors, it is proposed to provide stoppage to 37/38 Prayag Express at Katareah in the next Time-Table to come into force from 1-10-1974.

(c) No.

(d) Does not arise.

Proposal to halt Vaishali Express at Narainpur Station

1086. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no passenger or express train for Western Sonepur, Chapra, Gorakhpur and Lucknow from Narainpur station on the North Eastern Railway ;

(b) whether Janata train which used to run from Lucknow to Katihar has been cancelled for the last several months ;

(c) whether Government propose to make arrangements for halting Vaishali Express (18 Dn and 17 Up) at Narainpur in the absence of the Janata train ; and

(d) if so, from when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. 37/38 Allahabad-Jogbani Prayag Express scheduled to stop at Narayanpur station has been found to cater satisfactorily to the requirements of the meagre long distance traffic offering there. Besides, these passengers can also avail of all the Mail/Express trains including 17/18 Vaishali Express from Thana Bihpur which is situated only at a distance of about 7 Kms. from Narayanpur.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में कंचरापाड़ा रेलवे कालोनी में महिलाओं पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार

1087. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कंचरापाड़ा रेलवे कालोनी में रेल कर्मचारियों के परिवारों की महिला सदस्यों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के आरोपों के बारे में अभ्यावेदन प्रधान मंत्री को भेजे गये हैं ;

(ख) क्या इन अत्याचारों के परिणामस्वरूप अनेक महिलाओं को अस्पतालों में दाखिल करना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन आरोपों की जांच करने और दोषी पुलिस कर्मचारियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसे कोई अभ्यावेदन नोटिस में नहीं आये हैं।

(ख) 12-5-1974 को कंचरापाड़ा रेलवे बस्ती में हड़ताली रेल कर्मचारियों और उनके हिमायती व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन में महिलाओं द्वारा पथराव किया गया और पुरुष प्रदर्शनकारियों ने बम फेंके और सबडिविजनल पुलिस अधिकारी ने हलका लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था। कुछ व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से 13 महिलाओं का कंचरापाड़ा रेलवे अस्पताल में मामूली चोटों के लिए उपचार किया गया।

(ग) राज्य पुलिस इस घटना से उत्पन्न मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

Talks with Railway Employees' Union

1088. **Shri Darbara Singh :**
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the points on which the leaders of the Railway unions want to hold talks with Government and what are their demands ; and

(b) the points on which Government have agreed to hold talks with them and the reaction of Government to their remaining demands ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) A forum is already available with recognised Federations to bring up items for discussion in the Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consultative Machinery.

Recognition of work done by Territorial Army and other Units during Railway Strike

1089. **Shri Darbara Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme for providing relief to those personnel of the Territorial Army or other Units who came forward to help Government during the Railway strike and the nature of relief provided to them so far ; and

(b) whether Government propose to form a Reserve Force by imparting training to certain persons so that it may be pressed into service to meet such strike situations in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The Railway servants enrolled in the Territorial Army are eligible for all the concessions announced for loyal staff by the Minister of Railways. Besides this, the Territorial Army personnel were granted higher daily allowance for the period they were embodied.

(b) No.

भूमि पर और तट दूर तेल छिद्रण के सम्बन्ध में हुई प्रगति

1090. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तट दूर क्षेत्र में अशोधित तेल के सम्भावित भण्डार के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा और विदेशी कम्पनियों के सहयोग से देश के अन्य भागों में भी भूमि पर तथा तट दूर तेल छिद्रण के काम में तीव्रता लाई गई है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में छिद्रण के नये प्रयत्न किये जा रहे ह; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। केवल एक खोदे गए तथा जांच किये गये कुएं से बाम्बे हाई में तेल भण्डारों के बारे में विश्वस्त रूप में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कुओं में कार्य बढ़ा दिया है। जहां तक बाम्बे हाई को छोड़कर अपतट क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पहले ही तेल की खोज कर रहा है, बंगाल बेसिन के लिए कार्लबर्ग इंडिया ग्रुप तथा कच्छ बेसिन के लिए रिडिंग एण्ड बेट्स ग्रुप के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिम बंगाल तथा कश्मीर में व्यवन कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्रमाणीकृत ढंग से व्यधन रिगों की संख्या में वृद्धि करके असम और त्रिपुरा में व्यधन कार्य को और गहन करने का प्रस्ताव है।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास

1091. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया पत्तन क्षेत्र में कुछ प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास करने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार का निर्णय करने का क्या कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी परियोजनाओं के विकास के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) हल्दिया में ऐसे पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास सम्बन्धी ब्यौरा और निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) हल्दिया पत्तन क्षेत्र सहित पश्चिमी बंगाल में इस समय कोई पेट्रो-रसायन यूनिट अर्थात् पेट्रोलियम सम्भरण नाल पर परिचालित नहीं है। मैसर्स फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया पेट्रो-कच्चे माल पर आधारित एक 100 मो० टन/प्रतिदिन मैथनोल प्रायोजना को कार्यान्वित कर रही है । इस प्रायोजना पर कार्य प्रगति पर है तथा 1976–77 में प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है । नैफथा क्रैकर तथा बड़ौदा गुजरात तथा बोंगई गांव परिष्करणशाला पर डाउन स्ट्रीम यूनिट तथा पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स के पूर्ण होने तक पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-रसायन कार्यक्रम को सीमित कर दिया है।

गोआ उर्वरक संयंत्र में उत्पादन में कमी

1092. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 में गोआ स्थित उर्वरक संयंत्र में उत्पादन कम हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां । संयंत्र की कार्यान्विती में विलम्ब हो जाने के कारण 1972-73 में एक संयंत्र के उत्पादन में हानि हुई थी। कुछ उपकरणों में त्रुटियां हो जाने तथा परिचालन संबंधी अन्य समस्याओं के कारण यह विलम्ब हुआ था। इन्हें अब ठीक कर दिया गया है और संयंत्र सामान्यतः संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

बिना टिकट यात्रियों द्वारा कानपुर के निकट जेंहिद पर रेलवे स्टेशन बनाया जाना

1093. **श्री धामनकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिना टिकिट यात्रियों ने अपनी सुविधा के लिये कानपुर के निकट जेंहिद को एक स्टेशन बना लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कानपुर के पास 'जयहिंद' नाम का कोई स्टेशन नहीं है। लेकिन जब लखनऊ से आने वाली गाड़ियां कानपुर आउटर सिगनल पर रुक जाती हैं तो यात्री कानपुर स्टेशन जाने के बजाय वहीं उतर जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि साधारण लोगों में इसे 'जयहिंद' स्टेशन कह दिया जाता है।

(ख) इस स्थल पर उतरने वाले यात्रियों में बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए अचानक जांच की जाती है।

महानगरों में काम कर रहे ट्रेवल एजेंट

1094. श्री धामनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कलकत्ता की एक फर्म ने अपने कर्मचारियों के लिये रेलवे में सीट आरक्षित करवाने के लिये ट्रेवल-एजेन्टों को गत वर्ष 6000 रुपये देने थे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के महानगरों में कितने ट्रेवल एजेंटों को काम करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) क्या रेल कर्मचारी उन ट्रेवल एजेंटों के साथ गठबन्धन किये हुए हैं जो अनियमित और अवैध गतिविधियों में लगे हैं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस मामले के विवरण और इसमें अपनाये गये तरीके का पता लगाने के लिए सम्बन्धित संवाददाता से सम्पर्क स्थापित किया गया था। संवाददाता ने कुछ सूचना देने का वायदा किया है जिसके मिलने पर इस मामले में आगे छान-बीन की जायेगी। आरक्षण कार्यालयों पर सतर्कता संगठन के कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगाह रखी जाती है और इसके अलावा, अधिकारी इन कार्यालयों की अचानक जांच भी करते हैं।

(ग) दिल्ली में चार, मद्रास में पांच, बम्बई में ग्यारह और कलकत्ता में सात मान्यता-प्राप्त यात्रा एजेंट हैं।

(घ) कर्मचारियों की यात्रा एजेंटों से मिली-भगत रोकने के उद्देश्य से आरक्षण कार्यालयों और गाड़ियों में सतर्कता कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। यदि कोई कर्मचारी इस तरह के मामलों में शामिल पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी तथा मणिपुर की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों पर खर्च

1095. श्री अम्बेश : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी तथा मणिपुर की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों पर खर्च के बारे में 19 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3625 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नोतिराज सिंह चौधरी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्नलिखित पर उपगत कुल व्यय		
	निर्वाचक नामावलियों की तैयारी	निर्वाचन का संचालन	योग
1. उत्तर प्रदेश .	49,00,000.00	3,00,00,000.00	3,49,00,000.00
2. उड़ीसा .	35,00,000.00	55,50,000.00	90,50,000.00
3. मणिपुर .	1,80,000.00	8,70,000.00	10,50,000.00
4. पांडेचरी .	79,230.00	2,07,770.00	2,87,000.00

व्यय के उपर्युक्त आंकड़े जैसे वे सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं, अनुमानित आंकड़े हैं ।

भट्ठी तेल उपलब्ध न होने के कारण केरल में औद्योगिक कारखाने बन्द हो जाने का खतरा

1097. श्री वयालार रवि : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य में भट्टी तेल उपलब्ध न होने के कारण मध्यम और छोटे दर्जे के अनेक औद्योगिक कारखाने बन्द होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भट्ठी तेल आबंटित करने की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य और जिलों को उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री साहनवाज खां) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है ।

(ख) से (घ) उद्योगों को भट्टी के तेल के आबंटन का नियंत्रण इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त भट्टी के तेल की स्थायी समिति द्वारा किया जाता है । विभिन्न उपभोक्ताओं को उपलब्ध भट्टी के तेल का आबंटन करने हेतु यह समिति मार्गदर्शन निर्धारित करती है । वर्तमान में, निर्धारित कटौतियों को लगाने के बाद इसकी सप्लाई वर्ष 1973 के उत्पादन के आधार पर की जाती है । नई परियोजनाओं तथा विस्तार क्षमता के लिये भट्टी के तेल का आबंटन किसी मामले के गुणों के आधार पर, भट्टी के तेल की स्थायी समिति की उप समिति द्वारा किया जाता है ।

निर्यात करने वाले एककों को भट्टी के तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आयात तथा निर्यात के महा नियंत्रक द्वारा एककों के निर्यात के अधिकतम 10% आर० ई० पी० हकदारों के मूल्य के बराबर भट्टी के तेल को उनकी आर० ई० पी० हकदारी की लिस्ट में सम्मिलित करने के लिए हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है ।

लघु-क्षेत्र एककों को तथा राज्य नियंत्रित उद्योगों को भट्टी के तेल की सप्लाई करने के लिए 1-7-1974 से राज्य सरकारों को कोटा भी आबंटित कर दिया गया है । विशेष तथा तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कोटे में एक आकस्मिक आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है । राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के कोटे में से आबंटन करते समय पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाएगा ।

एरणाकुलम-त्रिवेंद्रम मीटर लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना

1098. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम मीटर गेज लाइन की ब्राड गेज लाईन में बदले जाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) क्या यह काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाने की आशा है और यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून 1974 तक कुल मिलाकर 40% प्रगति हुई है ।

(ख) मूलत: इस परियोजना को 1975 के आरम्भ तक पूरा कर दिया जाना था किन्तु धनाभाव के कारण अब इसे मार्च 1976 तक पूरा किया जाना है ।

रेलवे पुलिस के सिपाहियों की सांठगांठ से बिना टिकट यात्रा

1099. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से लोग रेलवे पुलिस के सिपाहियों के साथ सांठगांठ करके बिना टिकट यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में रेलवे पुलिस में व्याप्त इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे पुलिस के सिपाहियों की मिली-भगत से बिना टिकट यात्रा करने के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) बिना टिकट यात्रा की रोक-थाम के लिए अचानक छापे मारे जाते हैं और जब कभी इस तरह के मामले पकड़े जाते हैं तो दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है ।

बरौनी तेलशोधक कारखाने की गंदगी से गंगा नदी का पानी दूषित होना

1100. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेलशोधक कारखाने की गन्दगी से अब भी गंगा का पानी दूषित होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस जल-दूषण को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। परिष्करणशाला ने गंगा में गिरने वाले बहि-निस्राव का उपचार करने के लिए पर्याप्त कार्य-वाहीयां की हैं ताकि सम्बन्धित निर्धारित मानक को पूरा किया जा सके ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेलवे में उत्पादकता में वृद्धि

1101. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेलवे में उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) इन योजनाओं की अवधि में जीवन-निर्वाह सूचकांक में क्या परिवर्तन हुआ और उसके मुकाबले में रेल कर्मचारियों की 'वास्तविक' मंजूरी में क्या परिवर्तन हुए ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति कितना काम हुआ? तदनुसार, एक विवरण संलग्न है जिसमें दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में तीसरी योजना के अन्त में और चौथी योजना शुरू होने से पहले के वर्ष अर्थात् 1968–69 की तुलना में चौथी योजना के चौथे वर्ष में यातायात इकाइयों (यात्री किलोमीटर घन शुद्ध मीटरिक टन किलो-मीटर) के हिसाब से प्रति व्यक्ति किये गये काम की मात्रा और औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्यों का अखिल भारतीय औसत सूचकांक दिखाया गया है । चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं सिवाय उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक के जिसका कि उल्लेख कर दिया गया है ।

प्रति व्यक्ति किये गये काम की मात्रा की तुलना करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि मुख्यत: भारी पूंजी परिव्यय द्वारा आधुनिक उपस्करों और सुविधाओं की व्यवस्था करने और प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को युक्तियुक्त बनाने से ही कर्मचारियों की संख्या में अपेक्षाकृत कम वृद्धि करके भी अधिक मात्रा में यातायात की ढुलाई करना सम्भव हो सका है। इसलिए उत्पादकता में वृद्धि कर्मचारियों की कार्य-कुशलता में वृद्धि, यदि कोई हुई हो तो, उस के अलावा आधुनिकीकरण के लिए किय गये अधिक निदेश और प्रक्रियाओं और कार्य-प्रणालियों के युक्तियुक्तकरण का ही समग्र प्रभाव है।

कर्मचारियों के 'वास्तविक वेतन' से सम्बन्धित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

	यातायात इकाई प्रति कर्मचारी (000)	औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्यों का अखिल भारतीय औसत सूचकांक 1949=100
1960–61 . . .	147	102
1965–66 . . .	164	139
1968–69 . . .	178	174
1972–73 . . .	200	207
1973–74 . . .	..	250

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० गंगादेव के नाम में अल्प सूचना प्रश्न है। वे उपस्थित नहीं हैं। अब कार्यवाही की अगली मद विचार के लिए ली जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी हुई है। उन्होंने 24 तारीख को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जानबूझ कर सदन को गुमराह किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ क्योंकि निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत मुझे मंत्री को इसकी सूचना देनी पड़ती है। मंत्री का उत्तर आने तक मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

सीमेंट तथा इस्पात के बारे में विदेश मंत्री द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की बैठक में कथित वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : कल सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, इरा सेझियानन श्यामनन्दन मिश्र तथा जी० विश्वनाथन ने विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह के विरुद्ध भवन निर्माण के लिए सीमेंट और इस्पात की सप्लाई के संबंध में उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में, जो समाचारपत्रों में छपी थी विशेषाधिकार का मामला उठाया था। मंत्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, तथा उन्होंने वक्तव्य दिया था। सदस्यों का मत था कि इस मामले को भी 25 जुलाई 1974 वाले विशेषाधिकार के मामले के समान ही विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। उस मामले का संबंध केन्द्रीय उत्पादन कर तथा तटकर बोर्ड के अध्यक्ष से था। उस समय मैंने सभा को बताया था कि दोनों ही मामलों पर अपना विनिर्णय उचित अध्ययन तथा जांच करने के बाद दूंगा।

अब मैंने दोनों ही मामलों से संम्बद्ध उचित अध्ययन कर लिया है। सदस्यों को स्मरण होगा कि उस समय भी मेरा विचार था कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और तटकर ब र्ड के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उस समय मंत्री महोदय द्वारा यह बताये जाने पर कि उक्त अधिकारी द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, कई अन्य प्रश्न उठ खड़े हुये। इसलिए उन परिस्थितियों में उस मामले को जांच किये जाने के लिए विशेषाधिकर समिति को भेजा जाना ही अधिक उचित समझा गया।

मेरे विचारानुसार इन दोनों ही मामलों में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैंने जब यह देखा कि दोनों ही पक्ष अलग अलग बात कह रहे हैं तो मैंने तथ्यात्मक ब्यौरा जानने के लिए नियम 277 के अन्तर्गत इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था। अब स्थिति उस से भिन्न है। वर्तमान मामले में मंत्री महोदय द्वारा तथ्यों से इन्कार नहीं किया गया है। उनके द्वारा उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है जिनमें वह बात कही गई थी। अतः संबंद्ध तथ्यों के आधार पर उसमें विशेषाधिकार जैसी कोई बात नहीं है। अतः जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरे विचारानुसार विदेश मंत्री ने किसी प्रकार विशेषाधिकार भंग नहीं किया है।

20 अप्रैल, 1974 के 'आर्गनाईजर' में प्रकाशित लेख

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैंने दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'आर्गनाइजर' के 20 अप्रेल, 1974 के अंक में प्रकाशित उस लेख के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव दिया था। इस पत्रिका में एक शीर्षक था "लोक सभा में घुसपैठ करने वाला यूथ कांग्रेस से संबंधितः चोर मचाये शोर"। इतना ही नहीं इस लेख में मेरे तथा मेरे कुछ अन्य साथी सदस्यों के व्यवहार का भी उल्लेख किया गया था। हम पर वाच एण्ड वार्ड स्टाफ वालों के साथ मिलकर गलत बातें फैलाने का आरोप भी लगाया गया था।

पत्रिका के संपादक श्री मलकानी ने अपने उत्तर में कहा कि बुलेटिन करने वाले व्यक्ति का अभी तक सही रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। परन्तु यह पूर्णतया गलत है। संसद् कार्य मंत्री श्री के० रघुरामैय्या द्वारा एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सभा ने इस मामले को लिया था तथा इस मामले पर कार्यवाही करना उचित समझा था।

अध्यक्ष महोदय : उस समय यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया था तथा सदन ने उसे छोड़ देने को कहा था। अब उन्होंने फिर उसके बारे में पत्र लिखा है। आप चाहे तो उसका विरोध कर सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, सम्पादक ने यह कह कर जले पर नमक छिड़का है और कहा है कि "इससे सदन या किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता। यदि अनजाने में किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है तो उसके लिए हमें खेद है। आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'एमर–प्राप्रे' शब्द का अर्थ आत्मसम्मान है। जब यह विशेषाधिकार का मामला था और संपादक को इसके लिए स्पष्टीकरण देने को कहा गया था तो उन्हें ऐसा कहने का दुःसाहस नहीं करना चाहिये था। सम्पादक महोदय ने इस से आगे कहा है कि उसका यहां कोई संवाददाता नहीं है तथा उसने उपयुक्त संवाददाता सुविधा की मांग की हुई है।

इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ संसद सदस्यों को बदनाम करने के आशय से ही इस निराधार तथा मनगढ़न्त विवरण को प्रकाशित किया गया है। यदि सदन में तथा सदन की परिसीमा के अन्तर्गत हमारे चरित्र की रक्षा की जानी है, तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : दो दिन पूर्व पत्रिका द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की भावना पर विचार करने तथा सम्पूर्ण संबद्ध मामले की जांच करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र द्वारा प्रकट किये गये संदर्भ में तो मेरी राय यही है कि हमें इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Sheaker, Sir, just within one minute I would like to make my submission and then abide by your dicision.

During last session, a discussion on police firing took place in the House. It was alleged that "Shoot at sight" order was issued by police. It was contradicted by Shri Uma Shanker Dixit. Now the report of the citizens Committee constituted by Shri J. P. Narain has been received. It has been stated therein that several former and present Congress members heard the warning many a times that those who would come out of their houses would be shot. I have sent a copy of this report to you, Sir. So I seek your permission to raise this issue in the form of a privilege motion.

Mr. Speaker : I will look into it.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मद्रास रिफाइनरीज हिन्दुस्तान एण्टीबाइटिक्स तथा हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइडस की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री शाहनवाज खां]

(दो) मद्रास रिफाइनरिज लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एण्टीबाइटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एण्टीबाइटिक्स लिमिटेड, पिम्परी का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइडस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रति-वेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8081/74]

अध्यक्ष महोदय : कार्यसूची की आयटम संख्या 4 के अनुसार श्री बेदव्रत बरुआ अपने पत्र सभा पटल पर रखें।

Shri Madhu Limaye : Regarding item 4, I have got a point of order. I want that a copy of that secret agreement which the Government have had with Esso Company should also be placed on the Table of the House.

Mr. Speaker : We will see to it.

ल्यूब इंडिया लि० तथा एस्सो स्टैण्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इंडिया लि० एकीकरण आदेश, 1974, कम्पनी अधिनियम के अतर्गत अधिसूचना तथा एकाधिकारी तथा निबन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत ल्यूब इण्डिया लिमिटेड तथा एस्सो स्टैन्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड एकीकरण आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० का० नि० 320 (इ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8082/74]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० का० नि० 690 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स थिरमिल्लाई शाश्वत सहाय निधि लिमिटेड को एक 'निधि' घोषित किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु में है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8083/74]**

(3) (एक) मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैनुफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा (मध्य-प्रदेश) के मामले में एकाधिकारी तथा निबन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा निबन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 3 जुलाई, 1974 का आदेश ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार के आदेश के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8084/74]

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(क) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रेलवे रेड टैरिफ (पहला संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 109 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) रेलवे रेड टैरिक (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 110 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) रेलवे रेड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या 111(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) रेलवे रेड टैरिफ (चौथा संशोधन) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1, मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 112 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8085/74]

(पांच) रेलवे (माल के भंडारण और रखने के लिये, चल स्टाक, इंजनों तथा रेल गाड़ियों के उद्योग को नियमित करने के लिये और बिना दावे के पड़े बुक किये गये सामान माल और पार्सलों के निपटान के लिए नियम) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 215 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को पहले सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8086/74]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विश्व स्वास्थ्य संगठन को अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में भारत में कथित चिन्ता

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Planning to the matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported concern in the sections of the Scientific Community in India about some research (including germs) projects being carried out in the Country, by or under the auspices of the World Health Organisation."

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिल कर भारत सरकार द्वारा अपनी एजसियों के माध्यम से चलाई जा रही किसी अनुसंधान परियोजना के बारे में गोपनीयता नहीं बरती गई। ये सभी अनुसंधान परियोजनाएं संदेश के लिए स्पष्ट रूप से उपयुक्त और महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे राष्ट्र हित में हैं। ये परियोजनाएं हमारे अनुरोध पर प्रारम्भ की गई थीं। इन परियोजनाओं की रूप रेखा तैयार करने के कार्य में हमारे विशेषज्ञों ने शुरु से भाग लिया और इन परियोजनाओं की उपयुक्त परियोजना समितियों द्वारा जिनमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि भी शामिल हैं समय समय पर समीक्षा की गई। इन अनुसंधानों के परिणामों को समय समय पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया।

2. ऐसी दो परियोजनाएं मच्छरों के जनन नियंत्रण और आल्ट्रा लो वाल्यूम मशीन द्वारा कीटनाशक के प्रभावकारी प्रयोग से संबंधित हैं। ये दोनों परियोजनाएं मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की दो कठिनाइयों के संदर्भ में विशेष रूप से समकालीन महत्व रखती है। ये कठिनाइयां हैं—मच्छरों में कीटनाशकों को सहन करने की शक्ति का विकास होना और कीटनाशकों का पर्याप्त मात्रा में मिलने में कठिनाई का होना। जनन नियंत्रण संबंधी परिणाम समय समय पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा रहे हैं। मलेरिया और अन्य संचारी रोगों की भारतीय संस्था द्वारा अपनी पत्रिका के विशेषांक में बहुत जल्दी इस संबंध में एक विस्तृत विवरण, जिसमें नवीनतम परिणाम भी शामिल हैं, प्रकाशित किए जाने वाला है। जनन और जैविक नियंत्रन संबंधी सम्पूर्ण कार्य की भारत सरकार द्वारा गठित की गई टास्क फोर्स ने जिसमें स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, ध्यानपूर्वक समीक्षा की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1973 में भारत सरकार को दे दी थी जिसकी एक प्रतिलिपि मैं संसद पुस्तकालय में रख रहा हूं।

3. जनन नियंत्रण को यह एक सुस्थापित प्रणाली है। वास्तव में अमरिका में पशु नाशी जीव स्क्रुनुमा मक्खी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा मेक्सिको में पाई जाने वाले फल मक्खी को समाप्त करने के कार्य में इस विधि से अद्भुत सफलता मिली बतलाई गई है। मच्छरों के खिलाफ जनन नियंत्रण उपायों का उपयोग करना बहुत आशाजनक प्रतीत होता है किन्तु प्राकृतिक दशाओं में इसकी व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए काफी अनुसंधान की आवश्यकता है। अनेक देशों में इस पहलू पर अनुसंधान किया जा रहा है।

4. आल्ट्रा लो वाल्यूम मशीनों द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव शहरी इलाकों में मलेरिया नियंत्रण करने के सम्बन्ध में किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए जोधपुर शहर का एक हिस्सा निर्धारित किया गया। इस मशीन द्वारा घरों के बाहर से ही कीटनाशकों की अत्यन्त सूक्ष्म कणों में छिड़काव की जा सकती है। मच्छरों की सधनता में कमी के प्रारम्भिक परिणामों से पता चलता है कि यह प्रणाली कारगर प्रतीत होती है। इस संबंध में आगे कार्य किया जा रहा है। इसका जनन नियंत्रण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और यह केवल कीटनाशकों के प्रयोग की एक सुधरी विधि है।

5. कीटवाहित विषाणु (वाइरस) रोगों को फैलाने में पक्षियों का कितना योगदान होता है इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्ययन करने में इच्छुक था। भारत में बम्बई नेचुरल हिस्टरी

सोसाइटी पक्षियों के देशान्तरण और विषाणुओं के फैलाने में उनकी सम्भव भूमिका के बारे में सक्रिय रूप से अन्वेषण कर रही थी। सोसाइटी के अनुरोध पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1959 से 1965 तक की अवधि में कुल मिलाकर 22,000 अमरीकी डालर दिए थे। इस अध्ययन क्षेत्र में सोवियत संघ रूस के डॉ० जी० आई० मेजकें ने भी अपना कीमती योगदान दिया था जिन्होंने भारत का 1962 में दौरा किया था। इन्होंने बायोलोजिकल इन्स्टीट्यूट आफ साइबेरियन डिपार्टमेंट आफ दि एकादमी आफ साइंसेस आफ दि यू० एस० एस० आर० (नोवेसीबिरक) के सहयोग से इन्स्टीट्यूट आफ पोल्योमाइलिटिस एण्ड वाइरस एन्सेफलाइटिस आफ दि एकादमी आफ मेडिकल साइंसेस (मास्को) के सामान्य मार्ग प्रदर्शन में और बम्बई नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी से मिलकर अपने अन्वेषण कार्य किए। इस तरह यह स्पष्ट है कि ये प्रैस रिपोर्टें पक्षपातपूर्ण, अनुचित और भ्रामक हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, it is unfortunate that hon. Minister has failed in his attempt to clarify the doubts which have cropped up in the minds of members due to newspaper reports. It has been conceded that the report was published by news agency. One member of this agency had active interest in this subject. But instead of contradictng the logic advanced by the correspondent, hon. Minister has tried to escape from his responsibility.

May I know from hon. Minister that the Bombay Natural History Society, which is actively conducting investigations in this regard ? May I know by whom this society is being financed? Is it getting any assistance out of PL 480 funds? May I further know if it is a fact that this Bombay Society entered into a contract with Research and Development project of American Army? According to the terms of this agreement there will be a radar centre in NEFA and the research results of the Natural History Society will also be communicated to American Army. Nothing has been stated by the hon. Minister about this contract and its terms. Why is it that the services of American and Soviet Specialists have been taken for the purpose? It is obvious from news paper reports that our scientists are reluctant to say anything on this subject. If you go through the report published in the newspaper you will find that our scientists hesitate to explain.

Therefore the correspondent had to arrive at this conclusion that "Indian Scientist working in GCMU privately said they do not know what is happening in the Unit because all decisions are taken in closed meetings.....Dr. A. D. Mani, Director General of Health Services and ex-chief of the W.H.O. Regional Office have recently said at the India International Centre that one need not worry about what experiement GCMU did because the money for the project came from the U.S. not the Indian Government". If the money comes from the U.S. for this purpose, is it not our duty to find what sort of research they are doing. ?

Mr. Speaker, the entire money is being spent on finding out why do Indians not suffer from yellow fever. I want to know whether it is a fact that Virus Research Centre of Poona is getting some grant from the Rockfeller foundation. Is it also a fact that the result of blood test of those sparrows which were sent to China from Nefa have not been given to the Government of India? Those results have directly been sent to America. Why our Government is kept in dark? I would like the hon. Minister to attend to these points.

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : Mr. Speaker, Sir, I am also equally concerned about it as the hon. member is. When I read the report in the newspaper I got so worried and I read so much of literature on mosquitoes in 24 hours which I have never read in my whole life.

The mosquitoes of malaria have become resistent to insecticides. Moreover due to the increased price of insecticides we are having difficulty in getting in the adequate supplies. We have come to know that in Mexico the number of germs have reduced considerably due to genetic manipulation. We also want to have an alternative besides insecticides to prevent the Malaria and Filaria fever. Now the question is whether this

[Dr. Karan Singh]

genetic manipulation is being misused or not. We want to use this measure against malaria and filaria but if somebody misuses it then what can we say? Our approach is quite clear we want to get benefit from it.

It has also been said that the Indian Scientists who are working with W.H.O. are dissatisfied. I don't have any information in this regard. If the scientists have some suggestions to offer with which we can be benefitted we are ready to accept them.

I was quite surprised to know that some radar has been installed in Nefa. Nefa is a very sensitive area. I wanted to seek information from defence ministry in this regard but I was not able to collect it. I will have to check up eveery thing before I arrive at any conclusion. I did not know that sparrows migrate from Nefa to China. also today only I have heard of this route so I cannot say anything in this regard. W.H.O. is a distinguished International organisation. It gets fund from the World Government. The Government of India also contribute to it.

श्री ए० एम० बनर्जी (कानपुर) : सबसे पहले तो मैं उस संवाददाता को बधाई देना चाहता हूँ जिसने इतने साहस से इस संगठन के गोरख धन्दे की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है जोकि इस देश को तबाह करना चाहता है। संगठन को जो दिल्ली में अनुसंधान करने के लिए कहा गया। वह दिल्ली के आस-पास के ग्रामों में गए। लेकिन गांवों के लोगों ने जब उन्हें कुओं का जल दूषित करते देखा तो उन्हें गांव से निकाल बाहर किया गया। अब उन्होंने अपने परीक्षण के लिए सोनीपत का चयन किया है। वह इस देश में पीत ज्वर लाना चाहते हैं। इस बीमारी को यहाँ के लोग जानते तक नही। डी० डी० टी० के छिड़काव से ही यह ज्वर फैलाने वाले मच्छर मर जाते हैं लेकिन इस संगठन का कहना है कि इन मच्छरों पर डी० डी० टी० के छिड़काव का असर नहीं होता क्योंकि निरंतर छिड़काव से मच्छर निरापद हो गए हैं और सरकार के आदेश अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने डी० डी० टी० छिड़काव को सोनीपत में बन्द करने के निदेश जारी कर दिये है ताकि यह तथाकथित विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक जो कि हमारी पीटी और छोटे बच्चों को तबाह करना चाहती है, बिना डी० डी० टी० का छिड़काव कराए उन मच्छरों का हमारे लोगों पर क्या असर होता है इसकी खोज कर ले। कैसी विडम्बना है कि फिर भी हमारी इस संगठन में आस्था है।

उन्होंने यह परीक्षण तीन देशों भारत, ब्राजील और तंजानिया में शरू किए। जहाँ भी यह संगठन कार्य कर रहा है वह खोज के नाम पर अर्थव्यवस्था को तहसनहस और छोटी पीढ़ी को कमजोर बना रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि काफी संख्या में बच्चे एक रहस्यात्मक ज्वर से ग्रस्त हैं और उन्हें अस्पताल में पर्यवक्षण अधीन रखा है। इस रहस्यात्मक ज्वर के क्या कारण है। यह बड़े शर्म की बात है कि इस मामले पर देश का ध्यान आकर्षित करने वाले संवाददाता को बधाई देने के बदले उसकी रिपोर्ट को गुमराह करने वाला बताया जा रहा है।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इसकी जांच हेतू एक समिति की नियुक्ति करे अथवा इसे उच्च शक्ति वाले आयोग को भेजें। मेरे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें पढ़ने से मंत्री महोदय को ज्ञात होगा कि यह संगठन किस प्रकार कार्य कर रहा है। हमें उनकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। हम मच्छरों की विभिषिका से स्वयं निपट लेंगे।

यह कहा जा रहा है कि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य अमरीका में फैलाने वाली पशु महामारी को मिटाने के लिए उसका निदान खोजना है। स्वयं अमरीका में इस संगठन को कोई पसन्द नही करता।

मंत्री महोदय हमारी दी जानकारी या स्वयं प्राप्त कारी जानकारी पर न निर्भर करे। वह इस मामले में एक आयोग की स्थापना करे क्योंकि देश की भावी पीढ़ी का जीवन खतरे में है।

डा० कर्ण सिंह : पूना के वायरस अनुसंधान केन्द्र को 10 वर्ष पूर्व रॉकफैलरफाउंडेशन से कुछ अनुदान मिलता था लेकिन अब उन्हें उससे कोई अनुदान नहीं प्राप्त हो रहा।

माननीय सदस्य ने पीत ज्वर का उल्लेख किया है हम भी चाहते हैं कि इस ज्वर का प्रवेश हमारे देश में कभी न हो इसलिए हम सब विदेशों से आने वाले यात्रियों का चाहे वह विशिष्ट व्यक्ति क्यों न हों सभी का पालम पर क्यारंटीन करते है।

कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से भूमि, उत्पाद, पशुओं और मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि को एक बार कीटनाशकों से संतृप्त करके उससे पुनः पहले के समान बनाने के लिए हमें मच्छरों से छूट पाने के लिए कोई विकल्प अपनाना चाहिए और अगर कोई ऐसा विकल्प ढूंढ़ने में हम समर्थ हो पाते है तो यह एक अच्छी सफलता होगी।.

श्री बनर्जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति आरोप लगाए हैं यह उचित नही है । यदि कोई संगठन हमारे देश के हित के विरुद्ध कार्य करता है तो हम उसको कभी अनुमति नहीं देंगे। जितना कुछ मैंने अध्ययन किया है उससे यह पता लगता है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य मच्छरों को वैकल्पिक उपायों से समाप्त करना है। पत्रकार ने जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है उन्हें मैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय, जिसमें काफी विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, के समक्ष रखूंगा। यदि किसी सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई तो इस मामले में मैं स्वयं पहल करूंगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं यदि बाद में भी पुनः तकनीकी परामर्श की आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसा बड़ी प्रसन्नता से करेंगे।

श्री दयालर रवि (चिरचिकील) : मंत्री महोदय ने संवाददाता द्वारा दी गई टिप्पणी को अनावश्यक और अनुचित बताया है उन्होंने यह भी कहा है कि यह समाचार गुमराह करने वाले हैं। मंत्री महोदय ऐसी बातों का औचित्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे अपेक्षित नहीं है।

संवाददाता ने बताया है कि इस अध्ययन के लिए अमरीका सेना का एम० ए० पी० एस० वित्त पोषण कर रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वहाँ चार गोपनीय रिपोर्टें भेजी हैं। मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मलेरिया उन्मूलन केन्द्र जोधपुर में क्या किया गया है। विश्व बैंक का सबसे अधिक वेतन पाने वाला एक अधिकारी पीछे भारत आया था और उसने संचार मंत्रालय के अधिकारियों को परियोजना स्थापित करने के लिए दबाव डाला एक अन्य मामला खाद्य कृषि संगठन के बारे में है। खाद्य मंत्रालय का एक उच्चाधिकारी तीन महीने में चार बार खाद्य कृषि संगठन में नौकरी की तलाश हेतु विदेश गया। वह आपके एक विशेषज्ञ है डॉ० राजेन्द्र पाल उन्हें 12 वर्ष की असाधारण छुट्टी दी गई है। इस का क्या उद्देश्य है? यह लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नौकरी पाने की तलाश करते रहते है दुर्भाग्यवश आप भी उन्हें लम्बी छुट्टी दे देते हैं। यदि वह जाना ही चाहते हैं तो वह त्यागपत्र दे। यह मेरा अनुरोध है। आप इस प्रकार की असाधारण छुट्टी देने के लिए क्या मापदंड अपनाते हैं। हमारा अनुरोध है कि आप इन मामलों की जाँच कराए और भारतीय जनता के मन में जो इस बारे में भय व्याप्त है उसे दूर करे।

अमरीका के जॉनस हॉपकिन्स स्कूल ने कलकत्ता में कई केन्द्रों की स्थापना की है। मैं नहीं जानता वह वहाँ क्या कर रहे हैं आप कृपया इस बारे में भी कुछ बताएं।

डा० कर्ण सिंह : यह बहुत दुःख का विषय होगा कि यदि इस देश में किए जा रहे कार्यों का उपयोग घृणित उद्देश्यों के लिए किया जाए। मुझे इस संबंध में पूरा विश्वास है कि इन परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य मच्छरों का सामना करना है। आज के युग में कोई भी सभ्य व्यक्ति परीक्षण के परिणामों का दुरुपयोग नहीं करना चाहेगा। जहाँ तक हमारा संबन्ध है हमारा मतलब सिर्फ़ विश्व स्वास्थ्य संगठन से है हमने अमरीकी सरकार या अमरीकी सेना से इस बारे में कोई समझौता नहीं किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन एक विशाल संगठन है। 103 देश इस के सदस्य हैं। हम भी इस में अपना योगदान देते हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और डाक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरे विश्व का दौरा किया। मेरे विचार में माननीय सदस्य वैज्ञानिक ज्ञान के इस आदान-प्रदान को रोकना नहीं चाहेंगे।

[डॉ० कर्ण सिंह]

यह आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर गड़बड़ करते हैं यदि यह सच है तो वास्तव में बहुत अनुचित है । यदि कोई व्यक्ति चोर दरवाजे से नौकरी पाना चाहता है और ऐसी बात हमारे नोटिस में लाई जाती है तो हम तत्संबंधी प्रणाली में सुधार करेंगे ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लगभग 20 महामारी विशेषज्ञ बिहार में चेचक पर कार्य कर रहें हैं । वह उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ शायद हम कभी नहीं गए अतः सम्पूर्ण संगठन की भर्त्सना करना उचित नहीं । जहाँ तक मैप्स का प्रश्न है मै ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि से पूछा था कि क्या उन्होंने अमरीका सेना को कुछ चीज सप्लाई की है उन्होंने उत्तर दिया नहीं । यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमरीका सरकार के बीच का मामला है इसलिए इस बारे में कुछ सही रूप से नहीं कह सकता लेकिन वह कोई रिपोर्ट क्यों छिपायेंगे । मैं इस मामले की जाँच करुंगा ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में किए गए अनुसंधान कार्य के परिणाम प्रथमतः हमें ही दिए जाते हैं । मंत्री महोदय ने जॉन हॉपकिन्स मैडिकल सैंटर ने देश में कलकत्ता तथा नारगवाल के स्थान पर दो परियोजनाएं स्थापित की हैं और उन परियोजनाओं के कार्य को पूरा गोपनीय रखा हुआ, उन परियोजनाओं का ब्यौरा सदन को दिया जाए ।

कीटवाहित विषाणू (वाइरस) रोगों को फैलाने मे पक्षियों के देशान्तरण का कितना योगदान होता है इस पर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी चर्चा कर रही थी मुझे बताया गया है कि परीक्षण के परिणाम बैंकाक के मैप्स आफिस को भेज दिए गए हैं और इस देश के अभिकरणों को उपलब्ध नहीं कराये गए । पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय में पी० एल० 480 फंड से एक परियोजना कार्य कर रही है इस परियोजना के अनुसार उन्हें लघुबीजाणु उत्पन्न करके यह देखना है जीवाणु से किसी प्रकार किटाणु नष्ट किए जा सकते हैं । इस परियोजना का दीर्घकालीन प्रभाव अच्छे नहीं ।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के कितने अधिकारियों को सेवा निवृत्ति से पहले अथवा बाद में रोजगार दिया गया है । क्या यह भी सच है कि हमारे काफी अधिकारियों को प्रायः जेनेवा भेजा जाता है । अन्त में मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ उच्च अधिकारियों को जोकि बिहार में चेचक रोचक आन्दोलन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं 205 रुपया प्रति दिन बोनस के रूप मे दिया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय इन सभी परियोजनाओं को कम से कम लोक लेखा समिति की जाँच हेतु भेजा जाएगा ।

डॉ० कर्ण सिंह : हमारे देश के अनुसंधान कार्य के परिणाम प्रथमतः हमें दिये जाते हैं और बाद में किसी और को दिए जाते हैं । यदि मुझे इस बात का पता लगा कि यहाँ किए जाने वाले अनुसंधान के परिणाम गुप्त रखकर विदेशी एजेंसियों को भेजे जाते हैं तो निश्चय ही हम इस पर आपत्ति करेंगे ।

जहां तक पंतनगर का संबध है, मैंने रिपोर्ट को देखा है और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है मैं उनसे संपर्क बनाने की कोशिश में हूं पर अब तक इस बारेमें मेरी उनसे बात नहीं हुई। लेकिन मेरे विचार में उस परियोजना का उद्देश्य भी किटाणुओं को समाप्त करने से है । जहां तक परियोजना के दीर्घकालीन प्रभावों का संबध है किसी भी वैज्ञाज्ञिक परीक्षण में कुछ व्यवसायिक बाधाए समक्ष आती हैं यह बाधा भी उनमें से एक है लेकिन जहां तक वर्तमान स्थिति का संबध है इससे देश की जनसंख्या पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला ।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि विश्व स्वाथ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के कितने अधिकारियों को नौकरी दी गई है। यदि माननीय सदस्य इस संबध में पृथक प्रश्न सभा पटल पर रखेंगे तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा ।

जो लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्य करते हैं वह अक्सर जनेवा जाते रहते हैं क्योंकि उनका मुख्यालय वहां है और जब आवश्यकता पड़ती है वह वहां जाते रहते हैं ।

जहां तक चेचक वाले क्षेत्रों में दिए जा रहे मंहगाई भत्ते की दर का प्रश्न है मुझे समझ नहीं आया माननीय सदस्य वास्तव में क्या जानना चाहते हैं । जो लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उन्हे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाता है । जैसा कि मैंने पहले बताया यह एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और यह निश्चय ही हमारे राष्ट्र के हित में है और हम इससे लाभ उठा रहे हैं ।

जॉन हॉपकिन्स दो परियोजनाओं को चला रहा था इनमें से एक परियोजना कलकत्ते में थी और दूसरी नारंगवाल में। दोनों परियोजना का काम समाप्त हो गया है। नारंगवाल परियोजना एक जनसंख्या परियोजना थी और इसका सम्बंध ग्रामीण बच्चों की देखरेख और स्वास्थ्य से था। मैं इस परियोजना की रिपोर्ट ग्रंथालय में रख दूंगा। कलकत्ता परियोजना के संबंध में भी हमें काफी रिपोर्टें प्राप्त हुई है उन्हें भी मैं ग्रंथालय में रख दुंगा।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : प्रैस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के संवाददाता द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में दिए गए समाचार से सारा देश खुश है। यह संवाददाता प्रशंसा का पात्र है।

डॉ० ए० डी० मनी ने कहा है कि जी० सी० एम०यू० क्या परिक्षण कर रहा है इस बारे में हमें चिंता नही करनी चाहिए क्योंकि परियोजना के लिए धन अमरीका सरकार दे रही है। इतने बड़े व्यक्ति से हमें ऐसे वक्तव्य की आशा नहीं थी। समाचार में आगे कहा गया है कि रूसी वीरोलोजिस्ट डा०जी० आई नेतनकी ने कहा है कि देशान्तरण करने वाले पक्षी सम्पूर्ण भारत में भयंकर कटिबांहित विषाणु (वाइरस) रोग फैला सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इसकी जांच कराए। उन्होंने अभी बताया कि वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक बैठक बुलाने वाले हैं उस बैठक में संवाददाता द्वारा उठाए गए सभी संदेह और प्रश्नों का उत्तर दिया जाए तथा उस की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जाए।

डा० कर्ण सिंह : यह कहा गया है कि डा०मनी ने कहा है कि चूंकि अनुसंधान का पैसा अमरीकी सरकार द्वारा दिया जा रहा है हमें इस विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा कहा है अथवा नहीं। हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं कि हमें जिस विषय पर अनुसंधान के लिये पैसा मिले हम अनुसंधान करने लग जाएं। यह बड़ा लज्जा का विषय है यदि ऐसा हुआ है तो मैं यह देखने का यत्न करूंगा कि भविष्य में फिर ऐसा न हो। डा० ए०डी० मनी अब स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक नहीं हैं जो कुछ उन्होंने कहा है हो सकता है यह उनके विषय पर अपने वैयक्तिक विचार हों। माननीय सदस्य यदि किसी भी विषय पर कभी भी वाद-विवाद के इच्छुक हों तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा अपितु उसका स्वागत करूंगा।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

10 वाँ प्रतिवेदन

डा० हेन्री आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं विशेषाधिकार समिति का 10 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक
UNIVERSITY OF HYDERABAD BILL

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य में शैक्षणिक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में शैक्षणिक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

मध्य प्रदेश के एक गांव में हरिजनों पर कथित अत्याचार

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है।

[श्री के० एस० चावड़ा]

मध्य प्रदेश के अम्बाद जिले में मढोली का पुरा नामक स्थान पर हरिजनों पर बर्बरता पूर्ण अत्याचार तथा उनका अमानवीय दमन किया गया। 12 जून 1974 को कुछ ठाकुरों तथा अन्य सुवर्णों ने एकत्रित होकर हरिजनों को पूर्ण कुचलने का निर्णय किया। 13 जुलाई 1974 को यह मामला पुलिस को बताया गया। अम्बाद के उप-पुलिस अधीक्षक तथा एस० ओ० कुछ कॉस्टेबलों को साथ लेकर उस गांव में पहुँचे। बहाँ भीड़ पर नियंत्रण करने के बजाय वे ठाकूरों के साथ मिल गए और उन्हें समूचे गाँव को लुटने के लिए छोड़ दिया गया कुछ ही क्षणों उन्होंने गाँव वालों की वस्तुएं, गहने तथा धन आदि छीन लिए और शेष सम्पत्ति को निर्दयता से नष्ट कर दिया। पुलिस वालों के सामने ही सारे गांव को आग लगा दी। श्री कल्याण सिंह की विधवा पत्नी विमला बाई जब अपना सामान लेकर भाग रही थी तो उसे पकड़ कर आग में धकेल दिया गया। उसे जिन्दा जला दिया गया।

सारा गाँव जलकर भस्म हो गया और उस गाँव के हरिजन बेघरबार और निस्सहाय हो गए हैं। इसके अतिरिक्त पड़ौसी गाँवों के जिन हरिजनों ने उनकी सहायता करनी चाही तो उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें दंड दिया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है अतः गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

बिहार सरकार द्वारा अध्यादेशों का जारी किया जाना

Shri Madhu Limaye : In Bihar, the Ordinances issued under Article 213 of the Constitution are generally not brought before the State Legislature for being passed as Acts but are allowed to lapse. Later on when the sitting of the legislature adjourns the Ordinances are reissued. This has been going on for a long time and a number of ordinances have thus been reissued.

I had a talk on this matter with the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Mirdha. He said that he has written to the State Government saying that this is against the Constitutional provision but the State Government has not paid any heed to it. Therefore is it not the time that the House should pay attention to this matter and see that the Constitutional provision is observed by the Government of Bihar.

It was ever the intention of the framers of the Constitution that the power of issuing ordinances be exercised by bye-passing the legislature. I would like to draw the attention of the President, the Prime Minister and the Governor of Bihar to this important matter.

It is incumbent on the State Government to place the ordinances before the legislature at the earliest opportunity. By not doing so they have not discharged their functions in accordance with the Constitutional provision. So this House must take some action. If any substantive motion is required in this regard, I am prepared to give one.

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मध्य प्रदेश सरकार से मुझे श्री चावडा के प्रश्न के बारे में जितनी जानकारी मिली है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह संवैधानिक विषय है। आप मझे संतुष्ट करिए ऐसा क्यो हो रहा है।

श्री एच० एम० पटेल (ढटका) : श्री मधु लिमये ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मेरा अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक—जारी
CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड 5

श्री मनोरजन हाजरा (आराम बाग) : मैं अपनी संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन के उपरांत अपनी बात जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lock Sabha then adjourned for lunch till fifteen hours of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् तीन बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fifteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु: (डायमंड हार्बर) : मैं ने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि छात्रों को दिल्लि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि अर्थशास्त्र विभाग में स्थानों की संख्या कम कर दी गई है। यह एक गंभीर मामला है और आप सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देने को कहें।

चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक
CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। अब खण्ड 5 विचाराधीन है। श्री हाजरा .....

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

देश से फिल्मों का निर्यात करने के बारे में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खण्ड है। देश में काम कर रहे बोर्ड द्वारा एक बार प्रमाणित करने के बाद किसी चलचित्र को निर्यात करने हेतु फिर से प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है ? एक ही फिल्म को देश तथा विदेश के लिये भिन्न-भिन्न रूप में मानना न्यायोचित नहीं है। सम्भव है कि बड़ा सरकारी अधिकारी यह तर्क दे कि एक प्रभुसत्ता प्राप्त राष्ट्र की चलचित्र के बारे में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति में अन्तर होता है । यदि किसी चलचित्र में कोई राजनैतिक उद्देश्य निहित हो तब तो इसे विदेशो में जाने से रोका जा सकता है परन्तु मंत्री महोदय यह विशिष्ट रुप से बताये कि क्या वह ऐसे चलचित्र को विदेशों में भेजने में सकुंचायेंगे नहीं जिसमें कोई ऐसा दृश्य रखा गया हो जिसमें अकालग्रस्त लोगों को कुछ-कचरे के ढेर से रोटी के टुकड़े उठाना दिखाया गया हो ? इस प्रकार की प्रगतिशील फिल्में तो रूक जायेंगी।

इस लिये इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये। हम प्राय: सुनते हैं कि आर्थिक संकट तो सारे विश्व में है परन्तु वह ऐसे दृश्य वाले चलचित्र को विदेशों में भेजने को अवश्य रोकना चाहेंगे।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य को एक ग़लतफहमी है। आज की निर्यात की जाने वाली फिल्मों की सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जांच तथा प्रमाणीकरण किया जाता है । इस विधेयक का अभिप्राय फिल्म के निर्यात कर प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि निर्माता तथा निर्यातकर्त्ता को प्रमाणीकरण के लिये एक ही प्रक्रिया को दो-दो बार न करना पड़े ।

जहां तक प्रगतिशील चलचित्रों के निर्यात की बात है हमारी मन्शा इसे रोकने की नहीं रही है । हम ऐसे चित्रों के निर्यात पर रोक नहीं लगाते हैं । यदि माननीय सदस्य को मालूम हो कि कोई प्रगतिशील चित्र बना और निर्यात नहीं करने दिया गया तो उसकी जानकारी मुझे वह दें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 23 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6

Shri M. C. Daga (Pali) : I beg to move my amendment No. 11, 12, 13 and 14.

In respect of my amendment to clause 6 Section (4), I would submit that when Aurengzeb came he banned dancing and singing: and James closed down cinemas and theatres. Your Amendment Bill proposes to curb the production of art films in the name of streamlining the procedure. In your statement of object and reasons it has been said,"....

I quote from the statement of objects and reasons :

चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का विचार है ताकि चलचित्रों की जांच करने की व्यवस्था में सुधार किया जा सकें। जैसे ही कोई बोर्ड को प्रार्थनापत्र देता है उसकी जांच होनी चाहिये ।

आप इसे अनिवार्य क्यों बताते हैं।

खण्ड 4-क में उल्लेख है कि जांच समिति द्वारा चलचित्र की जांच किये जाने के बाद इसे बोर्ड को भेजा क्यों गया। क्या यह आवश्यक है कि चलचित्र जांच समिति को भेजा जाये? बोर्ड ही उसकी जांच क्यों नही करता ?

Shri I. K. Gujral : Despite the matter being made very clear for the last two days Shri Daga could not follow. I had clarified that the examining committee would sit with one whole time member and one Assessor and examine the film. Our experience shows that 90 per cent cases would be settle at that stage itself. The rest might come before the Board for disposal.

In view of a High Court Judgment we have vested the appellate powers to a Board of Appeal to hear the aggrieved party, examine the film and decide.

Shri M. C. Daga : But the text of Bills says that the Government can call for records from the Examining Committee and Revision Committee.

Shri I. K. Gujral : These reserved powers for the Government are very rarely exercised but certainly they could be utilised in specific cases.

These committees are not rigid and that too we are experimenting in the light of Khosla Committee's recommendations. But had we accepted the recommendations in full, we should have kept 20 persons whereas we have kept only 6. It would have been not possible because 1500-1600 films are to be examined every year.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11,12,13 तथा सभा में मतदान के लिये रखुंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11, 12, 13, तथा 14 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill.

खंड 7

श्री मनोरंजन हाजरा : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : खश्न यह है कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8 तथा 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 8 and 9 were added to the Bill.

खंड 10

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri R. R. Sharma : My amendment seeks to reduce the number of members on Appellate Tribunal from 12 to Six . As regards their categories, the Government specifies:—

You propose to have 12 persons for these above four categories but it is quite possible that all the twelve persons may belong to one or two categories only and the rest of the categories may remain unrepresented in the Tribunal. So you should have specified to have persons for each of the four categories.

Then, why to spend so much by having 12 persons ? Only 5 persons could suffice.

Government's control is setting on more and more. Why don't you have a Film Corporation like the one for A. I. R. Why do you want to make the films a medium of propoganda as is in the case of Radio and T. V. ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें आकाशवाणी का जिक्र कहां से आगया ?

Shri R. R. Sharma : My point is that there should be a corporation for the Film Industry and Government's monopoly should end. Then, only five persons should be kept in the Appellate Tribunal. Let the hon. Minister accept my amendment.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : क्या मैं संशोधनों के बारे में बोलू ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हमारी प्रथा यह है कि संशोधनों पर केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है, जो संशोधन पेश करते है । आप तीसरे वाचन में बोल लीजियेगा ।

Shri I. K. Gujral : My friend has raised obejction that why 12 persons have been included. My clarification is that the tribunal has been constituted on the basis of a high court judgment. Three Members of the panel will sit at one time. As these persons will be honorary Members, therefore no financial expenditure is involved in it. No propoganda is involved in it.

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।
The amendments wer put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 10 was added to the Bill.

खंड 11

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं समझता हूं कि यह खण्ड अनावश्यक है क्योंकि संवैधानिक दायित्व तो पहले ही है । जब हमारे संविधान में ही इसकी व्यवस्था है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है ।

श्री आई० के० गुजराल : मैं इनका तर्क समझा नहीं पाया । विधेयक तो संविधान के अनुसार ही बनाये जायेंगे ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 11 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 11 added to the Bill.

खंड 12 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 12 to 21 were added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया
Amendment made

पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4 — "(दूसरा संशोधन) अधिनियम 1973" के स्थान पर
"(Second Amendment) Act, 1973"
"(संशोधन) विधेयक 1974" शब्द रखे जाये
"(Amendment) Act, 1973"
(श्री आई० के० गुजराल)

संख्या 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 1, संशोधन रुप में विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 51 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।
Amendment made

पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में "Twenty fourth years" "Twenty fifth years" "(25 वें वर्ष)" के स्थान पर "(24 वे वर्ष)" शब्द रखे जाये ।"

(श्री आई० के० गुजराल)
संख्या 1

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र के संशोधित रुप में विधेयक में जोड दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The title was added to the Bill.

श्री आई० के० गुजराल : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाये' ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाये ।"

मेरे पास ऐसे सदस्यों की एक लम्बी सूची है जो तीसरे वाचन में बोलना चाहते है । चर्चा के अनेक पहलू हो सकते है परन्तु मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह विधेयक के पक्ष या विपक्ष तक ही आपने तर्क सीमित रखे तो अच्छा होगा ।

श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Bill is not going to serve any useful purpose. I am firmly of the view that the pre-censorship of the films should be done away with. We have got a number of laws and acts which can be evolved by any citizen in the country who finds fault with a film. I think the real motive behind the Bill is to provide lucrative jobs to the persons of ruling party. In this connection my sincere advice to the Minister is that he should not bring forward such a Bill during the days of present national crisis.

According to the provisions of India, a film could not be exhibited outside India if it presented erroneous, distorded or misleading image of our country. But what is the use of being afraid of facts ? A film which is considered fit to be exhibited inside India, should also be considered equally fit for exhibition outside India also.

[Shri Madhu Limaye]

According to my information, a film producer in India has been receiving huge amount of money from U. S. S. R. May I know from the Minister under which agreement he is allowed to receive money from a foreign country ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैंने तो फिल्मों को दर्शाने से पहले की सेंसर प्रक्रिया को समाप्त करने का आग्रह करता हूं और न ही यह चाहता हूं कि इसके बारे में कड़ा रुख अपनाया जाये। मैं समझता हूं कि हमें अपने सामाजिक जीवन के कठोर सत्यों को जीवन में स्थान देना चाहिये तथा परिस्थितियों के अनुरुप ही अपना रुख अपनाना चाहिये।

विधेयक की धारा 5-ग का संशोधन करने के अपीलीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति का अनुमान लगाया गया है। परन्तु इसके साथ ही यह क्यों समझा जाता है कि हमारे सदस्य निःशुल्क काम करेंगे। सरकार ऐसी अपेक्षा क्यों करती है कि ईमानदार व्यक्ति निःशुल्क कार्य करेंग ? इन सदस्यों को काफी महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। सदस्यों की योग्यतायें भी उनके महत्वपूर्ण कृत्यों के अनुरुप ही होनी चाहिये परन्तु इनकी व्याख्या बहुत अस्पष्ट रुप से की गई है।

मेरा क अन्य सुझाव यह है कि न्यायाधिकरण के केवल तीन सदस्य होने चाहिये, जिनमें से एक उच्च न्यायालयए का न्यायधिश हो, तथा दुसरा एक ऐसा वकिल हो जो कमसे कम दस वर्ष तक वकिल का कार्यकरता रहा हो एक अन्य सदस्य ऐसा होना चाहिये जिसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं मैट्रो सिनेमा कलकत्ता के कर्मचारियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक।

श्री वी० वी० नायक (कनारा) : 4 जून, 1974 के "इंडियन एक्सप्रैस" में यह समाचार छपा है कि फिल्म वितरकों के विचार में टेलीविजन की बढ़ती हुई लोकप्रियता फिल्म उद्योग के लिए गम्भीर चुनौती बन गई है।

सेंसर होने के बाद भी भद्दे दृश्यों वाली फिल्में जनता को दिखाई जाती है। फिल्म उद्योग की कोशिश तो यह है कि टेलीविजन उद्योग उनके उद्योग पर हानी न हो जाए। मेरे विचार में टेलीविजन उद्योग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और फिल्म उद्योग के साथ-साथ इस उद्योग की स्थापना के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। टेलीविजन संचार का शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए सरकार को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि टेलीविजन में सही फिल्में दिखाई जाएं।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The scope of the Bill is very limited. It is my general opinion that films are not produced on secularism, socialism, National integration promotion of old traditions. Cinema, which is a powerful medium of communication, should sincerely contribute towards production of good films. The only object of producers is to earn profit and for that they produce films full of vulgarity, crime and obscenity. Therefore I want the hon. Minister to bring a Bill, the object of which should be to achieve social objective.

Through this Bill, an attempt has been made to strengthen the Board of Censors. But keeping in view the connivance of big bureaucrats and producers, I am afraid the object may not be achieved. The hon. Minister should see that such connivance is checked.

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मेरा सुझाव है कि विधेयक को वापिस ले लिया जाए। सेंसर होने के बाद भी अश्लील, हिन्सा से भरी फिल्में देखने में आती है। इससे विदेशी मुद्रा का अपव्यय तो होता ही है साथ ही ये फिल्में समाज पर भी वुरा प्रभाव डालती है। ऐसी फिल्में निर्मित नहीं की जानी चाहिए। फिल्मों के स्क्रिप्ट को भी सेंसर किया जाना चाहिए। पुरस्कृत फिल्मों को सारे देश में प्रदर्शित करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए।

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे सुझाव मान लें।

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : विधेयक के तृतीय वाचन के अवसरस पर मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक को वापिस ले लें। इस विधेयक से फिल्म उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा और न ही जन-शिक्षा प्रदान करने में यह सहायक हो सकता है। मुझे लगता है कि सरकार फिल्मों के माध्यम से अपने विचारों को जनता पर थोपना चाहती है। फिल्म जमींदारी में श्रीमती इन्दिरा गांधी के विचारों का अधिक प्रचार किया गया है। सरकार सेंसर के नाम पर, पुनरीक्षण समितियों के नाम पर सांस्कृतिक माध्यम से अपने विचारों को प्रेषित करना चाहती है और यह विधेयक इस दिशा में पहला कदम है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाए।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्यों ने बताया है कि प्रदर्शित फिल्में चिन्ता का विषय बनी हुई है और ये फिल्में केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। मैं मानता हूं कि फिल्में विचार प्रेषण का शक्तिशाली माध्यम है और इसी लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिल्में समाज पर बुरा प्रभाव न डालें। हम ने सेंसर बोर्ड के लिए निष्ठावान सदस्यों का चयन किया है और हमें विश्वास है कि वे ईमानदारी और लगन से काम करेंगे।

जहां तक निर्यात फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने का सम्बन्ध है, इस समय सीमा-शुल्क विभाग फिल्मों का दुबारा सेंसर करता है। मेरे विचार में यह एक जटिल प्रक्रिया है और इस लिए हम यह अधिकार सेंसर बोर्ड को दे रहे हैं।

श्री मधु लिमये ने सिनेमा मालिक को अग्रिम राशि देने के बारे में प्रश्न उठाया था। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि सिनेमा मालिक ने मेरे साथ पत्र-व्यवहार किया था। सोवियत फिल्मों के निर्यातक "सोव एक्सपोर्ट" कम्पनी और सिनेमा मालिक का एक करार हुआ था जिसमें सोवियत फिल्मों का यहाँ प्रदर्शित करने और भारतीय फिल्मों को सोवियत संघ में प्रदर्शित करने की बात कही गई थी। यह करार वित्त मंत्रालय की अनुमति लेकर किया गया था। मैं इस सम्बन्ध में पहले ही ब्यौरा दे चुका हूँ। माननीय सदस्यों को चिन्तित नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ऐसे करारों पर कड़ी नजर रखते हैं।

मैटरों सिनेमा के सम्बन्ध में बातचीत चल रही हैं। माननीय सदस्य ने प्रबन्धक वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच चल रही मुकदमे बाजी की ओर मेरा ध्यान दिलाया है परन्तु सरकार इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सरकार इसमें अन्तर्ग्रस्त है। इस सम्बन्ध में कई नोटिस सरकार को दिए जा चुके है और उनसे मांग की गई है कि सरकार मामले में हस्तक्षेप करे। इस लिए मंत्री महोदय को सदन में गलत बात नही कहनी चाहिए।

---

*बंगला मे दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतरण।

Summarised translated version based on English Tranlation of the speech delivered in Bengali.

श्री आई० के० गुजराल : विधि मंत्रालय ने हमें सलाह दी थी कि हम इस मामले प्रत्यक्ष मे दखल न दें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह मामला विधी से सम्बन्धित है अथवा नीति से ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक खरीद का सम्बन्ध है, हम वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और विधि मंत्रालय के परामर्श से नीति सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हम इन दो सिनेमाओं को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस स्थिति में मैं इससे अधिक कुछ नही कह सकता ।

मैं श्री नायक के इस विचार से सहमत हूँ की सेंसर बोर्ड में हमेशा कोई न कोई गलती अवश्य रह जाएगी। मेरे विचार में यह बोर्ड कोई सार्थक कार्य नही कर सकता।

मैं इस बात से सहमत हूं कि टेलीविजन उद्योग का विस्तार होना चाहिए क्योंकि टेलीविजन सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का शक्तिशाली माध्यम है।

श्री मधुकर ने मेरा ध्यान सिनेमा से संबंधित लोगों की मुनाफाखोरी, सट्टेबाजी आदि की वृत्ति की ओर दिलाया है तथा हमे बदलने की बात कही है । दुर्भाग्य के इस विधेयक का अभिप्राय बहुत सीमित है परन्तु मैं फिल्मो संबंधित एक व्यापक नीति के रुप में विभिन्न उपाय निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

श्री जोरदर ने यह सही कहा है कि फिल्मों के लिये विदेशी मुद्रा खर्च करके प्राप्त कच्ची फिल्मों का दुरुपयोग किया जा रहा है जो कि सामाजिक विष के समान है। इसके लिये यह विधेयक तो कुछ लाभप्रद सिद्ध होगा ही साथ ही हम अन्य उपाय भी करेंगे ।

श्री हाजरा एक ओर तो फिल्मों में सांस्कृतिक संकट की बात करते हैं तो दूसरी ओर इसके संबंध में कुछ उपचार करने संबंधी हमारे थोडे से खर्च पर भी चिन्ता व्यक्त करते हैं। वह फिल्मों का सुधार सेंसर बोर्ड का प्रभावी होना आप सभी कुछ चाहते हैं परन्तु इस पर खर्च भी नही करने देना चाहते मैं चाहता था कि फिल्म जगत में सरकार उद्देश्यपूर्ण क्या वित्त संबंधी हस्तक्षेप हो ताकि हम सांस्कृतिक माध्यम को समाज के उद्देश्यपूर्ण उपयोग में लाया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के वर्ष 1974–75 के बजट की अनुदानों क मांगो पर चर्चा के लिए एक घंटा रखा गया है ।

श्री अरविन्द बाला पाजनारे अपने कटौती प्रस्ताव पेश करें

अरविन्द बाला पाजनारे (पांडिचेरी) : मैं सभी कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं ।

पांडिचेरी की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1	श्री अरपिन्द बाला पाजनारे	भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
2	2	,,	संविधान में निर्दिष्ट नागरिकों के विभिन्न अधिकारों की रक्षा हेतु ओक बुडसमैन को नियुक्ति करने की आवश्यकता ।	,,
3	3	,,	व्यय कम करने की आवश्यकता क्योंकि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल नहीं है ।	,,
5	4	,,	तुरंत निर्वाचन कराने की आवश्यकता ताकि लोग पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक लोकप्रिय सरकार बना सके ।	,,
17	5	,,	सभी गांवों और शहरों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
17	6	,,	गावों को मुख्य सडकों से मिलाने के लिए सडकें बनाने की आवश्यकता ।	,,
18	7	,,	शिक्षा नीति में सुधार करने तथा उसे साहसपूर्वक कार्यान्वित करने की आवश्यकता जैसा कि विलप के समय आश्वासन दिया गया था ।	,,
18	8	,,	प्रस्तावित पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में तालमेल बिछाने की आवश्यकता ।	,,

*श्री **नुरुल हुडा** (कचार) : मार्च के अन्त में, पांडिचेरी सरकार गिर गई, विधान सभा भंग कर दी गई, थी वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया । कांग्रेस दल के नेता हांक लगाते हैं कि लोकतंत्र के रक्षक तो केवल वहीं है और विपक्ष तो देश में संसदीय लोक तंत्र को तबाह करने पर तुला हुआ है । परन्तु पांडिचेरी में पांच मास के राष्ट्रपति शासन के बाद भी लोगों द्वारा बार बार अनुरोध तथा मांग किये जाने पर भी चुनाव नही कराये गये और न जाने भविष्य में भी कब होंगे । पांच लाख आबादी के छोटे से क्षेत्र पांडिचेरी में राज्य विधान सभा की 30 सीटों के लिये चुनाव कराने में क्या कठिनाई है ? गुजरात के बारे में तो कह दिया गया था कि बडा राज्य है कई करोडों रुपये चुनाव पर खर्च आयेगा तथा चुनाव क्षेत्रों का गठन भी करना होगा । परन्तु पांडिचेरी के मामले में तो यह बात भी नहीं है, राज्य में तथा यहां संसद में भी प्रबल मांग के बावजूद वहां चुनाव नही कराये जा रहे है । क्या इससे स्पष्ट नहीं कि संसदीय लोकतंत्र को कौन नष्ट कर रहा है । सत्तारूढ दल अपने स्वार्थों के लिये राष्ट्रपति शासन का सहारा लेता रहा है तथा वह उस समय चुनाव कराता है जबकि स्थिति उसके अनुकूल हो ।

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

Summarised translated version based in English translation of the Speech delivered in Bengali.

[श्री नुरुल हुडा]

पिछले सत्र में दलबदल को रोकने का विधेयक सरकार ने पेश किया था। यह विधेयक अभी प्रवर समिति के विचाराधीन है। एक ओर तो सत्तारुढ दल दलबदल का विरोध करता है परन्तु दूसरी और त्रिपुरा में उसने दलबदल कारके वहां की सरकार का पतन कराया। प्रधान मंत्री, गृहमंत्री आदि ने यहां कहा था कि वे इस विधेयक को तुरन्त ही पारित हो जाने में रुचि रखते है जिसका अभिप्राय दलबदलू को दलबदल से लाभ उठाने से रोकना है परन्तु सत्तारुढ दल का कोई धर्म नहीं हैं। ऐसा कहकर तुरन्त ही दलबदल द्वारा उसने पांडिचेरी सरकार का पतन करा दिया। इस प्रकार कांग्रेस कहती कुछ है और करती उसके विपरीत है।

आज पांडिचेरी में नौकरशाहों का शासन है तथा वहां शैक्षिक तथा सामाजिक सुधारों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यह तो केवल वहां कोई लोकप्रिय सरकार बनने के बाद ही हो सकता है, अतः वह तुरन्त ही चुनाव कराये जाने चाहिये। अन्यथा यही समझा जायेगा कि कांग्रेस दल को संसदीय लोकतंत्र में कोई विश्वास नही है और न ही पांडिचेरी के लोगों के प्रति कोई सहृदयता है।

अतः मेरी मांग है कि वहां राज्य विधान सभा के लिये तुरन्त हीं चुनाव कराये जाये और लोगों की आकांक्षायें पूरी की जायें।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं पांडिचरी बजट का समर्थन करता हूं। पांडिचरी मे जब सरकारने बजट पेश किया था तो हमने बजट का विरोध नही किया था। बल्कि बजट की गोपनीयता का गोप खोलने के लिए सरकार की आलोचना की थी और इसी आधार पर हमने लेखानुदानों का विरोध किया था। हमारा विचार था कि जो सरकार बजट की गोपनीयता को सुरक्षित नही रख सकती वह और क्या कर सकेगी।

पांडिचेरी का अन्नाद्रमुक तथा साम्यवादि दल की भूतपूर्व मिलि जूलि सरकार ने काफी अव्यवस्था पैदा कि थी। हालांकी साम्यवादी दल से हमारा राजनैतिक मतभेद है परन्तु फिर इस दल ने अन्नाद्रमुक को काबू में रखने का प्रयास किया और जब उनके वश की बात नहीं रही तो उन्होनें अन्नाद्रमुक का साथ छोड दिया और सरकार गिर गई। अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है।

मुझे खेद है कि द्रमुक के शासन में तथा अब भी राज्य के संसाधनों को जूटाने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। वहां लम्बे सफर के लिये बस-परिवहन आर्थिक संसाधन का अच्छा स्त्रोत हैं। वहां एक परिवहन निगम बनाया जाना चाहिये। लम्बे बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

दूसरे, पांडिचेरी पर्यटन की दृष्टि से बडे महत्व का स्थान हैं। राज्य सरकार ने वहां एक यूथ होस्टल खोलने के लिये केन्द्र सरकार को दो एकड भूमि आबंटित नहीं की। वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई। सरकार तुरन्त ही वह काम करे।

मद्रास पत्तन तथा तुतीकोरिन बन्दरगाहों पर यातायात की बहुत भीड हैं। अतः पांडिचेरी पत्तन का विकास करके उसे दक्षिणी राज्यों क उपयोग योग्य बनाया जाना चाहिये।

पहले यह राज्य खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर था परन्तु अब दूसरों पर आश्रित है। प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे। पांडिचेरी को विद्युत तामिलनाडू से मिलती है और तमिलनाडु कहीं और से विद्युत प्राप्त करता है। सरकार पांडिचेरी में एक तापीय केन्द्र स्थापित करने के लिये विशिष्ट निधि आबंटित करे।

आजकल प्रशासन के ऊपरी खर्च बहुत काफी है। मंत्री महोदय उनको कम करे तथा बचत उपायों को क्रियान्वित करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): सरकार बचत उपाय करने तथा अनु उत्पादन व्यय में कटौती करने की बात करती है जब कि वार्षिक वित्तीय विवरण से स्पष्ट है कि पांडिचेरी जैसे छोटे से राज्य की पुलिस पर व्यय 45,47,000 रुपय से बढकर 50,78,000 हो गया और प्रशासनिक खर्च 8,92,000 रु० से बढकर 9,47,000 रुपये हो गया। क्या ये उत्पादक व्यय है ? दूसरी ओर श्रम तथा रोजगार के मद पर खर्च को 9,40,000 रु० से घटाकर 8,94,000 कर दिया गया।

सभापति महोदय आज परिस्थितियां बदल रही है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड के बारे में लिखा है। यह दस्तावेज योजना आयोग के भविष्यगामी योजना प्रभाग के प्रतिवेदन से संबंधित है जिसे सरकार दबाये बैठी है। यह अभी तक अप्रकाशित है।

एक माननीय सदस्य : फिर आप को कहां से मिला ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बताने को बन्धा नहीं हुं, मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

सभापति महोदय : इससे उद्धरण देने से पूर्व आप इसे सभा पटल पर रखें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस में लिखा है :—

"As a first step, the Government may, on the basis of our recommendations, adopt a Resolution on Wage Policy. It may then set up a high-level statutory National Wage Board to implement this policy."

"Objectives of Wage Policy. In 'Approach to the Fifth Plan', removal of poverty and attainment of economic self-reliance have been set as the two major tasks. Wage policy, as all other policies, must derive its rationale from these basic tasks. Proceeding from this premise, the appropriate objectives of wage policy may be to ensure minimum wages.."

सभापति महोदय : पांडिचेरी बजट के नाम पर आप चाहे जो यहां पेश नही कर सकते। आप हमेशा किसी भी विधेयक पर कोई भी बात करने लगते है। आप इस दस्तावेज को यहां छोड दीजिये। इसको स्वीकार करने या न करने के बारे में बाद में निर्णय होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय सभापीठ को निर्देश नही दे सकते, इसमें आगे कहा गया है।

"to ensure the workers and employees a due share in fruits of growth;

to rationalise inter-occupational, inter-industrial and inter-regional wage differentials and reduce disparities in a phased manner;

to eliminate, progressively unjustified wage differentials between the organised and the unorganised sectors."

Further on, it says :

"The objectives of wage policy cannot be realised if wage determination is left to the market forces".

सभापति महोदय : यह सब कुछ संबंधित नहीं है। हम तो पांडेचेरी बजट पर चर्चा कर रहे है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह भारत के बाहर है ? यह नीति तो सारे देश के लिये है। क्या दस्तावेज योजना आयोग का है : इसमें कहा गया है

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

"in order that the workers and employees may have incentives to work....

"...enthusiastically and thus promote national growth, they should directly share the fruits of this growth. An appropriate arrangement for growth sharing by the workers and employees should be an important element of wage policy."

उसमें अनेक बाते बहुत महत्वपूर्ण है और मुझ प्रसन्नता है कि मूझे इसकी एक प्रति मिल गई आगे लिखा है :

"Besides a share in the benefits of overall growth of the economy in the form of a growth, the worker may also be provided with an incentive to higher productivity and co-operative industrial relations by giving him a share in the profits of the cocern where he is employed. Since the subject is being studied in depth by the Bonus Review Committee, while recognising its importance, we are not making any comm ents."

"The main components of such a profit policy should be the following :

to eliminate and, if that is not fully practicable, take over through fiscal devices price and distribution controls, and other methods, the excessive profits resulting from the exercise of monotpoistic and oligopolistic power ;

to reduce excessive profits in sweated industries to reasonable levels by eliminating the exploitative features of these industries....

to appropriate a reasonable proportion of profits into the national fisc through direct taxation;"

"The wage policy conceived by us requires the Government to play a key role in implementation. Minimum wages for different centres and regions have to be estimated an enforced. An appropriate spectrum of skill grades has to be worked out on the basis of pro per evaluation of skill differentials and premium points for each grade determined...

As a first step, the Government may, on the bais of our recommendations, adop a Resolution on Wage Policy. It may then set up a high-level statutory National Wage Board to implement this policy."

योजना आयोग का यह 7 मार्च, 1973 का अंतरिम प्रतिवेदन है जिसे सरकार अब तक दबाये बैठी है । आपकी अनुमती से मैं इसे सभापटल पर रखता हूं ।

सभापति महोदय : आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए । सभापटल पर रखने के बारे मे निर्णय बाद मे होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापीठ ने इसे स्वीकार कर लिया है । सरकार जवाब दे की उसने इस अंतरिम प्रतिवेदन को क्रियान्वित क्यो नही किया ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : वित्त मंत्री महोदय क्यों की सभी बातों का उत्तर शायद न दे सकेंगे । इसलिये गृह मंत्री महोदय हमारी बातें नोट करते जाये और बाद में हमें उनके उत्तर भेज दे ।

पहली बात तो यह है कि पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन बनाये रखना तथा विधान सभा के चुनाव न कराना सर्वथा अनुचित है जब कि वहां चुनाव क्षेत्रों तथा मतदाताओं की सूची तैयार हो चुकी है । 30 सदस्यों वाली विधान सभा के इस छोटे से क्षेत्र में बडी आसानी से चुनाव कराये जा सकते है और लोगों को भी इस समय प्रबल इच्छा यही है । वे राज्यपाल के शासन से तंग आ चुके है । अत: चुनाव शीघ्रातिशिघ्र कराये जाने चाहिये । इससे पूर्व जैसा कि राज्यपाल ने निर्देश दिये है, नगर पालिका तथा पंचायतों के चुनाव कराना निरर्थक है ।

फांसीसियों के प्रशासन के समय यह लाभ था कि पांडिचेरी, कराईकाल, माहे तथा यनाम क्षेत्रों में छोटे से छोटे गांव पर भी 'कम्यून' लागू होते थे और कम्यून मेयरों को व्यापक शक्तियां प्राप्त थी। नये अधिनियम के अन्तर्गत राज्यपाल ने इन मेयरों को समाप्त कर दिया परन्तु परिषद अभी बनी हुई है। मेयर का काम अब अधिकारी करते है जिसके विरोध में राजनीतिज्ञों ने उनका बायकाट कर रखा है और वहां एक प्रकार असहयोग का वातावरण है। सरकार राज्यपाल को निदेश दे कि इसके लिये चुने गये प्रतिनिधियों में से ही चुनाव की व्यवस्था की जाये जैसा कि अधिनियम मे प्रावधान है। न जाने क्यों इसकी अवहेलना की जा रही है।

राज्यपाल को यहां केन्द्र से निदेश मिल रहे कि वह वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जिससे कि कांग्रेस चुनावों में जीत जाये, परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पांडिचेरी के लोग जानते है कि एक तो क्या दोनों कांग्रेस मिलकर भी वहां कोई स्थायी प्रशासन नही उपलब्ध कर सकेंगे। अतः आप अपनी शक्ति और समय व्यर्थ न करें।

मार्डन बेकरीज के अनुभव वाले व्यक्ति को पांडिचेरी जैसे राज्य में राज्यपाल बनाकर भेजने की क्या नुक थी? राज्यपाल यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वह राजनीतिज्ञों से अधिक कुशलता से प्रशासन चला सकता है और इसी लिये वह सक्रिया राजनीति में चला ले रहा है। श्री अरविन्दू आश्रम के उपरोक्ष निर्देशन में कार्य करने वाले उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे है अतः जितना जल्दि हो सके उन्हे शीघ्र वापस बुलाया जाये।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अनेक राज्यों ने अपने अपने राज्यपालों को वापस बुला लेने की मांग की है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : पांडिचेरी मे खाद्य की स्थिति बेहद खराब है तथा वहां इस संबंध मे उपद्रव भी हो रहे हैं। जो स्थिति इस समय तमिलनाडू और पांडिचेरी को है उससे लगता है कि आप को धान तक के लिये विदेशों से भीख मांगनी पड़ेगी ये दोनों राज्य चावल के मामले मे आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं फिर भी सरकार इसे समय पर वसूल करने में असफल रही है। इसलिये वह चावल अन्य क्षेत्रों को चला गया और अब वहां 5 रु० प्रति किलो तक चावल बिक रहा है। अब तमिल नाडू और पांडिचेरी के लोग दमुक को सत्तारूढ़ नहीं रहने देंगे। मूल्य को भी छोडिये इन राज्यों में चावल उपलब्ध भी नहीं है। इस लिये वहां जल्दी से जल्दी चावल के स्टाक भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मिट्टी का तैल चीनी, सीमेंट आदि भी जो कि पांडिचेरी के लिये भेजे जाते हैं के कई मार्ग में ही इधर उधर कर दिये जाते है और पांडिचेरी नही पहुंचते।

पहले पांडिचेरी में दूध भी बहुत उपलब्ध था वहां अब प्रतिदिन दूध का उत्पादन 17000 लिटर से घटकर केवल 7000 लिटर रह गया है और लोगों को दूध दुर्लभ हो गया है। यह कैसे हुआ? राज्यपाल तथा मुख्य सचिव ने दुध की वसूली तथा वितरण की प्रणाली को अस्तव्यस्त कर दिया।

केंद्र सरकार को इस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये कि पांडिचेरी के लिये आवंटित राशि उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च हो जिनके लिये दी गई है। अराजपत्रित अधिकारियों आदि के क्वार्टरों के निर्माण की आधारशिला स्वयं श्री गुजराल ने रखी थी परन्तु उन के लिये कोई भी भवन नहीं बने। बाद में इस राशी को आई० ए० एस० अधिकारियों के लिये ऐश्वर्यमय बंगले बनाने के लिये खर्च कर दिया गया। ये लोग सरकारी कारों का उपयोग भी करते हैं तथा सार्वजनिक काम का दुरुपयोग करते हैं। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

[श्री एम० कल्याण सुन्दरम]

मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य को वित्तीय आवश्यकताओं के लिये अनुदान के रूप में 4.73 करोड़ रुपया दिया गया है। यह राशि राज्य की आवश्यकताओं की तुलना मे बहुत ही अपर्याप्त हैं। अनेक मंत्रीगण पांडिचेरी जाते हैं वहां सड़कों की दशा अत्यन्त शोचनीय है तथा जलनिकास की व्यवस्था बड़ी गन्दी है साथ ही पेय जल की सप्लाई भी अपर्याप्त है।

नागरी विकास के लिये 15.46 लाख रुपया आवंटित किया गया। परन्तु उसे पंचायती राज संस्थाओं पर खर्च किया गया जोकि ग्रामीण क्षेत्रों मे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों पर धन खर्च करने का विरोधी नहीं हूं परन्तु कुछ नगरीय क्षेत्रों का विकास भी तो जरूरी है। अतः पांडिचेरी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों का ही विकास किया जाना चाहिये।

पांडिचेरी में नागरिक सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। बाहर से आने वाले लोग इस शहर के बारे में बड़ी निम्न कोटि की धारणा लेकर जाते हैं। सरकार इस संदर्भ में तुरन्त कुछ करे।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वही वेतनमान मिलने चाहिये जो अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हुए हैं। परन्तु आदेश जारी होने के पांच मास बाद भी कर्मचारियों को वे वेतन-मान नहीं मिले हैं। कई श्रेणियों के तो वेतन ही तय नहीं हुए है।

राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन ने पहली अगस्त को वेतन न लेने तथा भूख हड़ताल तक करने की चेतावनी दी है। हम ऐसे आंदोलनों को निमंत्रण क्यों देते हैं? सरकार उन को उनकी देय राशि तुरन्त दे।

हालांकि मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं परन्तु साथ शुक्र करता हूं कि इस कारण हमें पांडिचेरी के बारे में यहां चर्चा करने का अवसर तो मिला।

पांडिचेरी को अपनी निजी न्यायपालिका होनी चाहिये अब यह मद्रास उच्च न्यायालय के अन्तर्गत आता है। छोटे छोटे मामलों के लिये भी मद्रास दौड़ना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि पांडिचेरी में एक बेंच स्थापित की जाये जो वहां के स्थानीय मामलों को निपटाये। गरीब लोग न्याय के लिये सैंकड़ो मील दौड़े जायें यह उचित नहीं है।

भूमि की अन्तिम सीमा तथा कृषि श्रमिकों को निवासों के लिए भूमि देने संबंधी अधिनियम बन चुके हैं परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इसके लिये निर्धारित राशि खर्च ही नहीं की गई है। किसी भी गांव मे किसी भी हरिजन को मकान के लिये भूमि नहीं दी गई है हालांकि उपराज्यपाल स्वयं हरिजन है तथा हरिजनों का रियायती होने का दम भरते हैं। हरिजन कल्याण हेतु भेजी राशि को भी अन्य कसौटी पर लगा दिया जाता है। सरकार उपरोक्त दोनों अधिनियमों को क्रियान्वित करे।

सरकार ने पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय खोलने का वचन दिया था। पांडिचरी के विकास से तमिलनाडू को भी लाभ पहुंचता है। इसलिये यदि आप किसी कारण तामिलनाडू को उसके लिये आवश्य एक-दो विश्वविद्यालय नहीं दे सकते तो कम से कम पांडिचेरी को तो एक विश्वविद्यालय देने का अपना वचन पूरा करें।

इस क्षेत्र में समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग की बड़ी गुंजाईश है परन्तु उसकी उपेक्षा की जा रही है। इसके तरफ पूरा ध्यान दिया जाये तो वहां खाद्य का संकट पैदा ही न हो। इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिय।

मैं जानता हूं कि श्री गणेश सभी बातों का उत्तर न दे सकेंगे । मैं चाहता हूं कि मेरी ये बातें संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचाई जायें। गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री वहां चुनाव करने की शीघ्र व्यवस्था करें तथा इससे पहले नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव न कराये वहां लोकप्रिय सरकार बनने पर वहां स्वयं इस कार्य को कर लेंगी ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Mr. Chairman Sir, regarding the Pondicherry Budget, I want to draw the attention of the House towards two or three points. The very first thing is that the former French territories which were once taken away from India by French rulers, are still functioning as separate entities. As a matter of fact, by this time these small territories should have been merged with their adjoining States. That way the administrative expenditure of the State would have been curtailed. For instance, Mahe can very easily be merged with Kerala, Yanam with Andhra and Karaikal with Tamilnadu. Pondicherry itself also can be merged with Tamilnadu. But if at all it is to be kept a separate unit, it should be made administratively viable.

The other peculiar aspect of the Budget is that a sum of rupees 56 lakhs, has been earmarked for police and rupees 2 lakhs for jails. But what is the total population of the State ? It is just 5 lakhs. So, that way, on an average 11 rupees will be spent on police for one person. I think it is too high an amount to be spent on police and specially in a State in which once the apostal of peace and love, Lord Arobindo gave his sermons. So, on this small State, our administrative expenditure is too high and efforts should be made to curtail the same.

My last submission is that elections are long over due in the state and for the restoration of popular Government, these should be held at the earliest.

श्री अरविन्द बाल पजनोर (पांडिचेरी) : सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पांडिचेरी में तत्काल चुनाव करवाये जाने चाहिये ताकि अगली बार पांडिचेरी का बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही न पड़े। हमारे से बेहतर सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच महीनों से वहां चुनाव क्यों नहीं करवाये गये। सम्भवत: सरकार को वहां अभी कुछ दल-बदल की आशा बनी हुई है। परन्तु वास्तविकता यह है कि वहां की जनता शीघ्र ही लोकप्रिय सरकार बनाना चाहती है क्योंकि आज वहां ऐसे प्रतिनिधि नहीं हैं जो जनता की शिकायतों को सुन सकें तथा उन्हें दूर करने के लिये कुछ कार्यवाही कर सकें ।

मेरे पूर्व-वक्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया कि माहे, कराइकल तथा यनाम आदि का विलय पड़ौसी राज्यों में किया जाना चाहिये । उनके इस सुझाव से ऐसे लगता है उन्हें उस क्षेत्र की संस्कृति की अपेक्षित जानकारी नहीं है। उनका यह सुझाव यदि वहां के लोगों के समक्ष रखा जाये तो सम्भवत: वे उसे तुरन्त अस्वीकार कर देंगे ।

पांडिचेरी में आजकल खाद्यान्नों की भी काफी कमी चल रही है। पांडिचेरी में चावल 5.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है तथा कराइकल में 4.50 रुपये प्रति किलो की दर से। कराइकल कावेरी के डेल्टा पर स्थित है तथा यहां से सारे राज्य को चावल की सप्लाई की जाती थी। वर्तमान परिस्थिति केवल सरकार के कुप्रशासन का ही परिणाम है । इन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान वहां तुरन्त चुनाव करवा कर लोकप्रिय सरकार की स्थापना करने में ही निहित है।

पांडिचेरी में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में काफी असंगतियां हैं। यदि सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों पर उचित रुप से ध्यान दिया जाय तभी शासन व्यवस्था बेहतर हो सकती है। वर्ष 1954 में जब इस क्षेत्र का विलय भारतीय संघ में किया गया था।

[श्री अरविन्द बाल पजनौर]

तो भूतपूर्व शासन के सरकारी कर्मचारियों को उनके हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया है। दूसरे वेतन आयोग ने कुछ सिफारिशें इस राज्य के बारे में की थी परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। वहां के सरकारी कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव बरता जा रहा है उससे वे काफी निराश और असंतुष्ट हैं। उनकी कठिनाइयों की जांच करने के लिए समिति नियुक्त की जानी चाहिये और इस राज्य के लोगों को भी न्याय दिया जाना चाहिये।

पांडिचेरी राज्य की राजधानी की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। वहां के आकर्षक-स्थान अरविन्द आश्रम को छोड़ कर, शेष कुछ भी आकर्षक नहीं है। कराइकल की दशा भी अच्छी नहीं है। केन्द्र सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

पांडिचेरी एक गरीब क्षेत्र है। इसे समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यहां भारी उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार क्षेत्र को उपराज्य का दर्जा दिया जा सकता है। कुछ लोगों का विचार है कि वित्तीय दृष्टि से यह सम्भव नहीं है परन्तु पांण्डिचेरी में 3000 से 4000 तक ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें फ्रैंच पेंशन मिलती है और इससे सरकार को 4.5 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी प्रकार पांडिचेरी में चार-स्टार होटल की स्थापना की जानी चाहिये ताकि पांडिचेरी में आने वाले लोगों को एक दो दिन रूकने के लिए अच्छा स्थान उपलब्ध हो सके।

सरकार को वहां के सरकारी कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। उन्हें मकान बनाने के लिए ऋण दिये जाने चाहिये। सरकार को इस छोटे राज्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि यह भी विशाल तथा महान भारत का एक अभिन्न अंग है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): पांडिचेरी के बारे में मुझे बोलने के लिए खड़ा देखकर मेरे माननीय मित्रों को हैरानी नहीं होनी चाहिये। क्योंकि हमारा सम्बन्ध चाहे किसी चुनाव क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष से क्यों न हो, अन्ततः हम एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं।

मैंने अगस्त 1967 में किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पांडिचेरी का दौरा किया था। उस समय की यादें तथा घटनायें अभी भी मेरे मन में ताजा हैं। यात्रा के बाद मुझे ऐसा लगा कि राज्य की निरन्तर उपेक्षा की गई है। वहां सामान्य जनसुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। वहां की सड़कों, भवनों तथा अन्य आवास सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां का सम्पूर्ण समाज दो वर्गों में बटा हुआ है और दोनों में काफी गहरी खाई है। एक यदि बहुत अमीर है तो दूसरा अत्यन्त निर्धन। एक ओर तो पूर्ण रुप से गरीबी। कुपोषण तथा गन्दगी का राज्य मालूम होता है। सभ्य जीवन का वहां पूर्णतया अभाव है। अब जबकि पांडिचेरी में केन्द्रीय शासन है, इसकी सर्वांगीण प्रगति की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहां तक मुझे जानकारी है। पांडिचेरी में इस वर्ष 28 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तथा गुजरात में इसी वर्ष की 9 फरवरी को। जब भी कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत होता है तो उस राज्य की लोगों से समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि उनकी कठिनाइयों को सुनने वाला कोई नहीं होता। जब उनके निर्वाचित प्रतिनिधि ही नहीं होंगे तो फिर शासकों तक उनकी बात कौन पहुंचायेगा। जिस राज्य में 6 महीने से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। वहां तो नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है। अतः यह सब कुछ कहने का मेरा आशय यही है कि पांडिचेरी तथा गुजरात शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवा कर

वहां लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जानी चाहिये । ऐसा करने से अनेक वर्तमान समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जायगा । संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का शासन तब तक उचित होता है जब तक वहां का लोकतांत्रिक ढांचा उपयुक्त न हो । सामान्य स्थिति मे राष्ट्रपति का शासन लोकतन्त्रीय हितों के विरुद्ध होता है और इसी आधार पर मैं पांडिचेरी विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : भारत में पांडिचेरी ही ऐसा केन्द्र शासित क्षेत्र है जिसकी अत्याधिक उपेक्षा की गई है । जब मैंने इस राज्य के बजट का अध्ययन किया, तो एक अजीब बात मुझे देखने को मिली । केन्द्रीय सरकार द्वारा पांडिचेरी को दिए गये सहायता अनुदानों को देखने से स्पष्ट होता है कि पांडिचेरी का आरम्भिक बजट 497 लाख के लगभग का बनाया गया था परन्तु उसे घटाकर 394 लाख रुपये कर दिया गया । मैं समझता हूं कि राज्य के उचित विकास तथा पहले आरम्भ किये गये कार्यक्रमों को पूरा करने की दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं है । सरकार को यह धनराशि बढ़ाकर साढ़े छः या सात करोड़ रुपये कर देनी चाहिये ।

पांडिचेरी को तात्कालिक समस्या बिजली का अभाव है । इस का प्रतिकुल प्रभाव कृषि तथा उद्योग दोनों पर पड़ रहा है । पांडिचेरी के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र का आधा भाग अप्रयुक्त पड़ा है । केन्द्रीय सरकार को इसे अपने हाथ में लेकर तुरन्त एक तापीय बिजली घर की स्थापना कर देनी चाहिये जिससे कम से कम उद्योगों को चलाने के लिए तो बिजली मिल सके ।

कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार ने पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया था । परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को पांडिचेरी में पर्यटन विकास की ओर ध्यान देना चाहिये । वहां का अरविन्द आश्रम अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की रूचि का विषय तो है ही, अतः अपेक्षित पर्यटक सुविधाओं के विकास से राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है । इसी प्रकार वहां दूध के वितरण में हो रहे गोलमाल की ओर भी उपराज्यपाल को अपेक्षित ध्यान देना चाहिये । मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि पांडिचेरी में उचित मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करने का दायित्व भी केन्द्र सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिये ताकि वहां के लोगों को कठिनाइयों से कुछ तो राहत मिल सके ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : At the outset, I want that the Government should make an announcement for holding early elections in Pondicherry. It will be undemocratic not to provide the People of Pondicherry with an opportunity to elect their representatives.

Secondly, an institute or university should be set up in Pondicherry for Latin studies—the study of cultures, languages, religions and institutions of the countries where languages originating from Latin are spoken.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० गणेश) : पांडिचेरी राज्य के बजट से सम्बधित इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं । जब भी कोई विषय चर्चा के लिए रखा जाता है, तो उससे सम्बद्ध अनेक प्रश्न प्रकाश में आ जाते हैं । यह प्रश्न किसी भी प्रकार से विवाद का विषय नहीं है कि पांडिचेरी में निर्वाचित सरकार होनी चाहिये । वर्तमान राष्ट्रपति शासन सितम्बर तक चलेगा तथा तब तक राज्यपाल को हमें अपनी सिफारिशें भेजनी होंगी । राज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार यह निर्णय करेगी कि वहां चुनाव कब करवाये जायें ।

चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने शासक दल पर पांडिचेरी सरकार को गिराने का आरोप भी लगाया है । परन्तु पांडिचेरी ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या इतनी कम थी, कि वहां सरकार का गिरना स्वाभाविक ही था । इसके लिए शासक दल को दोष देने का कोई औचित्य नहीं है ।

[श्री के० आर० गणेश]

जहां तक श्री जोशी द्वारा पड़ौसी राज्यों में इन क्षेत्रों को मिलाने के बारे में उठाए गए प्रश्न का सम्बन्ध है, छोटे छोटे क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस पक्ष में नहीं है । वे अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं । पांडिचेरी के सदस्य ने स्वयं लोगों के विचारों को बताया है, स्पष्ट है कि लोगों की राय लेकर ही इस सम्बन्ध में निर्णय करना होगा ।

जहां तक पांडिचेरी के विकास का प्रश्न है, हो सकता कि अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में इसका विकास न हुआ हो, परन्तु सत्य तो यह है कि पांडिचेरी को दी जाने वाली सहायता में प्रति वर्ष वृद्धी की जाती है । प्राप्तियों में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है । वर्ष 1974-75 के लिए योजना आयोग ने 400 लाख के परिव्यय की व्यवस्था की है । पांडिचेरी में 46 प्रतिशत जनता साक्षर है । जहां तक पांचवीं योजना में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने भूमि की व्यवस्था कर दी है । डिग्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है । योजना आयोग वहां तापीय बिजली कारखाने की स्थापना करने के प्रश्न को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ।

पांडिचेरी में एक मोटेल भी स्थापित किया जाएगा । युवा छात्रावास के लिए भी स्थान का अधिग्रहण किया जा चुका है ।

वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में कई वर्गों को अधिसूचित किया गया है । कुछ वर्गों को अभी अधिसूचित किया जाना शेष है । लेखानुदान अदायगी पहले ही की जा चुकी है । महंगाई भत्ते की बकाया राशि भी दी जा चुकी है । वेतन सम्बन्धी विषमताओं को समाप्त करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी ।

टाइप II, III, IV, V तथा VI के क्वार्टर बनाने के लिए रखी गई राशि को कहीं ओर नहीं व्यय किया गया है । टाईप V तथा VI के क्वार्टर बनाए जा चुके हैं और टाईप III तथा IV के 250 से अधिक क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन् द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में मुझे सूचना मिली है कि व्यय के लिए निर्धारित राशि व्यय की जा चुकी है और संचित निधि में से अवशेष अधिक होने के कारण अनुदान के रूप में कम सहायता दी गई ।

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडिचेरी) : पांडिचेरी को बी-2 तथा कराइकल। माही और यामेन को सी-2 दर्जा देने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ? पांडीचेरी में जीवन-निर्वाह की दर मद्रास के बराबर है और कराइकल में जीवन निर्वाह की दर तिरुचापल्ली के बराबर है ।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक शहरों को दर्जा देने का प्रश्न है, जनसंख्या की आधार बनाकर दर्जा दिया जाता है । जहां तक चावल और अन्य वस्तुओं की कमी का प्रश्न है, इसका एक कारण तस्करी भी हो सकता है । मैं सम्बन्धित मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करुंगा ।

जहां तक भूमि की अधिक तम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, यह मामला विधि मन्त्रालय के पास है और इस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दिनेश जोरदर : सरकारी कारों और मोटरगाड़ियों का सरकारी अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है । इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० आर० गणेश : यदि ऐसा होता है, तो यह बहुत गलत बात है । यदि कोई विशिष्ट शिकायत है तो उसे राज्यपाल को भेजना होगा और वह इसकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडिचेरी) : वेतन आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिस शहर में कुछ कारणों से जीवन निर्वाह लागत अधिक हो परन्तु जनसंख्या के लिहाजसे नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अधिक न मिलता हो, उस शहर पर विशेष रूप से विचार किया जा सकता है । इस आधार पर पांडिचेरी और कराईकल को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने पर विचार किया जाना चाहिए ।

श्री आर० के० गणेश : ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है जहां तीर्थ स्थान होने अथवा अन्य कारणों से जीवन निर्वाह लागत अधिक है परन्तु वह मानदंड की शर्तें पूरी नहीं करते । यदि पांडिचेरी में ऐसी स्थिति हो तो उसको भी सूची में शामिल कर लिया जाएगा ।

श्री दिनेश जोरदर : मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रपति शासन सितम्बर तक रहेगा। मंत्री महोदय आश्वासन दें कि सितम्बर के बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी ।

श्री के० आर० गणेश : मैं पहले ही बता चुका हूं कि राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर ही निर्णय किया जाएगा ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 तथा 5 से 8 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
All the Cut Motions were put and Negatived.

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Cut Motion was put and Negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए अनुदान की निम्नलिखित मांगे (पांडिचेरी) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands (Pondicherry)for the year 1974-75 were put and Adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	विधान सभा . . .	2,49,000	..
2	प्रशासक	5,000	..
3	मंत्रि-परिषद् . .	2,87,000	..
4	न्याय प्रशासन . . .	5,36,000	..
5	चुनाव	75,000	..

मांग संख्या	शीर्षक	राशी	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
6	राजस्व . . .	16,01,000	
7	बिक्री-कर	3,33,000	..
8	गाडीयों पर कर . . .	64,000	..
9	सचिवालय . .	9,15,000	..
10	जिला प्रशासन . .	12,56,000	3,20,000
11	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	5,91,000	
12	पुलिस	32,95,000	..
13	जेल	1,59,000	..
14	लेखन-सामग्री और मुद्रण . .	5,06,000	..
15	विभिन्न प्रशासनिक सामान्य सेवाएं .	6,95,000	..
16	सेवा निवृत्ति लाभ . . .	12,69,000	..
17	लोक निर्माण कार्य	96,83,000	66,08,000
18	शिक्षा	1,40,26,000	18,000
19	चिकित्सा	78,77,000	..
20	सूचना और प्रसारण . . .	3,83,000	
21	श्रम और नियोजन . . .	5,30,000	..
22	समाज कल्याण	31,51,000	17,000
23	सहकारिता	6,84,000	6,23,000
24	विविध सामान्य आर्थिक सेवाएं	3,33,000	..
25	कृषि	32,78,000	3,79,000
26	पशु पालन	7,53,000	93,000
27	मछली पालन विभाग . . .	16,66,000	..
28	सामुदायिक विकास	23,30,000	29,000
29	उद्योग	4,84,000	10,50,000
30	खाद्य और पोषाहार .	1,44,000	..
31	बिजली	89,71,000	33,72,000
32	पत्तन और नौचालन . .	1,91,000	2,32,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण . .	..	14,67,000

पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1974

PONDICHERRY APPROPRIATION BILL, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सचिव निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सचिव निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। प्रश्न रह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1 से 3 अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कार्यमंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

45 वाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 45 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 31 जुलाई 1974/9 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, the 31st July, 1974/Sravana 9, 1896 (Saka).

GIPN—S3—22 LSS/74—11-10-74—490.